वार्षिक योजना
प्रगति रिपोर्ट

1966-67

भारत सरकार
योजना आयोग
जुलाई 1968

विषय सूची

1. अर्थ-व्यवस्था की स्थिति 1
2. योजना परिव्यय और उसकी वित्तीय-व्यवस्था . . . 11
3. कृषि तथा ग्राम अर्थ-व्यवस्था 21
4. सिंचाई 39
5. बिजली 44
6. उद्योग और खनिज 49
7. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 68
8. परिवहन और संचार 77
9. शिक्षा 83
10. वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्राकृतिक साधन . . . 89
11. स्वास्थ्य परिवार नियोजन और जल सम्भरण . . . 95
12. आवास तथा शहरी विकास 102
13. पिछड़े वर्गों का कल्याण 107
14. समाज कल्याण 111
15. दस्तकार प्रशिक्षण तथा श्रम कल्याण 113
16. पुनर्वास 115
17. जनसहयोग 118
18. अन्य कार्यक्रम 121
परिशिष्ट 125

परिशिष्ट-सूची

	पृष्ठ
2.1 योजना व्यय, 1966–67 : राज्य	127
2.2 योजना व्यय, 1966–67 : संघीय क्षेत्र	128
2.3 1964–65 से 1966–67 तक योजना व्यय (वास्तविक) (केन्द्र, राज्य और संघीय क्षेत्र)	129
2.4 चुनीदा भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां 1966-67	134
2.5 1966–67 में केन्द्र तथा राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को सहायता	138
4.1 1966–67 में बड़ी तथा मंझली सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों पर योजना व्यय	141
4.2 तीसरी योजना की समाप्ति तथा 1966–67 के दौरान सिंचाई क्षमता निर्मित तथा उसका उपयोग	142
5.1 1966–67 में बिजली कार्यक्रमों पर योजना व्यय	144
5.2 1966–67 में अतिरिक्त बिजली तैयार करने की क्षमता और उपलब्धियां	146
5.3 स्थापित क्षमता और 1965–66 तथा 1966–67 में की गई बिजली की अधिकतम मांग	149
5.4 ग्राम बिजलीकरण की प्रगति	150
6.1 औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	152
6.2 उद्योग और खनिज : 1965–66 और 1966–67 के दौरान उपलब्ध क्षमता और उत्पादन	154
6.3 केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं पर योजना व्यय : 1966–67	158
7.1 ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के अन्तर्गत योजना व्यय (वास्तविक) 1964-67	162
8.1 परिवहन और संचार, योजना व्यय (केन्द्र, राज्य और संघीय क्षेत्र)	164
11.1 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रम : भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां 1966–67	166
11.2 जलपूर्ति स्कीमों पर 1966–67 के दौरान योजना व्यय	167
12.1 राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आवास स्कीमों पर व्यय 1966–67	169
12.2 केन्द्रीय क्षेत्र की आवास स्कीमों पर योजना परिव्यय 1966–67	170
12.3 आवास स्कीमें : भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां 1966–67	171
14.1 समाज कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत योजना व्यय, 1966–67	173

अध्याय 1

अर्थ-व्यवस्था की स्थिति

वर्ष 1966–67 भी भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए कठिनाई का वर्ष था। लगातार दूसरे वर्ष भी सूखे की स्थिति रही और देश के एक बड़े भाग में समय पर और पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर पर ही, जोकि 1964–65 के स्तर की अपेक्षा 16 प्रतिशत कम रहा था, रुका रहा। अनाजों की और कृषि जनित कच्ची सामग्री की कमी बनी रही और बहुत घटाये हुए स्तर पर भी उपलब्धि बनाये रखने के लिए बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ा। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और शिथिल पड़ गई और राष्ट्रीय आय में वास्तविक रूप में केवल थोड़ी सी ही वृद्धि हुई। निर्यात कम हो गया और भुगतान संतुलन पर दबाव बराबर बना रहा। ऋण नीति प्रतिबन्धात्मक बनी रही तो भी वास्तविक उत्पादन की अपेक्षा मुद्रा पूर्ति बढ़ गई। कीमतें तेजी से बढ़ीं और वेतन दबावों में वृद्धि हुई। विकास के साधन संकुचित हो गये, निवेश-वातावरण खराब हो गया और निवेश निर्णय टाले जाने लगे। घरेलू बचतों की दर और निवेश की दर दोनों घट गईं।

कृषि उत्पादन

वार्षिक योजना में कृषि उत्पादन के शीघ्र फल देने वाले कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है। इसका मुख्य आधार कृषि विकास की नई नीति है जिसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के क्षेत्र को बढ़ाने और किसानों के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों सिंचाई सुविधाओं व ऋण को अधिक मात्रा में उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में मौसम की स्थिति विपरीत होते हुए भी धान के लक्षित क्षेत्र के 67% से अधिक भाग में और गेहूं के लक्षित क्षेत्र के लगभग 80% भाग में अधिक उपज देने वाले बीज बोये गये। लघु सिंचाई का विस्तार और 34 लाख एकड़ क्षेत्र में किया गया। नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का वितरण 1965–66 की अपेक्षा 53% अधिक रहा और 1964–65 की अपेक्षा इसका स्तर लगभग दूना रहा। इसी प्रकार वनस्पति रक्षण का क्षेत्र भी पूर्व वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक रहा। सहकारी संस्थाओं द्वारा अल्पावधि और मध्यावधि ऋणों का वितरण जहां 1965–66 में 345 करोड़ रुपये था वहां 1966–67 में बढ़कर 365 करोड़ रुपये हो गया। भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋणों की राशि 1966–67 में 60 करोड़ रुपये थी जबकि पूर्व वर्ष में यह राशि 58 करोड़ रुपये थी।

दस राज्यों में अन्न उत्पादन 1965–66 के स्तर से ऊपर बढ़ गया और उनमें से तीन में जो 1964–65 के स्तर से भी अधिक उत्पादन हुआ। परन्तु सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, विशेषरूप से बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में अनाजों की उपज में अत्याधिक कमी हो जाने के कारण उपर्युक्त सुधरी हुई स्थिति का एक बड़ा भाग प्रभावहीन हो गया। अतः अनाजों के उत्पादनों में कुल मिलाकर केवल थोड़ी सी ही वृद्धि हुई। कुल मिलाकर 1966–67 में उत्पादन 750 लाख मीट्रिक टन हुआ जबकि 1965–66 में कुल उत्पादन 720 लाख मीट्रिक टन और 1964-65 में 890 लाख मीट्रिक टन था।

अनाजों के उत्पादन में जो थोड़ा सा सुधार हुआ, पर इसके विपरीत गैर-अनाज उत्पादन जहां 1964-65 में 175 था वहां 1965-66 में घटकर 156 और 1966-67 में और भी घटकर 148 रह गया। गैर-अनाज उत्पादनों में हुई कमी ने अनाजों के उत्पादन में हुई वृद्धि को विलीन कर दिया और कुल मिलाकर कृषि उत्पादनों का सूचकांक 1966–67 में 132.4 ही बना रहा जबकि 1965-66 में यह सूचकांक 132.7 और 1964-65 में 158.5 था।

औद्योगिक वृद्धि

वर्ष 1966-67 के औद्योगिक कार्यक्रमों में अधिक बल वर्तमान योजनाओं की पूर्ति पर और निर्मित क्षमता के अधिक उत्तम उपयोग पर दिया गया। नई परियोजनायें केवल वे ही रखी गयीं जिन्हें आयात-प्रतिस्थापन की दृष्टि से और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से उच्च प्राथमिकता दी गई। उस वर्ष के दौरान इस्पात, अल्यूमिनियम, उर्वरक, कास्टिक सोडा, कागज के गत्तों और मशीनी औजारों की उत्पादन में क्षमता में विशाल मात्रा में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान क्षमताओं के अधिक अच्छे ढंग से उपयोग द्वारा ढलवां इस्पात व कुट्टित इस्पात, पटसन, कागज, चीनी और सीमेंट मशीनरी खेती के ट्रैक्टर, डीजल इंजिन, बाल बेयरिंग व रोलर बेयरिंग, वाणिज्यिक गाड़ियां ताप और जल विद्युत जनित्रों वाष्प और जल टर्बाइनों—(60 कि०वा० और इससे बड़े) परिणामित्रों (ट्रांसफारमर्स) और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। इस वर्ष के दौरान आरम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं में बोकारो इस्पात सयन्त्र, कोचीन और मद्रास के उर्वरक कारखाने और गुजरात पेट्रोल रासायनिक कारखाने महत्वपूर्ण हैं।

इस वर्ष के दौरान औद्योगिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस्पात, मशीनी औजारों, विद्युत शक्ति जनित्रों (जनरेटरस्) व पारोषण (ट्रांस-मिशन) उपकरणों, पावर बायलरों, परिणामित्रों कुट्टित इस्पात, सल्फ्यूरिक ऐसिड, सीमेंट और अनाज के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता निर्मित हुई। विद्युत जनित्रयन्त्रों के उत्पादन की क्षमता पहले-पहल तैयार हुई और रांची में भारी मशीन औजार परियोजना आरम्भ की गई। इस्पात संयन्त्रों और भारी बिजली संयन्त्रों में ढलाई गढ़ाई परियोजना के अन्तर्गत बहुत सी संतुलनकारी सुविधाएं उपलब्ध की गई। उटकमंड की कच्चे फिल्म तैयार करने की परियोजना कोटा का यंत्र कारखाना और भिलाई में इस्पात संयन्त्र के विस्तार का काम पूरा कर लिया गया। कोचीन तेल शोधक कारखाना चालू हुआ और कोयाली तथा बरौनी तेल शोधक कारखानों के 20 लाख के सोपान का आरम्भ हुआ। मद्रास, कोचीन और दुर्गापुर में उर्वरक परियोजनाओं के लिए निर्माण काम शुरू किया गया।

उर्वरक उद्योग में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नए कारखानों को आरम्भ के सात वर्षों के लिए वितरण और मूल्य नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया साथ ही सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित रखा कि कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत तक आपसी बातचीत के आधार पर मूल्य तय करके ले सके। निजी क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इन योजनाओं के अन्तर्गत गोवा, कानपुर और कोटा

की परियोजनाएं शामिल हैं । इसके अतिरिक्त गुजरात और एडोर परियोजनाओं के विस्तार कार्यक्रम भी स्वीकार किए गये । पट्टी-रसायन के क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड का नेप्था क्रेकर पूर्ण कर लिया गया और बंबई में दूसरे क्रेकर का निर्माण काफी आगे बढ़ चुका है । विशाखापटनम में प्लेटें और जहाज तैयार करने की परियोजना आरम्भ की गई और इसमें यथा निर्धारित रीति से प्रगति हो रही है ।

क्षमता के अधिक उत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उद्योग विकास विनिमय (अधिनियम, 1951) के उपबन्धों में दिखाई गई और लाइसेंस के उपबन्धों से 42 उद्योगों को मुक्त कर दिया गया । तकनीकी विकास और बदलती हुई बाजार की स्थिति के साथ उत्पादन का शीघ्रता से तालमेल करने की दृष्टि से लाइसेंस की आवश्यकता हटा दी गई और इंजीनियरी फर्मों को नये उत्पादन तैयार करने की अनुमति दे दी गई, पर इसके साथ शर्त यह रखी गई कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न पड़े और नई वस्तुओं का उत्पादन कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो । अक्तूबर, 1966 से औद्योगिक फर्मों को यह स्वतन्त्रता भी दी गई कि नया लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही अपनी लाइसेंस क्षमता को 25 प्रतिशत बढ़ा सकती हैं । प्राथमिकता वाले 59 उद्योगों के लिए कच्चे माल और कल पुर्जों के आयात में उदारता लाई गई । इन सब उपायों का पूरा परिणाम समय बीतने पर ही ज्ञात हो सकेगा । परन्तु इस वर्ष के दौरान स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दिया ।

बहुत से उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि दर में स्पष्ट सुधार दिखाई दिया । पर औद्योगिक मशीनों, परिणामित्रों, विद्युत मोटरों और जूते, कागज व कागज उत्पादनों की वृद्धि दर में कमी आई । चीनी, चाय, सिगरेट, सूत और जूट के कपड़े आदि कृषि आधारित उद्योगों और कृत्रिम रेशे परिवहन उपकरण विशेषरूप से रेल के डिब्बों, और वाणिज्यिक गाड़ियों तथा धातु निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भी कमी आई । कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण कृषिजनित कच्चे माल की कमी थी । कृषि के उत्पादन में कमी और औद्योगिक उत्पादनों में शिथिलता आने से परिणामस्वरूप माल के यातायात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई । वास्तव में रेल द्वारा होने वाले माल के यातायात में थोड़ी सी कमी हुई, 1965–66 में जहां 2030 लाख मीट्रिक टन माल का यातायात हुआ था वहां 1966-67 में 2016 लाख मीट्रिक टन का ही यातायात हुआ । इससे मालगाड़ी के डिब्बों के उत्पादन में तो कमी आई ही, बहुत से मध्यवर्ती उत्पादन जैसे कि इस्पात की ढलाई और गढ़ाई आदि पर भी बुरा प्रभाव पड़ा । औद्योगिक मशीनों और बिजली के परिणामित्रों व विद्युत् मोटरों आदि जिन पदों में वृद्धि की दर ऊंची रहती है उन पर भी सरकारी और निजी निवेश में कमी आने के कारण प्रभाव पड़ा । जिन उद्योगों के उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति दिखलाई दी उनका अनुपात कुल उद्योगों की सूची में 50% के लगभग था । इनके साथ कुछ अन्य उद्योगों की वृद्धि दर में भी शिथिलता आई जिसके परिणामस्वरूप 1965-66 में जहां औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत थी वहां 1966-67 में घटकर 2.8 प्रतिशत रह गई ।

वृद्धि की दर

कृषि उत्पादन में गतिरोध और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में शिथिलता आने के कारण इस वर्ष के दौरान वास्तविक आय में थोड़ी सी ही वृद्धि हुई । पुनरीक्षित सारणियां

के अनुसार 1960-61 की मूल्य दरों पर इस वर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा देश के कुल आन्तरिक उत्पादन में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका एक अंश विदेशों से होने वाली आय में आई कमी के प्रभाव को दूर करने में लग गया। परिणामस्वरूप कुल राष्ट्रीय उत्पादन या कुल राष्ट्रीय आय में केवल 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1960-61 की अपेक्षा राष्ट्र की वास्तविक आय में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस आधार पर पिछले छह वर्षों के दौरान वृद्धि की दर 2.6 प्रतिशत (चक्रवृद्धि) आती है।

मुद्रा विस्तार

अनाजों और अन्य कृषि जनित वस्तुओं की कमी के कारण मुद्रा-नीति नियन्त्रात्मक बनी रही। बैंकों की दर जो कि फरवरी, 1965 में 5 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गई थी उसी स्तर पर बनाई रखी गई। मन्दों का मौसम आने पर रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को परामर्श दिया कि ऋण राशि में उपयुक्त कमी करें और नई जमा होने वाली सभी रकमों और निधियों से वापिसी की सभी राशियों को सरकारी ऋणपत्र में लगाकर अपने भुगतान अनुपात में सुधार करें। अनाज, तिलहन, चीनी, कपास आदि जिन जिन्सों की पूर्ति कम है उनके लिए ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारण और/अथवा न्यूनतम सीमा के रूप में वरणात्मक नियन्त्रण जारी रखे गये।

यद्यपि व्यस्त मौसम में मुद्रा-नीति की प्रवृत्ति नियन्त्रणात्मक बनी रही पर इस दृष्टि से कुछ ढिलाई बरती गई कि आयात में उदारता आने के बाद आवश्यक ऋण की मांग की पूर्ति यथोचित रीति से हो सके। जब तक वाणिज्यिक बैंक अपना भुगतान अनुपात 30 प्रतिशत या इससे अधिक बनाये रखें वे पहले की भांति रिजर्व बैंक से ऋण ले सकते हैं, पर बैंकों को 1966 के मंदी के मौसम के अन्त में उनके वास्तविक शुद्ध भुगतान अनुपात के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक दरों में पुनर्वित्तीयन की और अधिक कटौती की गई। परन्तु बैंक दर पर बैंकों को जितना ऋण लेने का हक है उसकी अपेक्षा अधिक लेने पर उन पर 10 प्रतिशत की दंड दर लगाई गई। बड़े बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने मौसमी ऋण प्रसार का कम से कम 80 प्रतिशत भाग अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए और निर्यात/आयात जिलों के लिए उपलब्ध करें।

पर इस नीति को आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान मुद्रा पूर्ति 8 प्रतिशत अर्थात् 377 करोड़ रुपये बढ़ गई। यद्यपि यह वृद्धि पूर्व वर्ष की अपेक्षा कम थी पर 1966-67 की उत्पादन वृद्धि की दर की अपेक्षा अधिक थी और 1965-66 की उत्पादन वृद्धि के औसत की दर की अपेक्षा भी अधिक थी।

निजी क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के अधिक विस्तार को देखते हुए मार्च 1967 के प्रथम सप्ताह में ऋण नीति में फिर से कठोरता लाई गई। थोड़ी मात्रा में और कभी-कभी इस मात्रा से अधिक ऋण लेने पर दंड दरें लागू की गईं। इसके साथ ही बैंकों को यह भी परामर्श दिया गया कि (क) स्वच्छ पेशगियों और कम पूर्ति वाली चरेलू जिन्सों की पेशगियों पर नियन्त्रण रखें, और (ख) उद्योग और/अथवा आयात/निर्यात बिलों से भिन्न क्षेत्रों के लिये नये ऋण स्वीकृत न करें और यदि आवश्यक हो तो उपयोग की जा चुकी सीमाओं को रद्द कर दें, और (ग) व्यापार प्रयोजनों के लिए स्वीकृत सीमाओं पर अपने विवेक के अनुसार उपयुक्त प्रतिशत की कटौती कर लें।

मूल्यों में वृद्धि और वेतन दबाव

इस वर्ष थोक मूल्यों में 15.8 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई, औसत सूचकांक जो कि 1965-66 में 165 था वह 1966-67 में बढ़कर 191 हो गया। किसी एक वर्ष के दौरान मूल्यों में यह अधिकतम वृद्धि हुई। सिर्फ शराब और तम्बाकू को छोड़कर जिनके मूल्यों में 4.6 प्रतिशत की कमी आई, शेष सभी वर्गों में मूल्य वृद्धि हुई। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में 20.9 प्रतिशत की, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों में 18.7 प्रतिशत की, ईंधन, बिजली और स्नेहहकों के मूल्यों में 10.9 प्रतिशत की, और तैयार वस्तुओं के मूल्यों में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मूल्यों में वृद्धि की ओर जोरदार दबाव बना रहा।

इस दबाव का कारण अनेक तत्वों का सम्मिलित प्रभाव था। अनाजों और कृषि जनित कच्चे माल के मूल्यों में 1965-66 में ठीक फसल न होने के कारण आई हुई तेजी इसका मूक कारण थी। यद्यपि 1966 में बाहर से 103 लाख मीट्रिक टन अन्न का आयात किया गया पर प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धि 14.17 औंस ही हो सकी। यह 1960 से अब तक का निम्नतम स्तर था। यद्यपि 141 लाख मीट्रिक टन अन्न का वितरण सार्वजनिक वितरण माध्यमों से किया गया और आन्तरिक वसूली व आयात द्वारा प्राप्त की गई पूरी राशि इस प्रक्रिया में समाप्त हो गई परन्तु अन्न के मूल्यों पर पड़ने वाला दबाव रोका नहीं जा सका। यद्यपि सांविधिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत 3 करोड़ लोगों को अन्न वितरित किया जा रहा था और उचित मूल्य की दुकानों द्वारा अनौपचारिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत 21.1 करोड़ व्यक्ति आ चुके थे फिर भी मांग के काफी बड़े भाग की पूर्ति बाजार में खरीद करके की जा रही थी और कमी वाले महीनों (मार्च-सितम्बर, 1966) में अनाज की कीमतें 11.8 प्रतिशत बढ़ गईं। फसल की कटाई के बाद सामान्यतया मूल्यों में जो सुधार हो जाता है वह भी 1966-67 की फसल खराब हो जाने के कारण नहीं हुआ। परिणामस्वरूप खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहे और सितम्बर 1966 व मार्च 1967 के बीच मूल्यों में 11 प्रतिशत वृद्धि हो गई। इसी प्रकार औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में भी मार्च-सितम्बर 1966 के दौरान 5.8 प्रतिशत की और सितम्बर 1966-मार्च 1967 के दौरान और 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

जून 1966 में रुपये के अवमूल्यन के कारण आयात किये जाने वाले कच्चे माल और अन्तर्वर्ती वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई और इनसे तैयार होने वाली वस्तुओं के दाम भी बढ़ गये। आयात किए जाने वाले अनाजों और उर्वरकों पर दिये गये बड़ी मात्रा में उपदान के कारण और पैट्रोलियम-उत्पादनों पर कर कम हो जाने के कारण, इनके मूल्यों पर अवमूल्यन का प्रभाव नहीं पड़ा पर धातुओं, धातु निर्मित वस्तुओं, रसायनों और मशीनों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई। मुद्रा प्रसार के कारण यह मूल्य वृद्धि लगातार बनी रही हो बल्कि और आगे बढ़ गई जिसका विशेष कारण यह था कि जिन वस्तुओं की पूर्ति कम थी उनकी परिकल्पित मांग बढ़ गई। थोक मूल्यों में वृद्धि से औद्योगिक श्रमिकों तथा अन्य निश्चित आय वाले व्यक्तियों के जीवन निर्वाह का खर्च बढ़ गया। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949=100) 13 प्रतिशत बढ़ गया और 1965-66 में जहां 169 था वहां 1966-67 में 191 तक पहुंच गया। शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) जो 1965-66 में 132 था बढ़कर 1966-67 में 146 हो गया। इससे वेतनों पर दबाव पड़ा और

सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में वृद्धि हुई और फिर इससे मूल्यों का वृद्धि की ओर झुकाव और बढ़ा। मंहगाई भत्ते को निर्वाह व्यय में वृद्धि के एक विशेष बिन्दु से जोड़ दिया गया है अत: केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त राशि का खर्च 1966-67 में 80 करोड़ रुपये और पूरे वर्ष में 165 करोड़ रुपये हुआ। निजी क्षेत्र के समान सम्बन्धों वाले उद्योगों में भी मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई। वेतनों में वृद्धि और कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाने से बाध्य होकर सरकार को कई मामलों में भी नियन्त्रित मूल्यों में भी वृद्धि करनी पड़ी। उदाहरणार्थ सूती कपड़े की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों में सितम्बर 1966 में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई, पर इसका एक भाग उत्पादन कर में कमी करके खपा लिया गया। इस्पात और चीनी के मूल्यों में भी वृद्धि करनी पड़ी।

भुगतान संतुलन और अवमूल्यन

वित्तीय वर्ष 1966-67 के आरम्भ में विदेशी मुद्रा की आरक्षित राशि का स्तर घटा हुआ था और अप्रैल, 1966 में ही 1875 लाख डालर की राशि आरक्षित राशि को सुदृढ़ करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से निकालनी पड़ी थी। पर आरक्षित राशि पर दबाव बना ही रहा। देश की भुगतान समस्या के स्थायी हल के लिए महत्वपूर्ण उपाय अपनाने आवश्यक हो गये। रुपये का अवमूल्यन 6 जून, 1966 को किया गया और शुद्ध सोने के रूप में रुपये का मूल्य 36.5 प्रतिशत घटा दिया गया। इस प्रकार विदेशी मुद्रा का रुपयों में मूल्य 57.5 प्रतिशत बढ़ गया। इस उपाय से आशा की गई थी कि निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, निर्यात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलेगा, देश में तस्करी द्वारा लाये जाने वाले सोने व अन्य वस्तुओं का आयात निरुत्साहित होगा और पर्यटन व बाहर से देश को भेजी जाने वाली धनराशि में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आयात अधिकार स्कीम और निर्यात के लिए कर ऋण इस उद्देश्य से समाप्त कर दिया गया कि इनके स्थान पर निर्यात के प्रोत्साहन के लिए कोई अन्य सरल और अधिक प्रभावशाली पद्धति अपनाई जाए। अवमूल्यन से होने वाले आकस्मिक लाभ के अवदोहन के लिए कई वस्तुओं पर निर्यात कर लगाया गया और विनिमयाधीन 10 प्रतिशत का आयात कर समाप्त कर दिया गया। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि की कठिनाई को कम करने के लिए आयात की जाने वाली कई वस्तुओं पर कर घटा दिया गया। इसके कुछ समय बाद प्राथमिकता वाले 59 उद्योगों पर लगे आयात प्रतिबन्धों में ढिलाई की गई।

पर अवमूल्यन के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण अवमूल्यन का प्रभाव क्षीण हो गया। पहले तो नई स्थिति के साथ आयात-निर्यात व्यापार के पुन: समन्वय की पूर्णतया अन्तर्कालीन समस्या थी जिसके समाधान में कुछ समय लगा। दूसरे पूर्व योरोपीय देशों से व्यापार-करारों पर फिर से लिखा-पढ़ी करनी पड़ी जिससे इन देशों के साथ होने वाले व्यापार में कुछ समय के लिए अस्तव्यस्तता आ गई। तीसरे लगातार दो वर्ष तक फसलें ठीक न होने के कारण विदेशों से अनाज और कृषि सम्बन्धी कुछ कच्चा माल आयात करना पड़ा जिससे कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादनों के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा। चौथे, देश के अन्दर मूल्यों में वृद्धि के कारण अवमूल्यन का कारगर प्रभाव घट गया। और अंतिम यह कि निर्यात को कुछ वस्तुओं जैसे कि चाय, काफी और चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में शिथिलता की प्रवृत्ति रही। ब्रिटेन में आयात पर सरचार्ज और ऋण दबाव के कारण भी भारत से ब्रिटेन को होने वाले निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा।

निर्यात आय

इस वर्ष के दौरान निर्यात से कुल आय 15,350 लाख डालर हुई। यह गत वर्ष की निर्यात आय की अपेक्षा 6.5 प्रतिशत कम थी। कृषि और कृषि आधारित वस्तुओं के निर्यात में कमी आने का कारण मुख्यतया पूर्ति की कठिनाई थी और इसी कारण इस क्षेत्र में अवमूल्यन द्वारा प्रोत्साहन का लाभ भी नहीं उठाया जा सका। जहां इस प्रकार की बाधा नहीं आई जैसे कि मछली, मछली निर्मित माल, चमड़ा और खालें, चमड़े का सामान, लोहा और इस्पात व इंजीनियरी का सामान आदि में, वहां निर्यात आय में हुए सुधार का एक अंश अवमूल्यन के कारण माना जा सकता है।

आयात का मूल्य

अवमूल्यन का प्रभाव आयात पर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अप्र के आयात में वृद्धि होने पर भी वर्ष के दौरान कुल आयात 26,930 लाख डालर का रहा जो कि 1965–66 की अपेक्षा 4% कम है। यद्यपि इस कमी का कुछ अंश गत वर्ष विदेशी सहायता के रुकने के बाद आयात नियन्त्रणों में की गई सख्ती के कारण हुआ होगा, पर ऐसा प्रतीत होता है कि अवमूल्यन के बाद रुपयों में मूल्य अधिक बढ़ जाने के कारण भी आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन मिला है। अगस्त 1966 में प्राथमिकता वाले 59 उद्योगों के लिए आयात को उदार बनाया गया था पर आयात की अधिक लागत, कुछ श्रेणी के उद्योगिक उपादनों की मांग में शिथिलता और आदेश देने और माल के आने के बीच देरी होने कारण इस वर्ष आयात में अधिक वृद्धि दिखाई नहीं दी।

भुगतान में कमी

फिर भी पहले की भांति ही भुगतान में कमी बनी रही, 1965–66 में यह कमी 11,620 लाख डालर थी और 1966-67 में 11,580 लाख डालर। पर अदृश्य स्रोतों से आय में बहुत अधिक कमी हुई। पूर्व वर्ष में जहां इनसे 1680 लाख डालर की आय हुई थी वहां 1966-67 में 50 लाख डालर का घाटा हुआ। निजी एकपक्षीय हस्तान्तरण द्वारा होने वाली और फुटकर सेवाओं के लेन देन से होने वाली आय में कमी और इसके साथ ही ब्याज के भुगतानों में तेजी से हुई वृद्धि इस स्थिति के लिए मुख्यतया उत्तरदायी थी। परिणामस्वरूप चालू खाते में ऋण की राशि 1690 लाख डालर से बढ़कर 11630 लाख डालर हो गई। पर पूंजी खाते में 10,080 लाख डालर की बचत भूलचूक की त्रुटियों का लेखा जोखा बराबर करने के बाद भुगतान संतुलन में घाटे की कुल राशि 1180 लाख डालर आती है जबकि गत वर्ष 380 लाख डालर की बचत हुई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से 1300 लाख डालर की राशि निकाल कर इस घाटे की पूर्ति की गई और 120 लाख डालर की अल्प राशि विदेशी मुद्रा की आरक्षित राशि में बढ़ाई गई।

विदेशी सहायता

वर्ष 1966-67 के दौरान सहायता की नई अधिकृत राशि 20,820 लाख डालर थी जबकि गत वर्ष यह राशि 13,620 लाख डालर थी। इसके साथ मार्च 1966 के अन्त में 26,460 लाख डालर की अविनियत राशि मिलाकर कुल 47,280 लाख डालर की राशि,

1966-67 में उपयोग के लिए उपलब्ध थी। पर वास्तविक उपयोग केवल 14740 लाख का ही हो पाया। यह राशि 1965-66 में उपयोग की गई 16220 लाख डालर की राशि से 1480 लाख डालर कम थी। पी० एल०-480 के अन्तर्गत प्राप्त सहायता को शामिल न किया जाए तो सहायता की अधिकृत राशि 5680 लाख डालर अधिक थी पर उपयोग 1260 लाख डालर का हुआ। वर्ष 1966–67 के दौरान सहायता की राशि के उपयोग में शिथिलता आने का कारण पाकिस्तान के साथ सितम्बर, 1965 में हुए संघर्ष के बाद सहायता का अस्थायी रूप से स्थगित हो जाना, आयात कर रुपयों में कीमत बढ़ जाना और सहायता देने के वादों में, करारों पर हस्ताक्षर होने में और ऋणों के भुगतान में सामान्यतया होने वाली देरी थी।

वर्ष 1966-67 के दौरान कुल अधिकृत ऋण राशि का लगभग आधा भाग और गैर-परियोजना सहायता के रूप में था। एड इंडिया कंसोर्टियम के सदस्यों ने वर्ष के दौरान कुल अधिकृत ऋण राशि के 68 प्रतिशत (10080 लाख डालर) का अंशदान दिया था और शेष राशि पूर्व योरोपीय देशों, स्वीडन और डेन्मार्क द्वारा अधिकृत की गई थी।

घरेलू बचत और निवेश

आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से इस वर्ष के दौरान विकास के साधनों में विशेष कमी आ गई। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य पर व्यय, सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि और अनाजों के मूल्यों को कम करने के लिए उपदान में वितरित की गई बड़ी राशि के कारण सरकारी बचत में बड़ी कमी आ गई। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की बचत की संचित राशि पर भी मांग में कमी, कीमतों में वृद्धि और उत्पादन में कमी हो जाने से बुरा प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार, वास्तविक आय में कमी और आवश्यक जिन्सों के मूल्य में वृद्धि हो जाने से निजी बचतों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। मूल्यों में वृद्धि हो जाने से निगमों की बचत भी उन क्षेत्रों में क्षीण हो गई जहां तैयार माल की कीमतें बढ़ा कर इसकी पूर्ति पूरी तरह नहीं की जा सकी। यद्यपि घरेलू बचत के विभिन्न घटकों के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, पर ऐसे संकेत मिले हैं बचत कुल राष्ट्रीय आय के 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है। घरेलू बचत की दर 1965-66 में 11 प्रतिशत के लगभग तक पहुंच चुकी थी उससे यह दर काफी घटी हुई है। सरकारी और निजी क्षेत्रों के निवेश में विदेशी सहायक का अंश राष्ट्रीय आय के 3 प्रतिशत के बराबर था। अतः 1966-67 में अर्थ-व्यवस्था में निवेश की दर 12 प्रतिशत के लगभग थी जबकि इसके पूर्व वर्ष निवेश की दर 14 प्रतिशत से जरा सी कम थी।

रोजगार की स्थिति

वर्ष 1966-67 में रोजगार की स्थिति पर लगातार दो वर्षों से चले आ रहे सूखे की काली छाया पड़ रही थी, औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी पड़ गई थी जिसका मुख्य कारण कृषि जनित कच्चे माल की कमी और पर्याप्त मांग का अभाव था। कई सूती और इंजीनियरी माल तैयार करने वाले कारखाने बन्द कर दिये गये थे जिनमें विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कारखाने उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इस कारखानों-बन्दी, छंटनी और विराम से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए इसकी ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है पर अनुमान है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न अवधियों के लिए लगभग एक लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।

रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोज़गार बाज़ार सूचना क्रम के अन्तर्गत उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि संगठित क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कुल जहां मार्च 1966 में 161.9 लाख थी वहां मार्च 1967 में बढ़कर 163.3 लाख हो गई। इस प्रकार 1 प्रतिशत से कम की वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह दर चौथी योजना के दौरान हुई 5.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर और 1965-66 के दौरान हुई 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की अपेक्षा बहुत कम है। रोज़गार में अधिकतर वृद्धि "सेवा" वर्ग में हुई और वह भी विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में, पर इसके साथ ही "खान और खदान", "निर्माण" और "रचना" के क्षेत्रों में रोज़गार में कमी आई जैसाकि पृष्ठ 10 की सारणी से स्पष्ट हो जाएगा।

रोज़गार कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों से भी रोज़गार की वृद्धि की निम्न दर का पता चलता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां 1965-66 में अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या 9.3 लाख और भरे गये स्थानों की संख्या 5.7 लाख थी वहां 1966-67 में यह संख्या क्रमशः 8.1 लाख और 4.8 लाख थी।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना होगा कि यदि सरकार द्वारा अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य के संगठन में और अधिक कार्य के अवसरों की विशेष व्यवस्था न की गई होती जो उन क्षेत्रों में स्थिति अधिक खराब होती। केन्द्रीय सरकार और अनेक स्वैच्छिक सहायताकारी अभिकरणों के सहयोग से राज्य सरकारों ने 1965-66 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य आरम्भ किये। इसके मुख्य आधार के रूप में सहायता के लिए निर्माण कार्यों का आरम्भ किया गया, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को काम मिल सके और उनकी क्रयशक्ति बढ़े। ऐसे कार्य-क्रम आरम्भ किये गये जिनसे स्थायी परिसम्पत्ति निर्मित हो, मुख्यतया भूमि संरक्षण, वनारोपण, लघु और मझोली सिंचाई के निर्माण कार्य तालाबों और कुओं को तैयार करना और गहरा करना तथा अन्य ऐसे ही कार्य। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सहायतार्थ निर्माण कार्य अक्तूबर 1965 में आरम्भ किये गये और इसके बाद अन्य राज्यों में इनका विस्तार किया गया। ये कार्य-क्रम उड़ीसा, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में 1966 के अन्त तक चले और अन्य राज्यों में वित्तीय वर्ष, 1966-67 के अंत तक चलते रहे। सभी राज्यों में कुल मिलाकर सहायता निर्माण कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या अप्रैल, 1966 में 23.4 लाख और मार्च 1967 में 21.5 लाख थी। सबसे अधिक संख्या जून 1966 में थी जबकि 30 लाख व्यक्ति इन कार्यों पर लगे हुए थे।

सहायतार्थ निर्माण कार्यों पर विभिन्न राज्यों द्वारा 1966-67 के दौरान प्रस्तुत रोज़गार दिवसों की अनुमानित गणना 5900 लाख मानव-दिवस आती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम द्वारा इस वर्ष 300 लाख मानव-दिवस के बराबर कार्य की व्यवस्था की गई थी।

मार्च, 1966 और मार्च, 1967 में उद्योग-वार रोजगार* (संगठित क्षेत्र)

(आंकड़े लाखों में)

उद्योग	मार्च, 1966			मार्च, 1967			(खाना 4 की अपेक्षा खाना 7 में) प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (—)
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कृषि, बागान, पशुधन, वन मछली-पालन	2.26	9.00	11.26	2.32	8.70	11.02	(—)2.13
खान और खदान	1.60	5.10	6.70	1.76	4.80	6.56	(—)2.09
वस्तु निर्माण	6.70	38.60	45.30	6.95	37.50	44.45	(—)1.88
भवन निर्माण	7.66	2.50	10.16	63	2.30	9.93	(—)2.26
बिजली, गैस, पानी और स्वच्छता सेवाएं	3.03	0.40	3.43	3.37	0.30	3.87	(+)12.83
व्यापार और वाणिज्य	1.55	3.30	4.85	1.66	3.50	5.16	(+)6.39
परिवहन, भंडारण और संचार	20.94	1.20	22.14	21.15	1.20	22.35	(+)0.95
सेवाएं	50.04	8.00	58.04	51.50	8.50	60.00	(+)3.38
कुल	93.78	68.10	161.88	96.34	67.00	163.34	(+)0.90

*ये आंकड़े उन प्रतिष्ठानों के हैं जिनमें 25 या अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं।

अध्याय 2

योजना परिव्यय और उसकी वित्तीय-व्यवस्था

1. योजना परिव्यय और लक्ष्य

सितम्बर, 1965 में राष्ट्रीय विकास परिषद् को प्रस्तुत चौथी योजना संसाधन, परिव्यय और कार्यक्रम दस्तावेज के ढांचे के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 की वार्षिक योजना तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त सूखे तथा विदेशी आक्रमण के कारण निर्मित तत्कालीन स्थितियों ने भी इसे प्रभावित किया।

वर्ष 1966-67 की वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 2082 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जबकि इससे पूर्व वर्ष में 2291 करोड़ रुपये वस्तुतः खर्च किये गये। इसके बाद, राज्य क्षेत्र में कतिपय समंजन किये गये जिनके परिणामस्वरूप स्वीकृत परिव्यय की राशि 2145 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1966-67 की वार्षिक योजना दस्तावेज में राज्य योजनाओं पर प्रस्तावित परिव्यय 932 करोड़ रुपये बताया गया है इस राशि को बाद में संशोधित कर 998 करोड़ रुपये कर दिया गया, यानी 66 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। बढ़ोत्तरी की ओर यह संशोधन, मुख्यतः वर्ष 1966-67 के दौरान राज्यों को लगभग 77 करोड़ रुपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित करने के कारण हुआ। इस प्रकार की सहायता जिन मदों के अन्तर्गत प्रदान की गई उनमें मुख्य ये हैं: छोटी सिंचाई, ग्रामीण बिजलीकरण, भूमि बन्धक बैंकों से ऋणपत्रों की खरीद और उपभोक्ता सहकार समितियों की स्थापना, इसके अलावा राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण भी राज्य परिव्ययों में संशोधन करना आवश्यक हो गया। बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के मामलों में मुख्यतः यह स्थिति परिलक्षित हुई।

केन्द्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य खर्च का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है तथा इसकी वर्ष 1966-67 के प्रस्तावित परिव्यय व वर्ष 1965-66 के वास्तविक खर्च के तदनुसार आंकड़ों से भी तुलना की गई है:

(करोड़ रुपये)

	1965-66	1966-67			
	खर्चा	मूलतः प्रस्तावित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	खर्चा	वृद्धि (+) या ह्रास (−) स्तम्भ (5) का स्तम्भ (4) पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
केन्द्र .	1105	1089	1089	1115	(+)26
राज्य .	1127	932	998	976	(−)22
संघ शासित प्रदेश .	59	61	58	46	(−)12
कुल .	2291	2082	2145	2137	(−)8

2—12PC/69

जहां केन्द्रीय मंत्रालयों ने स्वीकृत परिव्यय से 26 करोड़ रुपये अधिक खर्च किये वहां राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों ने 34 करोड़ रुपये कम व्यय किये। वर्ष 1966-67 के दौरान परिव्यय तथा खर्च का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध 2.1 में दिया गया है। संघ शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना अनुबन्ध 2.2 में दी गई है। राज्यों में स्वीकृत परिव्यय के खर्च का अनुपात हरियाणा और पंजाब (दोनों साथ लेकर) के 86 प्रतिशत तथा गुजरात के 110 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था। नौ राज्यों यानी, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में आंकड़े औसत 98 प्रतिशत से कम हैं और बाकी आठ राज्यों में ये आंकड़े औसत से अधिक दिखाये हैं।

संघ शासित प्रदेशों का जहां तक सम्बन्ध है यह अनुपात सबसे कम 55 प्रतिशत के लगभग दादरा और नगर हवेली में था अधिकतम 122 प्रतिशत चंडीगढ़ में था। कुल ग्यारह में से अन्य छः संघ शासित प्रदेशों में यह संख्या कम थी। ऐसे संघ शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और द्वीप, लकादीव, अमिन दीवी तथा मिनिकाय द्वीप-समूह, मणिपुर, नेफा और पांडिचेरी हैं।

वार्षिक योजना 1966-67 में कृषि कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तथा परिवार नियोजन और निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली आयात प्रतिस्थापना से सम्बन्धित परियोजनाओं/स्कीमों को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। सभी क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वीकृत अधिकांश परिव्यय की राशि पीछे से चली आ रही योजनाओं के सम्बन्ध में है। वर्ष 1966-67 के लिए विकास की व्यापक मदों के अन्तर्गत योजना व्यय का तथा तीसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान योजना व्यय का ब्यौरा पृष्ठ 13 पर दिया जा रहा है। अधिक व्यापक ब्यौरा अनुबन्ध 2.3 में दिया गया है।

योजना व्यय के क्षेत्रीय वितरण के विश्लेषण से विदित होता है कि कृषि, संगठित उद्योग तथा खनिज व बिजली के भागों में 1965-66 की अपेक्षा 1966-67 में सुस्पष्ट वृद्धि हुई है। 1965-66 में इन क्षेत्रों के खर्च का प्रतिशत क्रमशः लगभग 10,21 और 16 प्रतिशत था, परन्तु 1966-67 में यह बढ़कर क्रमशः 12,24 और 19 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान सिंचाई, सामुदायिक विकास और सहकार, परिवहन व संचार तथा ग्रामोद्योगों एवं लघु उद्योगों का व्यय भाग लगभग पूर्व-स्तर पर ही रहा। परन्तु समाज सेवाओं पर खर्च की गति मन्द पड़ गई और यह 18 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो गई। यहां पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि तीसरी योजना अवधि में चालू लेखा का योजना व्यय को 1966-67 में "वचन बद्ध" समझ कर गैर-योजना व्यय में अंकित करना था। इस कमी से शिक्षा (विशेषकर सामान्य शिक्षा), वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य, आवास व ग्रामीण विकास तथा श्रम एवं रोजगार मुख्यतः प्रभावित हुए। इस सम्बन्ध में परिवार नियोजन जिसे उच्चतम प्राथमिकता दी गई, एकमात्र अपवाद है, इस पर व्यय 1964-65 में 6 करोड़ रुपये हुए और 1966-67 में बढ़कर यह व्यय 14.8 करोड़ रुपये हो गया। यानी लगभग अढाई गुना की वृद्धि हुई।

वार्षिक योजना 1966-67 दस्तावेज में बताया गया था कि सीमित साधन होने के कारण उक्त वर्ष समाज सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण वृद्धि करना सम्भव न

योजना व्यय का क्षेत्रवार वितरण*
(1964-65, 1965-66 और 1966-67)

(करोड़ रुपये)

मख्य मद	1964-65 (वास्तविक खर्चा)		1965-66 (वास्तविक खर्चा)		1966-67		
					संशोधित परिव्यय	वास्तविक खर्चा	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कृषि कार्यक्रम . . .	175.61	8.9	231.04	10.1	285.47	253.87	11.9
सामुदायिक विकास और सहकारिता .	76.48	3.9	76.39	3.3	64.43	73.52	3.4
मुख्य और मझोली सिंचाई (बाढ़ नियंत्रण सहित)	149.12	7.5	174.59	7.6	139.71	143.99	6.7
बिजली	306.03	15.4	362.93	15.8	361.93	403.65	18.9
उद्योग व खनिज . . .	378.21	19.1	491.38	21.5	481.35	514.45	24.1
ग्रामोद्योग व लघु उद्योग . .	47.99	2.4	53.08	2.3	46.73	43.76	2.0
परिवहन व संचार . . .	506.20	25.5	474.73	20.7	431.26	423.68	19.8
समाज सेवायें . .	324.79	16.4	403.23	17.6	305.39	264.37	12.4
अन्य कार्यक्रम . . .	17.39	0.9	24.04	1.1	29.04	15.94	0.8
कुल .	1,981.82	100.0	2,291.41	100.0	2,145.31	2,137.23	100.0

*इस अध्याय में परिव्यय के जो आंकड़े दिए गए हैं वे क्षेत्रवार अध्यायों में इसी प्रकार दिये गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। यद्यपि अन्तर बहुत ही कम है। परन्तु फिर भी इसका कारण यह है कि दोनों प्रकार के आंकड़े अलग-अलग स्त्रोतों से प्राप्त किये गये हैं। उनमें तालमेल बिठाया जा रहा है।

हो सकेगा। परन्तु योजना के बाद के वर्षों में समाज सेवाओं पर किये जाने वाले खर्चे में वृद्धि करने की मंशा है ताकि मानवीय संसाधनों में विनियोजन से होने वाले व्यवधान की पूर्ति की जा सके।

वर्ष 1966-67 के संशोधित परिव्यय के अनुसार वास्तविक खर्चे में जो प्रमुख वृद्धि हुई वह बिजली (42 करोड़ रुपये) और उद्योग तथा खनिज (33 करोड़ रुपये) के क्षेत्रों में है। इस प्रकार जो मुख्य कटौती की गई वह समाज सेवायें (41 करोड़ रुपये) और कृषि उत्पादन (32 करोड़ रुपये) क्षेत्रों में है। बिजली के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य दोनों क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई इसका कारण तथा ग्रामीण बिजली के सम्बन्ध में बढ़ाये गये परिव्यय तथा अवमूल्यन के कारण अतिरिक्त निधि उपलब्ध करना है। इसी प्रकार, संगठित उद्योग और खनिज पर भी अधिक व्यय किया गया क्योंकि अवमूल्यन के कारण अतिरिक्त रुपयों के रूप में अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उर्वरक उद्योग आदि के क्षेत्र में कतिपय नई परियोजनायें शामिल करने के कारण भी थोड़ी बहुत वृद्धि करनी पड़ी। सामुदायिक विकास और सहकारिता के लिए 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा भूमि विधान बैंकों के डिबेंचरों के लिए दिये गए अंशदान से की गई थी यह राशि 8.55 करोड़ रुपये है जो मूल योजना में शामिल नहीं थी कृषि कार्यक्रमों के व्यय में 32 करोड़ रुपये की कमी हुई है यह कमी मुख्य रूप से कृषि उत्पादन में हुई है। समाज सेवा के क्षेत्र में हुई कमी को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अलावा सभी कार्यक्रमों में बांट दिया गया है। जल आपूर्ति और पिछड़े वर्गों के कल्याण की स्वीकृत व्यय-व्यवस्था और वास्तविक खर्चों में कोई अन्तराल नहीं है।

1966-67 के चुनींदा भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को दिखाने वाला एक विवरण परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है।

2. योजना की वित्त व्यवस्था

नीचे की सारणी में 1966-67 में सरकारी क्षेत्र में योजना के वित्तीय स्रोतों के मूल अनुमान, जून, 1967 में तैयार किये गए पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक परिणाम दिखाये गए हैं।

1966-67 में योजना परिव्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था

(करोड़ रुपये)

	मूल अनुमान (क)	जून, 1967 में तैयार किए गए पुनरीक्षित अनुमान (ख)	वास्तविक
1 योजना परिव्यय	2082	2221	2137
2 योजना परिव्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था			
1 घरेलू बजट के स्रोत			
1965-66 के कराधान की दर से चालू राजस्व से बचत (ग)	434	45(घ)	194(घ)

1965-66 के किराये और भाड़े की दर से रेलवे द्वारा अंशदान	34	(–)1	12
अन्य सरकारी उद्यमों से बचा हुआ योजना के लिए अतिरिक्त स्त्रोत जुटाने के लिए अपनाये गए तरीकों के अलावा राशि . .	218	144	151
अतिरिक्त कराधान, सरकारी उद्यमों से होने वाली बचत को बढ़ाने के तरीकों सहित			
(1) केन्द्र से (रेलवे सहित) (च)	140	139	137
(2) राज्यों से . .	51	18(च)	16(च)
जनता से ऋण (शुद्ध)	209	204	204
लघु बचत . .	135	125	118
स्वर्ण बांड, इनामी बांड और अनिवार्य जमा . .	1	2	2
बाधिकी जमा . .	35	22	28
आनंधिक ऋण .	88	85(छ)	83(छ)
प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां (शुद्ध)	111	203	215
राज्यों द्वारा अपनाये जाने वाले अन्य स्त्रोत . . .	34	..	..
कुल—1	1490	986	1160
2 विदेशी सहायता से संबंधित बजट प्राप्तियां			
(क) पी० एल०=480 के अधीन के अलावा . .	349	572	441(ज)
(ख) पी० एल०=480 की सहायता	229	323	347
कुल—2 .	578	895	788(ज)
3 कुल बजटीय स्त्रोत . .	2068	1881	1948
4 घाटे की वित्त व्यवस्था . .	14	340	189
5 योजना परिव्यय के कुल स्त्रोत .	2082	2221	2137

(क) मार्च, 1966 में प्रकाशित योजना आयोग के दस्तावेज "वार्षिक योजना 1966-67" में दिये गए संकेतानुसार ।

(ख) केन्द्र के बजट पेपरों में दिये गए पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार तथा मई-जून 1967 में राज्य सरकारों द्वारा दिये गए अंतिम अनुमान ।

(ग) 1965-66 में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बजट के बाद में अपनाये गए तरीकों से होने वाली अनुमानित आय सहित ।

(घ) योजना आयोग के "वार्षिक योजना 1966-67" के दस्तावेज में 1965-66 की कराधान दर से चालू राजस्व से बचत के अनुमान निकालने के लिए 1966-67

में भूमि राजस्व को दी गई रियायत के कारण हुई 2 करोड़ रुपये की हानि को घटा लिया गया है जब कि ऊपर की सारणी में इस अतिरिक्त कराधान के अन्तर्गत शुद्ध रूप से शामिल कर लिया गया है।

(च) अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर के पुनरीक्षण से होने वाली आय शामिल है। परन्तु घोषित सामान के बिक्री कर के परिवर्तनों से होने वाली आय शामिल नहीं है, जो राज्यों के अतिरिक्त कराधान में शामिल की गई है।

(छ) 1966-67 में राज्य भविष्य निधि से रेलवे पेंशन निधि में हस्तांतरित किये गए लगभग 6 करोड़ रुपये को गिने बिना।

(ज) सरकारी उद्यमों में विदेशी उद्योगपतियों द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये के निवेश सहित।

यह देखा जा सकता है कि 1966-67 में लगभग 2137 करोड़ रुपये की वास्तविक योजना के परिव्यय के मुकाबिले में केन्द्र और राज्यों के कुल घरेलू बजटीय स्त्रोत 1160 करोड़ रुपया है। विदेशी सहायता की बजट प्राप्तियां 788 करोड़ रुपये की है। योजना परिव्यय की शेष राशि लगभग 189 करोड़ रुपया घाटे की व्यय-व्यवस्था से पूरी की गई थी। केन्द्र और राज्यों के क्रमशः विस्तृत ब्यौरे परिशिष्ट 2.5 में दिखाये गए हैं।

योजना में प्रत्येक बड़े स्त्रोत के अंशदान के बारे में संक्षिप्त मत यहां नीचे दिये जा रहे हैं।

चालू राजस्व में बचत

1965-66 की कराधान दर से केन्द्र और राज्य सरकारों के चालू राजस्व से 1966-67 की योजना के लिए बचत मूलरूप से 434 करोड़ रुपये होने का अनुमान था परन्तु वास्तव में यह केवल 194 करोड़ रुपया ही हुई। मूल अनुमान के मुकाबले में बचत की कमी जून 1967 में किए गए अनुमान से भी कम थी।

मूल अनुमान के मुकाबले में 1966-67 के चालू राजस्व के बचत की कमी के कारणों की योजना आयोग ने 1967-68 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में विस्तार से चर्चा की है। संक्षेप में इस पर लगातार दो वर्षों तक मानसून की विफलता, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट, सरकारी कर्मचारी, स्कूल अध्यापक, स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि आदि तथा रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव है*।

केन्द्र में 1965-66 के कराधान पर से चालू राजस्व में बचत लगभग 101 करोड़ रुपया ही हुई जबकि मूल अनुमान 314 करोड़ रुपया था इस प्रकार 213 करोड़ रुपया कम बचत हुई।

*जैसा बाद में कहा गया है, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी सहायता से सम्बन्धित बजटीय प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई है।

इसका कारण मुख्यरूप से गैर योजना व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होना है। आयातित खाद्यान्न तथा उर्वरकों को आर्थिक सहायता देने तथा रुपये के अवमूल्यन किये जाने की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में इन सरकारी निर्णयों से 1966-67 में 134 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

ऋण सेवा लगभग 49 करोड़ रुपया बढ़ गई थी मुख्यरूप से अवमूल्यन हो जाने के कारण विदेशी ऋण का रुपये के रूप में सेवा-व्यय बहुत अधिक बढ़ गया था। इसके अलावा अनेक मदों के आयातित भण्डार और उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि के कारण गैर-योजना व्यय में वृद्धि हुई थी। खाद्यान्न और कृषि सम्बन्धी कच्चे माल की कमी के कारण रहन-सहन के खर्च में तेजी से वृद्धि हुई थी इसी के कारण सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ा था। दूसरी ओर राजस्व में, आयात कर से होने वाली आय और निगम कर की आय में मूल अनुमानों की अपेक्षा काफी गिरावट आई थी इसका कारण कम आयात होना तथा अर्थव्यवस्था में मंदी आने के कारण निगम की आय में भी कमी आ गई थी। यह कमी अवमूल्यन के बाद लगाये गए निर्यात कर की अतिरिक्त आय तथा केन्द्रीय राजस्व कर, आय कर ब्याज आदि के राजस्व के अनुमानों में वृद्धि की जाने पर भी अधिक थी, आयकर और उत्पादन कर से होने वाली आय में राज्यों के अंश में वृद्धि की जाने के बाद भी यह कमी ज्यादा थी।

राज्यों में 1965-66 की कराधान दर से चालू राजस्व से बचत मूल अनुमान से 27 करोड़ रुपया कम थी। देवी विपत्तियों से राहत दिये जाने के कारण राज्य सरकारों के व्यय में काफी कमी हुई थी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों, स्कूल अध्यापकों, स्थानीय निकायों के कर्मचारी आदि को महंगाई भत्ते दिये जाने के कारण भी राज्य के बजटों पर काफी अतिरिक्त बोझ पड़ा था। राज्य के करों की आय भी मूल में जो कल्पना की गई थी इससे कम थी इसका मुख्य कारण देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने के कारण कम भूमि राजस्व प्राप्त हुआ था। चालू राजस्व से बचत पर इन बातों का बुरा प्रभाव पड़ा था इसकी अंशतः पूर्ति केन्द्रीय करों से होने वाली आय में राज्यों के अंश में वृद्धि, दैविक विपत्तियों से राहत देने के लिए केन्द्र से मिलने वाले अनुदान तथा अन्य गैर-योजना कार्यों और राज्यों के बिना कर के राजस्व से हुई थी।

रेलवे का अंशदान

1966-67 में अपने विकास कार्यक्रम की वित्तव्यवस्था में रेलवे का अंशदान 1965-66 के भाड़े और किराये की से मूल में अनुमानित लगभग 34 करोड़ रुपया था। इसके मुकाबिले में वास्तविक अंशदान अनुमानितः केवल 12 करोड़ रुपया है जो लगभग 22 करोड़ रुपया कम है। इसका मूल कारण रेलवे की कुल आय में कमी होना था, 1966-67 में माल यातायात से राजस्व की आय में केवल 22 लाख मी० टन की वृद्धि हुई थी जब कि मूल अनुमान 120 लाख मी० टन की वृद्धि का था। रेलों के चालन खर्च में भी काफी वृद्धि हुई थी यह वृद्धि रेल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी, कोयला अन्य सामग्री के बढ़े हुए दाम तथा अनेक राज्यों में बिजली की दरों में वृद्धि के कारण हुई थी। परन्तु यह राशि चालू बदलाई के रेलवे के व्यय में कमी की जाने के प्रति संतुलन की अपेक्षा अधिक थी।

[अन्य सरकारी उद्यमों का अंशदान

1966-67 में केन्द्रीय सरकार के अन्य उद्यमों का अंशदान लगभग 98 करोड़ रुपये था जब कि मूल अनुमान 164 करोड़ रुपया था । इसका मुख्य कारण उत्पादन और बिक्री का कम स्तर होना तथा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, आयातित सामान के मूल्यों में वृद्धि और अवमूल्यन आदि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई थी।

राज्य सरकारों के उद्यमों का अंशदान, मुख्यरूप से राज्य बिजली बोर्डों का अंशदान लगभग 53 करोड़ रुपया था । यह राशि 1966-67 की वार्षिक योजना तैयार करते समय अनुमान लगाये स्तर के काफी निकट थी ।

अतिरिक्त स्रोत तैयार करना

1966-67 में अतिरिक्त स्त्रोत उपलब्ध करने के केन्द्रीय सरकार और रेलवे के मूल प्रस्ताव नीचे बताये गए अनुसार लगभग 140 करोड़ रुपये के थे :

(करोड़ रुपये)

	(1966-67 में अनुमानित आय)
क. केन्द्रीय बजट में घोषित साधन	
सीमा शुल्क	0.5
केन्द्रीय उत्पादन कर . . .	52.3
निगम कर	36.1
आय कर	24.5
सम्पत्ति कर	0.7
व्यय कर	(−)2.3
अन्त: राज्य बिक्री कर (क) . .	10.0
योग . .	121.8
ख. रेलवे बजट में घोषित माल भाड़े की दरों में वृद्धि .	18.1
कुल योग . .	139.9

(क) "घोषित सामान" के बिक्री कर में होने वाले परिवर्तनों की आय शामिल नहीं है, इसे राज्यों के अतिरिक्त कराधान में शामिल कर लिया गया है ।

बार बार केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई रियायतों से लगभग 7 करोड़ रुपये की हानि हुई थी इस हानि की आंशिक पूर्ति अंत: राज्य बिक्री कर की दर में वृद्धि करने से होने वाली आय में वृद्धि (मूल अनुमान से अधिक) से हुई थी ।

राज्यों में 1966-67 में अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अपनाये गए नए तरीकों से होने वाली आय अनुमानतः लगभग 18 करोड़ रुपया निम्न प्रकार से थी :

	(करोड़ रुपये)
	(1966-67 में आय)
भूमि पुनर्बंदोबस्त	0.2
वाणिज्यिक फसलों पर कर	0.3
राज्य उत्पादन करों में परिवर्तन	3.0
सामान्य बिक्री कर में परिवर्तन	
घोषित सामान पर लगाये गए बिक्री कर सहित	9.2
मोटर स्प्रिट पर बिक्री कर	0.2
मोटर तथा मुसाफिर एवं माल ढोने वाले वाहनों पर कर	1.0
बिजली कर और दरों का पुनरीक्षण	2.8
कच्चे पटसन पर क्रय कर	0.5
अन्य तरीके	0.8
कुल	18.0

मध्य प्रदेश और मद्रास सरकार ने भूमि राजस्व में कुछ रियायतें घोषित की थीं जिससे 1966-67 में लगभग 2 करोड़ और पूरे वर्ष में 3 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। इसलिए 1966-67 में राज्य सरकारों द्वारा जुटाये गए शुद्ध अतिरिक्त स्त्रोत लगभग 16 करोड़ रुपये के थे जब कि मूल अनुमान 51 करोड़ रुपये का था। 1966-67 में राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गए नये तरीकों से पूरे वर्ष की उपज इस वर्ष की प्रत्याशित उपज से बहुत अधिक होने की आशा थी। वृद्धि के रुख तथा भूमि राजस्व में दी गई रियायतों से होने वाली हानि को ध्यान में रखते हुए 1966-67 में राज्य सरकारों द्वारा जुटाये गए अतिरिक्त साधनों से 1967-68 की शुद्ध आय लगभग 23 करोड़ रुपया होने का अनुमान है।

यहां पर यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकारों ने 1965-66 में उस वर्ष का बजट तैयार किया जाने के बाद अपनाये गए अनेक साधनों से 1966-67 की वार्षिक योजना में अतिरिक्त साधन जुटाये थे। बजट के बाद अपनाये गए साधनों से 1966-67 की आय 54 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। इस आय को 1965-66 की कराधान दर से चालू राजस्व से बचत के अधीन किया गया है। इसलिए वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा जुटाये गए कुल अतिरिक्त साधन यद्यपि मूल में की गई परिकल्पना से काफी कम थे फिर भी बहुत अधिक थे।

सरकारी, अल्प बचत आदि से ऋण

सरकारी ऋण की वास्तविक प्राप्तियां मूल अनुमान से लगभग 5 करोड़ रुपया कम थीं। परन्तु अल्प बचत मद में यह कमी 17 करोड़ रुपये की थी इसका मुख्य कारण घरेलू परिव्यय और आय के स्तर में मंदी होना था। अनधिगत ऋण और वार्षिकी जमा की शुद्ध प्राप्तियां भी 1966-67 की वार्षिक योजना बनाते समय की गई कल्पना से काफी कम थीं।

प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां

1966-67 में शुद्ध प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां 215 करोड़ रुपये थी जब कि मूल अनुमान 111 करोड़ रुपया था। केन्द्र की वास्तविक शुद्ध प्राप्तियां मूल अनुमान से लगभग 12 करोड़

रुपया अधिक थी जब कि राज्यों में यह राशि 92 करोड़ रुपया अधिक थी। राज्यों में इस बड़ी प्रगति का कारण मुख्यरूप से राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न के भण्डार में काफी कमी किया जाना था जब कि 1966-67 की वार्षिक योजना बनाते समय इन भण्डारों में कुछ और वृद्धि किए जाने का अनुमान था। देवी विपत्तियों तथा अन्य गैर-योजना कार्यों के लिए केन्द्र से ऋण भी मूल अनुमानों में की गई जमा राशि से कुछ अधिक ही था।

विदेशी सहायता से सम्बन्धित बजट प्राप्तियां

1966-67 में विदेशी सहायता से सम्बन्धित बजट प्राप्तियों का मूल में 578 करोड़ रुपया होने का अनुमान था। इस वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों में यह राशि 893 करोड़ रुपया आंकी गई थी। मूल अनुमान में वृद्धि का मुख्य कारण जून, 1966 में रुपये के सममूल्य में परिवर्तन का होना था। 1966-67 के उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों में पुनरीक्षित अनुमान में पी० एल० 480 की सहायता में वृद्धि लक्षित हुई है इसका मुख्य कारण देश में खाद्य स्थिति खराब होने के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का आयात होना है। अन्य विदेशी सहायता के उपयोग में काफी कमी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप 1966-67 में विदेशी सहायता से सम्बन्धित कुल बजट प्राप्तियां वास्तव में लगभग 788 करोड़ रुपये थी जब कि पुनरीक्षित अनुमान 895 करोड़ रुपया था।

राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता

1966-67 में राज्य योजनाओं के लिए मूलरूप से आवंटित केन्द्रीय सहायता 509 करोड़ रुपये थी। लघु सिंचाई, ग्राम बिजलीकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए बाद में वृद्धि की जाने पर यह राशि 589 करोड़ रुपया होने की आशा थी*। अन्तिम प्राप्त सूचना के अनुसार 1966-67 में केन्द्रीय सहायता का वास्तविक उपयोग केवल लगभग 586 करोड़ रुपये का हुआ था।

राज्य योजनाओं के लिए 586 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के अलावा केन्द्र सरकार ने 1966-67 में राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक के ओवर ड्राफ्ट चुकाने के लिए 108 करोड़ रुपये के तदर्थ ऋण दिये थे**।

घाटे की वित्त व्यवस्था

जैसा कि शुरू में कहा गया है 1966-67 में केन्द्र और राज्यों को मिलाकर लगभग 189 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था की गई थी। यद्यपि यह राशि मूल वित्त व्यवस्था की स्कीम में परिकल्पित अनुमान से बहुत अधिक थी। फिर भी इस में पिछले वर्ष पहुंचे 400 करोड़ रुपये के स्तर से काफी गिरावट आई थी। इससे अर्थ व्यवस्था पर और भी अधिक दबाव पड़ा है।

---

*जून 1967 में तैयार किए गए पुनरीक्षित अनुमान में राज्यों के लिए सहायता 617 करोड़ रुपया थी। बाद में की गई जांच से पता लगा कि इस सहायता का कुछ अंश केन्द्रीय परियोजनाओं से सम्बन्धित जल आपूर्ति जैसी कुल विकास स्कीमों पर खर्च होता था। इसके अलावा पुनरीक्षित अनुमान में अवमूल्यन के कारण कुछ राज्य परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए मुश्त राशि भी शामिल थी।

**राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्टों की पुनर्अदायगी को घाटे की वित्त व्यवस्था के अनुमान तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

अध्याय 3

कृषि तथा ग्राम अर्थ-व्यवस्था

1. कृषि-उत्पादन

कृषि उत्पादन के लिए यह वर्ष प्रतिकूल था । 1966 में देश के अधिकांश भागों में कम वर्षा हुई । इसका खरीफ की खड़ी फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा रबी की फसलों की बोवाई पर भी इसका प्रभाव बुरा ही रहा । नवम्बर के मध्य में तथा दिसम्बर के प्रारम्भ में जो वर्षा हुई उसका सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रबी की फसलों पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा परन्तु उसके पश्चात् वर्षा न होने से विशेषकर जनवरी, 1967 में भी न होने के बाद तथा काफी ठण्ड पड़ने के कारण इन फसलों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । ऐसा विशेषकर उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम भारत में हुआ । उत्तर के कुछ क्षेत्रों में फरवरी, 1967 के तीसरे सप्ताह में फिर जो वर्षा हुई उसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा परन्तु मार्च, 1967 में बेमौसम भारी बारिश हुई तथा ओले गिरे, साथ ही काफी हवा भी चली जिसका कटाई के लिए तैयार कुछ क्षेत्रों की फसलों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

1965-66 में 720 लाख मीट्रिक टन तथा 1964-65 में 890 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 1966-67 में 750 लाख मीट्रिक टन अन्न उत्पादन हुआ । 1965-66 की तुलना में 1966-67 में तिलहन, कपास तथा जूट जैसी व्यापारिक फसलों के उत्पादन में सुधार हुआ परन्तु गन्ने के उत्पादन में काफी कमी हुई । यह बात नीचे की सारणी से स्पष्ट हो जाती है :

सारणी 1 : 1966-67 में मुख्य व्यापारिक फसलों के उत्पादन का अनुमान

फसल	एकक	1965-66	1966-67	
		वास्तविक	लक्ष्य*	वास्तविक उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तिलहन	दस लाख मीट्रिक टन	6.35	9.89	6.49
गन्ना (गुड़)	—वही—	12.10	12.69	9.49
कपास	180 किलो वजन की मिलियन गांठे	4.76	6.30	4.93
पटसन	—वही—	4.47	6.92	5.35

*1966-67 की वार्षिक योजना में दिए गए आंकड़ों के अनुसार।

1966-67 में उत्पादन में जो कमी हुई उसका मुख्य कारण खराब मौसम का होना है। व्यापारिक फसलों तथा खाद्यान्न फसलों की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने की लिए सघन नीति अपनाई गई है। राज्य सघन कार्यक्रमों के अंतर्गत कपास का 14.65 लाख एकड़ तथा मूंगफली का 5.28 लाख एकड़ क्षेत्र लाया गया। मूंगफली के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए जो केन्द्र संचालित कार्यक्रम चालू किया गया उसके अन्तर्गत 1.78 लाख एकड़ क्षेत्र आया। पटसन में पूरिया के छिड़काव के लिए जो केन्द्र संचालित कार्यक्रम चालू किया गया है उसके अन्तर्गत 2.90 लाख एकड़ क्षेत्र आया।

1966-67 में चुने हुए विकास कार्यक्रमों की प्रगति निम्न सारणी में दर्शायी गई है :

सारणी 2 : चुने हुए कार्यक्रम—लक्ष्य तथा उपलब्धि, 1966-67

कार्यक्रम	एकक	लक्ष्य	उपलब्धि
लघुसिंचाई*	मिलियन एकड़	3.4**	3.4**
कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण	—वही—	3.6	3.5
उन्नत किस्म की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	—वही—	7.00	4.66
रासायनिक उर्वरकों की खपत***	हजार मीट्रिक टन		
(क) नाइट्रोजिनियस (एन.)	—वही—	1008	840
(ख) फास्फेटिक (पी$_2$ओ$_5$)	—वही—	300	250
(ग) पोटासिक (के$_2$ ओ)	—वही—	140	115
शहरी कम्पोस्ट**	मिलियन मी० टन	4.2	3.7
हरी खाद*	मिलियन एकड़	26.1	20.0
पौध संरक्षण***	—वही—	63	60.0

*इसमें नई सिंचाई, पुरानी सिंचाई का स्थायीकरण, नाली व्यवस्था से लाभान्वित क्षेत्र, बाढ़/समुद्र जल संरक्षण योजनाएं सम्मिलित हैं।

**अतिरिक्त।

***अपेक्षित स्तर तक सफलता मिल चुकी है।

अधिक उपज वाली फसलों से सम्बन्धित कार्यक्रम में तथा रासायनिक उर्वरकों की खपत में कुछ कमी आई। पहले कार्यक्रम में कमी रहने के मुख्य कारण संकट बीज की कमी, ठीक तय पर जल न मिलना तथा प्रतिकूल मौसम थे। दूसरी ओर लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण तथा बांध संरक्षण में संतोषजनक प्रगति हुई।

वित्तीय परिव्यय

सारणी 3 में 1966-67 में केन्द्र, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा कृषि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित पुनरीक्षित परिव्ययों तथा वास्तविक खर्च का ब्यौरा दिया गया है :

सारणी 3 : कृषि क्षेत्र : परिव्यय—1966-67 : केन्द्र, राज्य तथा संघीय क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

विकास मद	परिव्यय संशोधित				वास्तविक खर्च			
	कुल केन्द्र	राज्य	संघीय क्षेत्र	कुल	कुल केन्द्र	राज्य	संघीय	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
कृषि उत्पादन . .	85.05	15.05	66.99	3.01	62.15	13.70	47.07	1.38
आयकर विकास . .	5.21	1.20	4.01	—	4.73	1.20	3.53	—
लघु सिंचाई . .	87.94	2.17	84.89*	0.88	106.57	2.17	104.02	0.38
भूमि संरक्षण . .	28.87	3.50	24.66	0.71	30.17	3.80	26.04	0.33
पशु-पालन . .	16.33	1.57	13.65	1.11	11.96	1.57	10.00	0.39
दुग्ध उद्योग तथा दुग्ध संभरण	9.47	0.43	8.78	0.26	7.13	0.43	6.63	0.07
वन . . .	16.61	3.12	12.04	1.45	12.83	2.82	8.93	1.08
मत्स्य क्षेत्र . .	11.58	2.68	8.25	0.65	10.62	2.93	7.32	0.37
भंडारण विपणन तथा स्टोरेज	6.70	5.00	1.61	0.09	7.70	6.98	0.69	0.03
कुल : कृषि कार्यक्रम	267.76	34.72	224.88	8.16	253.86	35.60	214.23	4.03

*वर्ष के दौरान मंजूर किया गया 22.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय इसमें सम्मिलित नहीं है ।

सामान्य रूप से केन्द्र द्वारा किये गय खर्च से संतोषजनक प्रगति हुई। राज्य क्षेत्र में, सूखे की स्थिति के कारण लघु, सिंचाई कार्यक्रम को और तेज किया गया परन्तु फिर भी कृषि उत्पादन में कमी रही जिसका मुख्य कारण योजनाओं का देर से मंजूर होना था।

अधिक उपज वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम

आलोच्य वर्ष में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास धान, गेहूं, मक्का, ज्वार तथा बाजरे की अधिक उपज वाली किस्मों के उपयोग के कारण हुआ। इन किस्मों पर उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रभाव पड़ता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीफ के मौसम में 18.2 लाख एकड़ क्षेत्र आया तथा रबी। ग्रीष्म मौसम में 28.4 लाख एकड़ क्षेत्र आया जबकि खरीफ में 26.5 लाख एकड़ तथा रबी। ग्रीष्म में 44.3 लाख एकड़ क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था। फसल-वार स्थिति निम्न प्रकार है :

सारणी 4 : अधिक ऊपज वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रगति—1966-67

(लाख एकड़)

फसल	खरीफ		रबी/ग्रीष्म	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धान . . .	15.40	12.58	17.15	9.37
मक्का . . .	4.90	3.42	4.42	1.71
ज्वार . . .	3.40	1.17	5.86	8.54
बाजरा . . .	2.80	1.01	0.93	0.44
गेहूं . . .	—	—	15.93	13.36
कुल . . .	26.50	18.18	44.29	28.42

खरीफ के मौसम में 258 जिलों के लगभग 1,747 खण्डों में यह कार्यक्रम चालू किया गया। यद्यपि अधिक उपज वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम को यथासंभव सघन कृषि जिला कार्यक्रम तथा आई० ए० ए० पी० तक ही सीमित करने का विचार था तथापि कुछ राज्यों ने इसे कई गैर संघन जिलों में भी चलाया। इस प्रकार यह कार्यक्रम एक बड़े क्षेत्र में चलाया गया। फलस्वरूप कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षण की समस्याएं सामने आई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान मौसम में कई राज्यों में कीड़ों का प्रकोप रहा।

कई राज्यों में परम्परागत किस्मों की तुलना में अधिक उपज वाली किस्मों की अच्छी स्थिति रही। 1966 में खरीफ की फसल के अतर्गत ताइचंग नेटिव–1 धान की प्रति एकड़ पैदावार 3,000 पौंड से 6,500 पौंड प्रति एकड़ हुई। मद्रास में ए० डी० टी०–27 किस्म का धान लग-भग 2.80 लाख एकड़ में बोया गया था। इसका उत्पादन बहुत अच्छा हुआ जो 4,000 पौंड से 5,000 पौंड के बीच रहा। राज्य के कुछ क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन 8,500 पौंड प्रति एकड़

से 9,200 पौंड प्रति एकड़ रहा। ज्वार, बाजरा तथा मक्का को संकर खेती से भी अच्छी फसल पैदा हुई। ज्वार का प्रति एकड़ सबसे अधिक उत्पादन 4,500 पौंड, बाजरे की 5,330 पौंड तथा मक्का का 5,000 पौंड हुआ। 1966 की खरीफ की तुलना में 1966-67 की रबी/ग्रीष्म के मौसम में धान, संकर ज्वार, बाजरा तथा मक्का की अधिक उपज वाली किस्मों की पैदावार अच्छी हुई। सभी राज्यों में मैक्सिकन किस्म के गेहूं की अच्छी पैदावार हुई।

बलवर्धक साधनों का संभरण

यद्यपि उर्वरकों की पर्याप्त पूर्ति के लिए हर प्रयास किया गया तथापि देश के अन्दर उत्पादन की कमी के कारण सभी राज्यों की मांग पूरी न हो सकी। सुपर फास्फेट के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बाधा फास्फेट—मिट्टी की कमी का होना था। 1966-67 में शहरी कम्पोस्ट का उत्पादन लगभग 37 लाख मीट्रिक टन हुआ। लगभग 600 रिंगण-ट्रैक्टरों तथा 1,000 विद्युत टिलरों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई।

आलोच्य वर्ष में 14 केन्द्रीय संयंत्र संरक्षण केन्द्रों ने राज्यों को विभिन्न प्रकार के कीड़ों तथा बीमारियों का नियंत्रण करने में सहायता की। इस कार्य के लिए इन्होंने ऋण पर 25,000 से अधिक पौध संरक्षण मशीनें तथा 84,308 किलोग्राम तथा 3,276 लिटर कीटनाशक दिए। इन केन्द्रों ने 11,794 व्यक्तियों को पौध संरक्षण पद्धतियों तथा तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया तथा मानव शक्ति से तथा विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों को 13 प्रदर्शनियों में भाग लिया। पौध संरक्षण, संगरोध तथा भंडारण निदेशालय में वायुयान ने कुछ राज्यों में कपास, ज्वार, गन्ना, मूंगफली तथा गेहूं के 84,710 हैक्टर से भी अधिक क्षेत्र पर कीड़ों तथा बीमारियों के बचाव के लिए छिड़काव किया। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल को कीड़ों के आक्रमण से बचाने के लिए नए कीटनाशकों के प्रदर्शन तथा क्षेत्र परीक्षण का कार्यक्रम चालू किया गया तथा सुरक्षित भंडारण पद्धतियों के बारे में बताया गया 4.95 लाख एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में हवाई छिड़काव किया गया। अधिक उपज वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम वाले जिलों के लिए 75 चलती फिरती पौधा संरक्षण गाड़ियों की विशेष व्यवस्था की गई।

लघु सिंचाई

लघु सिंचाई कार्यों से 34 लाख एकड़ क्षेत्र लाभान्वित हुआ। कई राज्यों में सूखाग्रस्त स्थिति होने के कारण इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के लिए 22.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। जिन राज्यों के लिए अतिरिक्त व्यय-व्यवस्था में से अधिक राशि मंजूर की गई उनमें ये हैं—उत्तर प्रदेश (5.10 करोड़ रुपये), मद्रास तथा महाराष्ट्र (प्रत्येक को 2.75 करोड़ रुपये), बिहार (2.70 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (2.3 करोड़ रुपये), मध्यप्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश (प्रत्येक को 1.75 करोड़ रुपये) तथा राजस्थान (1.30 करोड़ रुपये)। बिहार तथा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सूखाग्रस्त राज्य थे। इन राज्यों में वार्षिक योजना में मूलतः निर्धारित लघु सिंचाई कार्यक्रम की तुलना में व्यवहारतः अधिक बड़ा कार्यक्रम चलाया गया।

भूमि विकास बैंकों के माध्यम से यथासंभव खात-कूपों, पम्प-सेटों इत्यादि के लिए ऋण की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया । कृषि पुनर्वित्त निगम ने भी इस प्रकार के कार्यों के लिए कुछ शर्तों पर धन देना स्वीकार किया है । जल की अत्यन्त आवश्यकता के समय सहायक सिंचाई की व्यवस्था के लिए वर्तमान बड़े—माध्यम परियोजना क्षेत्रों में नए कुओं तथा निजी नलकूपों का निर्माण किया गया। कम-से-कम खर्च पर अधिक से अधिक पम्प-सेटों को शक्ति चालित करने के लिए बिजली के पम्प-सेटों तथा ग्राम बिजलीकरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को साथ साथ कार्यान्वित किया गया। आलोच्य वर्ष में लगभग 1,44,000 पम्पसेटों को बिजली दी गई । विभिन्न राज्यों में केन्द्र संचालित कार्यक्रम के रूप में भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्यक्रम चालू किया गया ।

जल-उपयोग

कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से बड़ी, मध्यम तथा लघु-सिंचाई की क्षमता का अधिक दक्षता के उपयोग करने के लिए परियोजना के ऐसे आपष्ट क्षेत्र में समेकित मार्गदर्शी परियोजनाएं चालू की गई जहां अपेक्षित स्तर तक जल उपयोग करना था । उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नहरों तथा राज्य नलकूपों से सींचे जाने वाले क्षेत्रों के लिए तथा मैसूर के बेलारी जिले में तुंगभद्रा नहर से सींचे जाने वाले क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की दो परियोजनाएं बनाई गई । अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की परियोजनाएं चालू करने की बात विचाराधीन है। इन मार्गदर्शी परियोजनाओं के अतिरिक्त नव राज्यों में सामान्य अयाकट विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनके लिए राज्य योजनाओं में व्यय-व्यवस्था की गई है ।

कृषि उद्योग निगम

असम, महाराष्ट्र, बिहार, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के निगमों की स्थापना हो चुकी है । इन निगमों को अंश-पूंजी में केन्द्र द्वारा 100 लाख रुपये का अंशदान किया गया तथा राज्य सरकारों द्वारा भी इतनी ही राशि की व्यवस्था की गई । इन निगमों को अन्य कार्यों के साथ-साथ मशीनों की किराया खरीद भी करनी थी । महाराष्ट्र के निगम ने एक दाने दार उर्वरक का कारखाना तथा एक सुपर-फास्फेट का कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है ।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

मरुभूमि के विकास के लिए योजनाएं बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सात सदस्यों के एक मरुस्थल बोर्ड का गठन किया गया । अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विकास कार्य चालू करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के शीघ्र विकास के लिए विस्तृत मार्गदर्शन कार्यक्रम तैयार किया गया । राजस्थान के चम्बल क्षेत्र में तथा मध्य प्रदेश में जलावरोध तथा क्षारीयता की समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सुन्दरबन के विकास, मैसूर में मालनद के विकास, केरल में कुट्टानाड क्षेत्र में भूमि के सुधार, महाराष्ट्र में छोटे

काश्तकारों के लाभ के लिए समेकित क्षेत्र कार्यक्रम तथा राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास जैसे कुछ विशेष क्षेत्रीय योजनाएं तैयार की जा रही है।

ऋण संभरण

अधिक उपज वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सहकारी बैंकों को कुल 31 करोड़ रुपये तक विशेष ऋण देना मंजूर किया। परन्तु प्रक्रिया तथा अन्य कठिनाइयों के कारण इस राशि का बहुत कम उपयोग किया गया। अल्पावधि तथा मध्यम अवधि के ऋणों के रूप में 365 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। सहकारी ऋण के अनुपूरक के रूप में लगभग 60 करोड़ रुपये का तकावी ऋण दिया गया। उर्वरकों की खरीदारी के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने किसी भी समय 50 करोड़ रुपये तक का ऋण मंजूर करना स्वीकार किया है। आलोच्य वर्ष में भूमि विकास बैंकों ने 1965-66 में 58 करोड़ की तुलना में 60 करोड़ रुपये का दीर्घावधि ऋण दिया।

मध्यम तथा दीर्घावधि की कुछ विशेष परियोजनाओं के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम ने भी पर्याप्त सहायता दी है। इसने दस राज्यों में 42 योजनाएं मंजूर की जिनके लिए मार्च, 1967 तक 43.29 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था की गई। इन योजनाओं में 15 केवल 1966-67 में मंजूर की गई। इनके लिए 8.53 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त व्यवस्था की गई।

भंडारण तथा भंडागार

1966-67 में धान की कमी तथा निर्माण कार्यक्रमों पर लगाए गए नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किसी भी नए भंडार का निर्माण कार्य हाथ में नहीं लिया। लेकिन 3.95 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता की व्यवस्था करने के लिए जो कार्यक्रम पहले से चल रहा था उसे आलोच्य वर्ष में भी रखा गया। इसके अतिरिक्त 1966-67 में 56.700 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता पैदा की गई। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंग के रूप में केन्द्रीय भंडारण निगम ने वर्ष के दौरान 13,400 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता पैदा की जाए तथा 'कैश कार्यक्रम' के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में 1,44,663 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता तथा 'अपात कार्यक्रम', के अंतर्गत असम में 10,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता पैदा की। भारतीय खाद्य निगम ने आलोच्य वर्ष में 1.45 लाख मीट्रिक टन क्षमता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम चालू किया।

कृषि अनुसंधान

इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में विभिन्न वस्तुओं पर समन्वित अनुसंधान हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए कदम उठाना है। कई राज्यों में अनुसंधान संस्थानों, सरकारी कृषि विभागों तथा कार्यरत क्षेत्र कर्मचारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम एकक स्थापित किए जाने की आशा थी। क्षेत्र कार्यान्वयन में अनुसंधान के निष्कर्षों की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अनुसंधान संस्थान कृषि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के बारे में पहले से ही जानकारी पा सकें।

2. वन तथा भूमि संरक्षण

भूमि संरक्षण

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य एवं उत्पादनशील निवेश के रूप में 1966-67 में भूमि संरक्षण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। विभिन्न राज्यों में लगभग 250 भूमि संरक्षण योजनाएं चालू की गई जिनके अन्तर्गत लगभग 35 लाख एकड़ कृषि तथा 1.34 लाख एकड़ वन व चरागाह क्षेत्र आया है। इसके अतिरिक्त लगभग 32,000 एकड़ गहरी भूमि तथा इतनी ही रेहीली तथा क्षारीय भूमि का सुधार किया गया।

नदी घाटी परियोजनाओं के अपवाह क्षेत्रों में भूमि संरक्षण की केन्द्र संचालित योजना के अन्तर्गत 2 लाख एकड़ से भी अधिक क्षेत्र पर भूमि संरक्षण का कार्य किया गया। अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत लगभग 13.48 लाख एकड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। नदी घाटी परियोजनाओं के अपवाह क्षेत्रों में अधिक कटाव वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हवाई चित्रों का अध्ययन किया गया ताकि प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य किया जाय। भूमि संरक्षण अनुसंधान, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में क्षेत्रीय अनुसंधान तथा भूमि तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों की सहायता के लिए आधार भूत आंकड़ों के संकलन के काम को और तेज किया गया। वर्ष के दौरान लगभग 100 अधिकारियों तथा 200 सहायकों को भूमि संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया।

वन

1966-67 में राज्य सरकारों ने जिन महत्वपूर्ण वन विकास कार्यक्रमों को हाथ में लिया उनमें अन्यों के साथ ये भी सम्मिलित हैं—आर्थिक लाभ वाले पौधों का अधिक से अधिक लगाया जाना, निम्न श्रेणी के वनों का बसाया जाना, वन-संचार का सुधार, वन, अनुसंधान तथा वन संरक्षण उपाय।

लकड़ी की पूर्ति पर आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शीघ्र तैयार होने वाले वन लगाने के लिए चालू की गई केन्द्र संचालित योजना ने भी संतोषजनक प्रगति हुई। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में लगभग 1.2 लाख एकड़ में वृक्षारोपण किया गया। चुने हुए क्षेत्रों में लकड़ी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कम खर्च पर वह कच्चे माल की खोज के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से वन-साधनों के पूर्व-निवेश के लिए अप्रैल 1965 में एक योजना चालू की गई।

संयुक्त राष्ट्रविशेष निधि की सहायता से 1965 में लग के काम में प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्रों की स्थापना के लिए चलाई गई योजना ने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति की। मार्च, 1967 के अन्त तक लकड़ी के काम से संशोधित आधुनिक उपकरणों के उपयोग में 183 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। वन-अनुसंधान संस्थान, देहरादून में वनों तथा उत्पादनों के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान चालू रखा गया। आलोच्य वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रगति यह हुई कि केन्द्र तथा राज्यों में वन विभागों में सांख्यिकीय सेल की स्थापना की गई।

3. पशुपालन, दुग्ध-उद्योग तथा मत्स्य क्षेत्र

पशुपालन

कृषि-उत्पादन के लिए सघन कार्यक्रम के रूप में क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया गया ताकि पशुपालन, भेड़ पालन, सुअरपालन तथा मुर्गीपालन में सुधार हो सके। किसानों को आवश्यक विपणन-प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रत्येक सघन पशु विकास परियोजना को मुख्य दुग्ध संयंत्र के साथ मिलाया गया। वर्ष के दौरान तीन सघन पशु विकास परियोजनाएं चालू की गई जिससे इस प्रकार की कुल परियोजनाएं 22 हो गई। चिपलिमा (उड़ीसा) में एक विशाल केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म खोलने के लिए मंजूरी दी गई। अन्य दो फार्मों के लिए भी जगह चुनी गई। पांच नए मुख्य ग्राम खण्ड खोले गये तथा वर्तमान छः खण्डों का विस्तार किया गया। बछड़ों के पालन से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत हरिघाट तथा आर्य मिल्क कालोनियों से निःशुल्क वितरण के लिए 1,064 भैंस के कटड़े तथा 1,046 हरियाणा किस्म के बछड़े लिए गए। सरकारी पशुधन फार्म, हिसार ने साल भर में लगभग 300 सांड दिए।

क्षेत्रीय मुर्गीपालन फार्मों ने लगभग 22.2 लाख अण्डों का उत्पादन किया तथा प्रजनन के लिए 5.7 लाख चूजों का वितरण किया। इसके अतिरिक्त प्रजनन तथा पालनहेतु उपकरण खरीदने के लिए लगभग 384 किसानों को आर्थिक सहायता दी गई तथा 369 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। चंडीगढ़ तथा पूना में दो मुर्गीपालन प्रसाधन संयंत्र पूर्ण होने वाले हैं।

अलीगढ़ तथा हारिघाट में क्षेत्रीय शूकर-प्रजनन केन्द्र तथा शूकर-मांस के कारखानों ने अच्छी प्रगति की है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में एक-एक शूकर-मांस के कारखाने स्थापित होने वाले थे। उन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत 695 नर तथा मादा सुअर वितरित किए गए।

संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से राजस्थान में भेड़ों की ऊन काटने का कार्यक्रम, ऊन के वर्गीकरण का कार्यक्रम तथा विपणन का कार्यक्रम चलता रहा। दो ऊन वर्गीकरण तथा विपणन केन्द्रों तथा 127 भेड़ों की ऊन काटने के केन्द्रों की स्थापना की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़िया ऊन उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया जिस में विजातीय भेड़ों तथा स्थानीय भेड़ों का संक्रमण किया गया।

पशुमहामारी उन्मूलन कार्यक्रम में भी सतत प्रगति होती रही है। वर्ष के दौरान 110 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बचाव के लिए लगभग 1.50 लाख पशुओं को टीके लगाए गए। विभिन्न बैक्सीन उत्पादन केन्द्रों पर बैक्सीन की लगभग 350 लाख खुराक का उत्पादन हुआ।

दुग्ध उद्योग तथा दुग्ध-संभरण

हैदराबाद तथा मदुराई में दो बड़े दुग्ध संयंत्रों तथा बरेली, कोल्हापुर, नासिक, पालघाट तथा तिचिरापल्ली में पांच मध्यम दर्जे के संयंत्र खोलने से चालू दुग्ध संयंत्रों की कुल संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है। इसमें 37 दुग्ध संभरण योजनाएं, 4 दुग्ध उद्योग संयंत्र तथा 3 क्रीमरी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 43 और दुग्ध सम्भरण योजनाओं का काम चल रहा है।

इसमें 12 दुग्ध संयंत्र स्वीडिस तथा 6 डेनिस ऋण कार्यक्रमों के अन्तर्गत तैयार हो रहे हैं। विभिन्न दुग्ध सम्भरण योजनाओं की कुल दुग्ध सम्भरण क्षमता 13 लाख लिटर से बढ़कर 15.5 लाख लिटर प्रतिदिन हो गई है। आनन्द, अमृतसर, मेहसाना तथा राजकोट की फैक्ट्रियों में प्रतिदिन लगभग 18 मीट्रिक टन दूध का चूर्ण तैयार हुआ। डेनिस खाद्य ऋण के अन्तर्गत दूध के चूर्ण के आयात के लिए 2.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इससे 3,500 मीट्रिक टन दूध का चूर्ण प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना सतत प्रगति करती रही। इसके द्वारा कुल 727 लाख लिटर दूध का वितरण हुआ। यहां से सुरक्षा सैनिकों की 94 यूनिटों को दूध जाता रहा है।

मत्स्य क्षेत्र

वर्ष के दौरान मछली पकड़ने की लगभग 800 नावों का यंत्रीकरण किया गया तथा 500 और डीजल इंजनों के आयात की व्यवस्था की गई। लगभग 485 देसी इंजनों का निर्माण किया गया। वर्ष के अन्त तक कुल यंत्रीकृत नावों की संख्या लगभग 6000 हो गई। मत्स्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इन्डो-नार्वे परियोजना के अन्तर्गत नार्वे से तीन बड़े मछवा जहाज प्राप्त हुए। अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में मछली के बीज-उत्पादन, मत्स्य फार्मों के निर्माण, तालाबों में मछलीपालन के विकास तथा बर्फ तथा शीत भण्डार संयंत्रों की स्थापना तथा परिवहन सुविधाओं से सम्बन्धित योजनाओं की भी सतत प्रगति हुई। रेफ्रिजेटर वाले छः रेल के डिब्बों, 25 बर्फ के संयंत्रों, 19 शीत भण्डारगारों, 6 अन्तरकूलरों तथा जमाने वाले 4 संयंत्रों की स्थापना हुई। वेरावल जफराबाद (प्रथम चरण) तथा नावाबुन्दर (गुजरात), कागलहिमी (मैसूर), नागपटनम् (मद्रास), अझिकोडे तथा पोन्नानी (केरल) तथा काकिन्डा (आन्ध्र प्रदेश) में आठ मत्स्य बन्दरगाहों का निर्माण हुआ। अन्य 11 बन्दरगाहों का निर्माण हो रहा है।

4. सहायक अन्न तथा व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम

सहायक अन्न

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के तीन खान-पान प्रोयोगिकी तथा व्यावहारिक पोषण संस्थान तथा नई दिल्ली का होटल प्रबन्ध, खान-पान तथा पोषण संस्थान डिप्लोमा दस्तकारी तथा हाउसवाइव्ज का प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। इन संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लगभग 120 विद्यार्थी तथा दस्तकारी के लगभग 550 विद्यार्थी अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले थे। इसके अतिरिक्त बेकरी, पाक-कला तथा डिब्बाबन्दी का अल्पावधि पाठ्यक्रम भी लगभग 300 हाउसवाइव्ज पास कर चुकी हैं।

कालामसरी (केरल), बैंगलोर (मैसूर) पंजी (गोवा) तथा लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में चार खाद्य दस्तकारी केन्द्र खोले जा रहे हैं। ये केन्द्र खाद्य व्यापार तथा खाद्य दस्तकारी में प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त विभिन्न खाद्य उद्योगों को खाद्य विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे।

वर्ष के दौरान विभिन्न सघन कृषि जिला कार्यक्रम के क्षेत्रों में स्थापित सात आधुनिक चावल की मिलों ने पूरी क्षमता से काम चालू कर दिया है।

मिलों का प्रारम्भिक अध्ययन करने से यह विदित हुआ है कि जिन मिलों ने आधुनिक तकनीक अपनाई है उनका उत्पादन मात्रा एवं गुण दोनों रूपों में अच्छा है। ब्यौरेवार मूल्यांकन का कार्यक्रम चालू है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया सरकार ने उपहार स्वरूप छ : स्वचालित आधुनिक बेकरियां देने का प्रस्ताव किया है। अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, इदापल्लाय (केरल) तथा मद्रास में इन बेकरियों को स्थापित करने तथा इन्हें चालू करने के लिए अक्तूबर, 1965 में 'मार्डन बेकरीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी का पंजीकरण किया गया जिसकी अधिकृत अंश पूंजी एक करोड़ रुपये है। बेकरी-भवन निर्माण के लिए जगह छांटी गई तथा बम्बई तथा मद्रास में भवन-निर्माण कार्य काफी आगे पहुंच चुका है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उपहार स्वरूप कनाडा सरकार ने भी तीन स्वचालित बेकरियां देने का प्रस्ताव किया था जिनको हैदराबाद, कानपुर तथा चंडीगढ़ में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। बेकरी के सुनिश्चित तथा वैज्ञानिक आधार पर विकास के लिए परियोजना उचित कीमत पर अच्छी किस्म की पोषक डबलरोटी की व्यवस्था करना चाहती है।

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम

1966-67 के अन्त में जिन 362 खण्डों में कार्यक्रम चालू था उनमें से 221 खण्डों में तीसरी योजना अवधि में तथा 141 में प्रतिवेदित वर्ष में यह कार्यक्रम चालू किया गया था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लघु सिंचाई बागवानी मत्स्य क्षेत्र तथा मुर्गीपालन विकास मद जैसे शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय-व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि वे कृषि क्षेत्र में प्रत्येक विकास शीर्षक के लिए निर्धारित राशि को राज्य बजट में "व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम" शीर्षक के अन्तर्गत एक साथ दर्शायें।

इस कार्यक्रम के मुख्य अंग बागवानी, मत्स्य क्षेत्र तथा मुर्गीपालन हैं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना में साधन जुटाए जाते हैं। साथ ही कार्यक्रम के उपर्युक्त अंगों के लिए प्रत्येक योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जाती है। परन्तु सहयोगी संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता तथा स्कूल के आधार पर किए जाने वाले कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता जैसे कार्यक्रम के कई अन्य आवश्यक मद योजना में सम्मिलित नहीं रहते तथा उनके लिए योजना में सहायता की व्यवस्था भी नहीं की जाती। कमी को दूर करने के लिए 1966-67 से चालू व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम वाले प्रत्येक खण्ड को 17,000 रुपये प्रति वर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। हां इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकारों को भी करनी होगी।

5. सहकारिता

योजना के अन्तर्गत जिन मुख्य सहकारिता विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है वे सहकारी ऋण प्रणाली के सुधार, सहकारी विपरण तथा माल तैयार करने के कार्यक्रम पर बल, उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के संगठन, सहकारी समितियों तथा बैंकों के

कर्मचारियों की वृद्धि तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा गैर-सरकारी तथा प्रबन्ध कर्मचारियों की शिक्षा से सम्बन्धित हैं।

सहकारी ऋण

सहकारी ऋण के सम्बन्ध में ये कार्यक्रम चालू करने का विचार है—सहकारी ऋण की सुविधा अधिक कृषकों को पहुंचाने का कार्यक्रम, प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को फिर से जीवित करने के लिए सघन कार्यक्रम, सहकारी बैंकों तथा समितियों के साधनों की वृद्धि का कार्यक्रम ताकि वे कृषि उत्पादन के लिए अधिक ऋण दे सकें। 1965-66 में सहकारी समितियों ने अल्पावधि तथा लगभग मध्यम अवधि ऋण के रूप में 345 करोड़ रुपये का ऋण दिया। 1966-67 में इस प्रकार का ऋण बढ़कर लगभग 365 करोड़ रुपये हो गया। प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को फिर से जीवित करने से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी समितियों को मिला कर बनाई गई जीवनक्षम एवं जीवन क्षम होने में समर्थ समितियों को वैतनभोगी प्रबन्धक नियुक्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। 1966-67 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 11,000 समितियों को लिया गया। केन्द्रीय सहकारी बैंकों को लगभग 150 शाखाएं खोलने के लिए सहायता दी गई।

सहकारी बैंकों की स्थायीकरण निधि को बढ़ाने से सम्बन्धित योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को 6.77 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। रिजर्व बैंक ने 4·82 करोड़ रुपये की पूरक सहायता दी। इस सहायता से सहकारी समितियां अपने अल्पावधि ऋणों की मध्यम अवधि के ऋणों में बदलने तथा उत्पादन के लिए नए सिरे से धन व्यवस्था करने में समर्थ हुए। दीर्घावधि ऋण के रूप में भूमि विकास बैंकों ने 1965-66 में 58 करोड़ रुपये की तुलना में 1966-67 में 60 करोड़ रुपये का ऋण दिया। भारत सरकार ने भूमि विकास बैंकों को 8.55 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए ऋणपत्र कार्यक्रम चालू करने के लिए प्रत्यक्ष सहायता दी।

विपणन तथा माल तैयार करना

तीसरी योजना के अन्त तक सभी द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण बाजार प्रारम्भिक सहकारी विपणन समितियों के अन्तर्गत आ गए। सहकारी विपणन व्यवस्था में राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ तथा कुछ राज्यों में 162 जिला स्तर की विपणन समितियों के अतिरिक्त 20 राज्य स्तर की विपणन समितियां सम्मिलित हैं। 1966-67 में विपणन व्यवस्था को समेकित करने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों ने विपणन समितियों की अंश पूंजी के लिए 144 करोड़ रुपये दिए। साथ ही राज्य सरकारों ने विपणन समितियों को प्रबन्ध कर्मचारियों की भर्ती के लिए तथा वर्गीकरण एककों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी तथा परिवहन की गाड़ियां खरीदने के लिए ऋण दिया। वर्ष के दौरान 635 नए ग्राम भण्डारों तथा विपणन केन्द्रों पर 148 नए भण्डारों के निर्माण के लिए विपणन समितियों तथा ग्राम सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दी गई। 31 मार्च, 1967 तक सहकारी क्षेत्र में भण्डारण की कुल क्षमता 25 लाख मीट्रिक टन थी। सहकारी समितियों द्वारा कृषि उत्पादन के विपणन की लागत 1960-61 में 174 करोड़ रुपये से बढ़कर 1966-67 में 314 करोड़ रुपये हो गई।

चीनी के लाइसेंस प्राप्त कारखानों की संख्या 1966-67 तक बढ़कर 76 हो गई जो 1964-65 के अन्त तक 65 थी। इनमें से 54 में 1966-67 में उत्पादन होना चालू हो गया । कपास, धान, तिलहन, पटसन आदि के लिए मार्च, 1967 के अन्त तक माल तैयार करने वाले 1947 एककों का गठन किया गया । वर्ष 1966-67 के दौरान कुल एककों में से 49 एककों को सहायता दी गई। वर्ष के दौरान निर्यात का कृषि माल तयार करने वाले एककों की स्थापना तथा सहकारी क्षेत्र में चावल की मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक केन्द्र संचालित योजना चालू की गई। इस योजना के अन्तर्गत 3 फल तथा सब्जी के एककों, 3 धान की भुसी के तेल के संयंत्रों तथा 3 आधुनिक चावल की मिलों को सहायता दी गई । इसके अतिरिक्त 17 एककों को भी पर्याप्त सहायता दी गई। 1966-67 के दौरान 27 नए सहकारी शीत भण्डार खोलने के लिए भी सहायता दी गई। वर्ष भर में सहकारी समितियों ने 158.83 करोड़ रुपये की कीमत के कृषि उपकरणों तथा 245 करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किया ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

उपभोक्ता सहकारी समितियों से सम्बन्धित केन्द्र संचालित योजना के अन्तर्गत जून, 1967 के अन्त तक थोक विक्रय के 345 भण्डार तथा लगभग 9,479 प्रारम्भिक शाखाएं चालू थीं। उपभोक्ता सहकारी समितियों के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की 20 प्रतिशत जनसंख्या को तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के 20 प्रतिशत फुटकर व्यापार को लाने का विचार है। अवमूल्यन के पश्चात् कार्यक्रम में तेजी लाने की दृष्टि से आलोच्य वर्ष में 98 थोक विक्रय के भण्डार खोले गए जिन के लगभग 1000 फुटकर एकक हैं। इसके अतिरिक्त 38 बड़े विभागीय भण्डार खोले गए । आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय क्षेत्र में भी छः सहकारी भण्डार खोले गए । प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को सामान देने की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र में सहकार विभाग के अन्तर्गत एक संस्था का गठन किया गया। इन भण्डारों को उन कीमतों पर सामान दिया जायेगा जो पूर्तिकर्ता सामान्यतया पहले वितरण के समय लेते हैं ।

30 जून, 1967 को पूरे होने वाले सहकारी वर्ष में थोक विक्रय के भण्डारों का कुल विक्रय उससे पूर्व वर्ष में 144 करोड़ रुपये की तुलना में 174 करोड़ रुपय का हुआ। 1966-67 में राज्य स्तर के तीन अन्य सहकारी उपभोक्ता संगठनों का गठन किया गया जिससे इस प्रकार के संगठनों की कुल संख्या 14 हो गई। राज्य स्तर के इन संगठनों को राष्ट्रीय संगठन में मिला दिया गया है। यह संगठन 1966 से काम कर रहा है। इसने लगभग 1.50 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है ।

सहकारी कृषि

आलोच्य वर्ष में सहकारी कृषि की 520 समितियों का गठन हुआ जिन के लिए 63.33 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामदान क्षेत्रों में गठित समितियों के लिए 6.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

श्रमिक सहकारी समितियां

1966-67 के अन्त तक लगभग 5,000 श्रमिक सहकारी समितियां थीं जिनकी सदस्य संख्या 3 लाख थी । आलोच्य वर्ष के दौरान लगभग 150 समितियों को वित्तीय सहायता दी

गई। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब में मार्गदर्शी जिला योजना ने अच्छी प्रगति की है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने जिला स्तर पर विभिन्न श्रम सघन कार्यक्रम चालू करने के लिए तथा नियमित रूप से रोजगार अवस्था के लिए समन्वित कार्य सूची तैयार करने तथा जिला संगठनों की स्थापना के जिला स्तर पर एक समन्वय समिति की स्थापना करने की सिफारिश की है। अन्य सहकारी समितियों, 9 छापाखाने की सहकारी समितियों तथा धोबियों की 14 सहकारी समितियों के गठन के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

6. सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज

सामुदायिक विकास

सारे देश को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। विस्तार-चरण से पूर्व चार खण्डों के अतिरिक्त पहली जनवरी, 1967 तक पहले चरण 1853 खण्ड, दूसरे चरण के 2220 खण्ड तथा उससे अगले चरण के 1191 खण्ड थे।

1966-67 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में धन की काफी कमी करनी पड़ी। ऐसी कमी विशेषकर सामुदायिक सहभागिता तथा सामुदायिक कार्यों में करनी पड़ी।

सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के सम्बन्ध में भावी कार्रवाई के बारे में अधिकारियों तथा सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के कार्यभारी राज्य मंत्रियों की अगस्त तथा अक्तूबर, 1966 में हुए वार्षिक सम्मेलनों में विचार किया गया। इन सम्मेलनों में की गई कुछ मुख्य सिफारिशें हैं—ग्राम विकास के लिए समन्वित नीति अपनाना जिसमें कार्रवाई के समय परिवर्तन किया जा सके, कृषि तथा परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रव्यापी प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर बल, स्थानीय आवश्यकता एवं साधनों के अनुरूप अन्य स्थानीय कार्यक्रम निर्धारित करना, खण्ड संगठनों द्वारा ग्राम जनशक्ति को जुटाने, कुओं के निर्माण व्यावहारिक पोषण आदि कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करना तथा स्थानीय विकास में वास्तविक कदम उठाने के लिए पंचायतीराज की व्यवस्था को समुचित कार्यों तथा साधनों के माध्यमों से सुदृढ़ बनाना।

पंचायतीराज

मध्य प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तीन चरणों वाली पंचायतीराज व्यवस्था है। बिहार में इस समय यह व्यवस्था केवल तीन जिलों—रांची, भागलपुर तथा धनबाद में है।

ग्राम विकास के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को मुख्य अभिकरण बनाने की दृष्टि से इन संस्थाओं के विकास की नीति अपनाई गई है। इस नीति के अनुसरण पर इन संस्थाओं के कार्यों के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया गया है ताकि मुख्य समस्याओं का पता लगाया जा सके तथा उनके कार्यों को सुधारने के लिए कदम उठाए जा सकें।

पंचायतीराज संस्थाएं कृषि उत्पादन में अधिक से अधिक योगदान कर सकें इसके लिए राज्य सरकारों ने उनकी वैधानिक व्यवस्थाओं, संगठन प्रबन्धों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं

का विस्तार से अध्ययन किया। इस पुनरीक्षण से यह बात समक्ष आई है कि पंचायतीराज संस्थाओं को काम सौंपने की प्रक्रियाएं में कोई कमी नहीं है तथापि इन संस्थाओं द्वारा समुचित कार्यक्रमों को चालू करके तथा इन के माध्यम से वित्तीय साधन जुटाकर इनसे सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है। समन्वय तथा उचित समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपकरणों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक तथा संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।

7. भूमि सुधार

1966-67 में भूमि सुधार के सम्बन्ध में हुई मुख्य प्रगति निम्न प्रकार है :

मध्यस्थों का उन्मूलन

लगभग सारे देश में पहले ही जमींदारी, जागीर तथा इनाम जैसी मध्यस्थ पट्टेदारियां समाप्त हो चुकी हैं। आलोच्य अवधि में महत्वपूर्ण प्रगति कुछ छोटे मध्यस्थों के उन्मूलन में हुई। ये मध्यस्थ अभी तक बने हुए थे। आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र में धार्मिक, धर्मार्थ तथा सेवा निमित्त दिए जाने वाले इनामों को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया। मध्य प्रदेश में थोक तथा लम्बरदारी पट्टेदारियों तथा विन्ध्य प्रदेश के पुराने शासकों की सम्पत्ति को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया। दादर तथा नागर हवेली में अलवारा तथा तारम पट्टेदारियों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। दामन ग्रामीण स्वामित्व उन्मूलन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा कानून को कार्यान्वित करने का काम हाथ में लिया गया।

पट्टेदारी सुधार

पट्टेदारी सुधार की मुख्य विशेषताएं ये हैं: (1) लगान का नियमन, (2) पट्टे की सुरक्षा, (3) पट्टेदारों को राज्य के सीधे संपर्क में लाना तथा (4) पट्टेदारों को स्वामित्व प्रदान करना।

यद्यपि प्रत्येक राज्य में कानून द्वारा जो लगान निर्धारित किए गए हैं वे अलग-अलग हैं तथापि सभी राज्यों में लगान को नियमित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। केवल आन्ध्र क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्यत्र शुद्ध लगान अथवा फसल-अंश साधारणतया कुल उत्पादन का एक चौथाई अथवा इससे कम निर्धारित किया गया है।

असम, बिहार, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र) तथा पश्चिम बंगाल (बर्गदार के सम्बन्ध में) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में ऐसे व्यापक कानून बनाए गए हैं जिन के अन्तर्गत पट्टेदारों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। परन्तु उपर्युक्त राज्यों में अभी भी कानूनी व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि पट्टेदार अथवा भागीदार-उत्पादक राज्य के सीधे सम्पर्क में आ सकें। वर्तमान पट्टेदारी अभिलेख में भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि इसके अन्तर्गत उन काश्तकारों को कृषि ऋण नहीं दिया जाता जिनके नाम अधिकार अभिलेख में अंकित नहीं होते।

उड़ीसा तथा मैसूर में पहले ही व्यापक कानून बनाए जा चुके थे। इन राज्यों में छूट के लिए आवेदन करने की अवधि बढ़ा दी गई। केरल में (1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के पट्टेदारों तथा कुडिकिडापुकारा की बेदखली को रोकने तथा (2) समर्पणों

के नियमन तथा समर्पित की गई भूमि पर सरकार द्वारा काश्तकार बसाने से सम्बन्धित उपबन्धों को दृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति अधिनियम की घोषणा की गई। काश्तकारों से भूमि वापस लेने के भू-स्वामियों के अधिकार को समाप्त करने तथा छोटी जोतों के काश्तकारों पर शुद्ध लगान के उपबन्धों को लागू करने के लिए पट्टेदारी कानूनों में और संशोधन किए गए हैं। गुजरात में उन पट्टेदारों को भूमि खरीदने का और अवसर देने के लिए कानून में संशोधन किया गया जिन के कब्जे में भूमि है। ऐसे पट्टेदारों को तकाबी ऋण देने के लिए भी उन काश्तकारों को भूमि खरीदने का और मौका दिया गया जिन्होंने एक मुश्त राशि नहीं चुकाई थी अथवा किस्त देने में असफल रहे थे।

जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण

सभी राज्यों में पहले ही जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण के लिए कानून बनाए गए थे। ऐसा केवल पूर्व पंजाब क्षेत्र में नहीं हुआ था। वहां पहले भूमि स्वामित्व की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी परन्तु वहां भी जब सरकार को सीमा से अधिक भूमि पर काश्तकार बसाने का अधिकार दिया गया है। अतिरिक्त भूमि को लेने तथा उसके वितरण में कुछ प्रगति हुई परन्तु इस दिशा में अभी काफी कुछ करना है। लगभग 24 लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है अथवा यह राज्य सरकारों के कब्जे में लाई गई जिस में से लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र का वितरण किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यवार स्थिति निम्न प्रकार है :

(एकड़)

	अतिरिक्त क्षेत्र	वितरित क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	73,692	—
असम	45,788	—
हरियाणा	1,82,250	54,981
जम्मू व कश्मीर	4,50,000	4,50,000
मध्य प्रदेश	75,581	12,114
मद्रास	24,581	17,412
महाराष्ट्र	2,46,619	1,50,716
पंजाब	1,91,527	1,60,383
उत्तर प्रदेश	2,30,846	1,10,707
पश्चिम बंगाल	7,94,410	1,82,338
हिमाचल प्रदेश	6,525	292
त्रिपुरा	42	—
कुल	23,62,891	10,45,160

जोत की अधिकतम सीमा के निर्धारण से सम्बन्धित कानून सहित सभी भूमि-सुधार कानूनों के संरक्षण के लिए संविधान का सत्रहवां (संशोधन) अधिनियम, 1964 में पास किया गया। लेकिन 1965 में संशोधित उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम के उप-

बंधों के बारे में अभी कुछ कठिनाई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के उपबन्धों को हटा दिया जिससे जोत की अधिकतम सीमा 25 से घटकर 20 मानक एकड़ हो गई। इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 31(क)(1) के उपबन्ध हैं। राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई है।

चकबन्दी

हरियाणा तथा पंजाब में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे जोतों की चकबन्दी का काम पूरा होने वाला है। उत्तर-प्रदेश में भी पर्याप्त प्रगति हुई। 1966-67 में कुल लगभग 16 लाख हैक्टर क्षेत्र की चकबन्दी हुई। अन्य सभी राज्यों में प्रगति धीमी रही।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को बसाना

250 एकड़ से कम खण्डों में बंजर भूमि के सर्वेक्षण से संबंधित केन्द्र संचालित योजना के कार्यान्वयन तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को बसाने में और प्रगति हुई। 3.3 लाख परिवारों को बसाने की योजना बनाई गई है।

कार्यान्वयन की समस्याएं

विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार में हुई प्रगति के पुनरीक्षण तथा भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा गठित भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति ने अगस्त 1966 में अपना प्रतिवेदन दे दिया था। इस समिति की सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

8. ग्राम निर्माण कार्यक्रम

ग्राम निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कृषि मजदूरों को खाली समय में अतिरिक्त रोजगार दिलाना है जहां बेकारी होती है तथा रोजगारी की कमी होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 998 खण्ड सम्मिलित हो गए। 1961 से 1966 तक पांच वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम में कुल लगभग 19.3 करोड़ रुपये खर्च हुए। अन्तिम वर्ष अर्थात् 1965-66 में 8.4 करोड़ रुपये खर्च हुए।

तीसरी योजना में इस कार्यक्रम में 12.01 करोड़ रुपये खर्च हुए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इससे हुई भौतिक उपलब्धि में 1,04,218 हेक्टर क्षेत्र में लघुसिंचाई की सुविधाएं पहुंचाई गई, 1,73,970 हेक्टर क्षेत्र को भूमि संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया तथा उसमें जंगल लगाने का यत्न किया गया, 77,213 हेक्टर क्षेत्र पर बाढ़ नियंत्रण, जलावरोध-निरोध तथा भूमि सुधार कार्य किया गया तथा गांवों के अन्दर 16,684 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया।

सीमित साधनों की दृष्टि में रखते हुए इस कार्यक्रम का 1965-66 के बाद विस्तार नहीं किया गया। इसके विपरीत राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वे ऐसे खण्डों को समाप्त करके कार्यक्रम का समकेन करें जो अप्रभावी हैं और जो

क्षत्रों के चयन के लिए निर्धारित कसौटी पर खरे नहीं उतरते साथ ही उनके स्थान पर नए खण्ड लेने का भी अनुरोध किया गया। साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए 1966-67 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 7.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसके विपरीत वर्ष के दौरान वास्तविक खर्च लगभग 7.50 करोड़ रुपये होने की सूचना मिली है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 1966-67 में खाली समय में कृषि मजदूरों को लगभग 300 लाख मानव दिन का रोजगार दिया गया। 100 दिनों के रोजगार के रूप में 1966-67 में लगभग 3 लाख व्यक्तियों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचा। वास्तविक उपलब्धि के बारे में प्राप्त आंकड़ों से यह विदित होता है कि 3.71 करोड़ रुपये के खर्च से 43,100 हैक्टर क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य किया गया तथा उसके लिए वन लगाने की योजना बनाई गई, 21,544 क्षेत्र पर भूमि सुधार, जलावरोध-निरोध तथा बाढ़ नियंत्रण किया गया तथा गावों में 7,110 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया।

अध्याय 4

सिंचाई

निम्न सारणी में परियोजना अवधि के अन्त तक योजना प्रोजेक्टों से संचित क्षमता तथा उसके उपयोग तथा 1966-67 के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण दिया गया है :

(मिलियन एकड़-कुल)

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	1966-67 (अति-रिक्त)		1966-67 के अन्त में
				लक्ष्य	उपलब्धि	वास्तविक
क्षमता . . .	6.5	11.7	17.5	2.5	1.4	18.9
उपयोग . .	3.1	8.3	13.5	2.0	1.7	15.2
क्षमता एवं उपयोग में अंतर .	3.4	3.4	4.0	0.5	—	3.7

1966-67 के लाभों का राज्यवार विवरण परिशिष्ट 4.2 में दिया गया है। किसी वर्ष पैदा की गई क्षमता उसी वर्ष में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी। अतः किसी वर्ष में हुए उपयोग का मूल्यांकन उससे पूर्व वर्ष में पैदा की गई क्षमता के परिप्रेक्ष्य में किया गया। हाल के वर्षों में यद्यपि उपयोग के प्रतिशत में वृद्धि हुई है तथापि 1966-67 के अंत तक 37 लाख एकड़ में इसका उपयोग नहीं हो पाया। उपलब्ध सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र में आयकट* विकास का कार्यक्रम भी सम्मिलित किया गया। 1966-67 के दौरान इस कार्यक्रम पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किये गये। केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कार्यक्रमों के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के शीघ्र उपयोग के लिए अपने सामान्य कृषि विकास कार्यक्रमों के अंग के रूप में राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों को उठाया है।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था को निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये)

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	1966-67	
				योजना व्यवस्था	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंचाई	300	380	580	130	130
बाढ़ नियन्त्रण	14	49	87	12	15

*आयकट शब्द का प्रयोग "सिंचाई योग्य अधिकृत क्षेत्र" के लिए किया गया है।

परिशिष्ट 4.1 में 1966-67 के योजना-व्यय का राज्यवार विवरण दिया गया है। जिन परियोजनाओं पर अपेक्षाकृत कम व्यय हुआ उनका पुनरीक्षण किया गया तथा उन्हें चरणबद्ध किया गया ताकि प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए मनुष्य, धन तथा माल के रूप में साधन उपलब्ध किए जा सकें। 1966-67 में सिंचाई पर यद्यपि योजना व्यवस्था से कुछ अधिक खर्च हुआ तथापि भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी रही जिसका कारण माल तथा श्रम के मूल्य में सामान्य वृद्धि था। दूसरी ओर उपयोग के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी का कारण देश के कुछ भागों में सूखा पड़ना था। सूखे के कारण चम्बल, भाखड़ा आदि बड़े-बड़े जलाशयों में पानी का पर्याप्त रूप से भंडारण नहीं किया जा सका।

बाढ़-नियंत्रण

यद्यपि देश के अधिकांश भागों में सामान्य से भी कम वर्षा हुई तथापि असम, उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों दिल्ली, मणिपुर तथा त्रिपुरा में कई बार बाढ़ आई। बाढ़ से 105 लाख एकड़ क्षे[illegible]ावित हुआ। अनुमान है फसलों की बरबादी से 6.4 करोड़ रुपये की हानि हु[illegible]ी। 25,000 गांवों में लगभग 124 लाख जनता प्रभावित हुई तथा लगभग 1.56 लाख मकानों को क्षति पहुंची। बाढ़ से कुल लगभग 66 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।

1966-67 में बाढ़ नियन्त्रण-नाली-व्यवस्था, जलावरोध-निरोध तथा समुद्र-तटीय कटाव को रोकने में लगभग 15 करोड़ रुपये व्यय हुए। कई बाढ़ नियंत्रण उपाय जैसे नए तटबन्धों की व्यवस्था, वर्तमान तटस्थों को बढ़ाना तथा उन्हें मजबूत बनाना, नदी नियंत्रण कार्य आदि किए गए। आलोच्य वर्ष में चालू अथवा पूर्ण होने वाले महत्वपूर्ण बाढ़ नियन्त्रण कार्यों में ये सम्मिलित हैं—उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा में गोवर्द्धन नाली का निर्माण, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब में घाघर की बाढ़ के नियन्त्रण की योजना, बिहार में वागमती बाढ़ नियंत्रण योजना, असम में डिब्रूगढ़ नगर के संरक्षण कार्य के विस्तार तथा सुधार का कार्यक्रम तथा पश्चिम बंगाल में शीलदाहगज नाली व्यवस्था की योजना। अब तक बाढ़ नियंत्रण के लिए किए गए उपायों से लगभग 125 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचा है तथा लगभग 125 नगरों तथा 4,500 गांवों में संरक्षण कार्य की व्यवस्था की गई।

केरल में समुद्र तटीय कटाव को रोकने के कार्यक्रम पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। समस्या के वैज्ञानिक तथा समन्वित हल के लिए सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय ने एक 'बीच इरोजन बोर्ड' की स्थापना की। तीसरी योजना के अंत तक केरल में लगभग 36 मील लम्बे समुद्र तट को बचाने के लिए बनी योजनाओं पर 6.3 करोड़ रुपये व्यय हुए। 1966-67 में लगभग 73 लाख रुपये व्यय हुए।

परिशिष्ट में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति दिखाई गई है।

परिशिष्ट

महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण

(1) नागार्जुन सागर परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)

राज्य सरकार द्वारा परियोजना का अनुमानित खर्च 164.5 करोड़ रूपये बताया गया है। स्वीकृत परियोजना की अंतिम सिंचाई क्षमता 20.6 लाख एकड़ है। 1966-67 के अंत तक इस पर 121 करोड़ रुपये खर्च हुए। जून, 1966 के अंत तक 5.79 लाख एकड़ की क्षमता पैदा की जा चुकी थी। तदनुसार उपयोग केवल 15,000 एकड़ क्षमता का ही हुआ। इस दृष्टि से क्षमता का बहुत ही कम उपयोग किया गया। इसका कारण यह था कि नहरों से सिंचाई करने के लिए जलाशय में जल का स्तर केवल इतना था कि उससे 15,000 एकड़ में सिंचाई की जा सकती थी। परन्तु जलाशय में एकत्रित जल कृष्ण डेल्टा में 3 लाख एकड़ क्षेत्र भी स्थायी सिंचाई व्यवस्था करने में सहायक सिद्ध हुआ।

(2) कोशी परियोजना (बिहार)

परियोजना की पुनरीक्षित लागत 72 करोड़ रुपये है जिसमें से 45 करोड़ रुपये सिंचाई तथा 27 करोड़ रुपये बाढ़ नियन्त्रण की है। इस परियोजना से कुल 14 लाख एकड़ क्षेत्र पर सिंचाई होगी। 1966-67 के अंत तक 63.5 करोड़ रुपये व्यय हुए जिसमें से 38 करोड़ रुपये सिंचाई पर तथा 25.5 करोड़ रुपये बाढ़ नियन्त्रण पर लगे। आशा है यह परियोजना 1968-69 तक पूरी हो जायेगी। 1966-67 के अंत तक 6.67 लाख एकड़ में सिंचाई करने की क्षमता पैदा की गई। इसकी तुलना में इस अवधि में लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की गई। जल वितरण व्यवस्था के विस्तार से सिंचाई सुविधा के उपयोग में वृद्धि होने की आशा है। इसके लिए 2 क्यूसेक द्वारों की व्यवस्था की जा रही है।

(3) गंडक (बिहार तथा उत्तर प्रदेश)

यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है परन्तु इससे नेपाल को भी लाभ पहुंचेगा। परियोजना में सिंचाई कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत 139 करोड़ रुपये है जिसमें से 9 करोड़ रुपये बिहार में 3 करोड़ रुपये नेपाल में तथा 47 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में व्यय होने का अनुमान है। परियोजना से कुल 35'5 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा होने की आशा है जिसमें से 27'8 लाख एकड़ बिहार में, 6'5 लाख एकड़ उत्तर प्रदेश में तथा 1'2 लाख एकड़ क्षमता नेपाल में पैदा की जायेगी।1966-67 के अंत तक 38 करोड़ रुपये व्यय हुए जिसमें से 28 करोड़ रुपये बिहार में तथा 10 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में लगे।

(4) चम्बल-परियोजना (मध्य प्रदेश तथा राजस्थान)

यह मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें गांधी सागर डाम, राणा प्रताप सागर डाम, चोटा डाम, कोटा बांध तथा नहर व्यवस्था सम्मिलित है। पूरी परि-

योजना की लागत 117 करोड़ रुपये है। परियोजना के सिंचाई कार्यक्रम पर 74 करोड़ रुपये लगने का अनुमान है जिसमें से 43 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के तथा 31 करोड़ रुपये राजस्थान के हिस्से में आते हैं। 1966–67 के अंत तक लगभग 62 करोड़ रुपये व्यय हुए जिसमें से 39 करोड़ रुपय मध्य प्रदेश में तथा 23 करोड़ रुपये राजस्थान में व्यय हुए। कुल 14 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु 1966-67 के अन्त तक 8.9 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा की जा सकी और उपयोग केवल 3.1 लाख एकड़ क्षमता का हुआ। लगातार दो साल तक कम वर्षा होने के कारण गांधी सागर जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा न हो सका जिसके कारण सिंचाई के लिए जल का कम उपयोग हुआ। कई कारणों से पर्याप्त रूप से श्रमिक नहीं मिल सके जिसके कारण निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा आई।

(5) परम्बिकुलम अलियार परियोजना (मद्रास)

इस योजना की पुनरीक्षित लागत 59 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें 38 करोड रुपये सिंचाई तथा 21 करोड़ रुपये बिजली की लागत सम्मिलित है। परियोजना से कुल 2.4 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 1966-67 के अंत तक सिंचाई कार्यक्रम पर 33 करोड़ रुपये व्यय हुए तथा 0.69 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा हुई जिसमें से 0.38 लाख एकड़ क्षमता का उपयोग हुआ। क्षमता के उपयोग में कमी का मुख्य कारण वर्षा का न होना है क्योंकि वर्षा के न होने से जलाशय में जल का अपर्याप्त भंडारण नहीं किया जा सका।

(6) तुंगभद्रा परियोजना (आंन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर)

यह आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर की संयुक्त परियोजना है। इसमें एक डाम, दाएं किनारे की निचली नहर, बाएं किनारे की नहर, दाएं किनारे के दो बिजली घर तथा बाएं किनारे का एक बिजली घर सम्मिलित है। इस परियोजना की कुल लागत 67 करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपये सिंचाई कार्यक्रम पर लगने का अनुमान है। परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 8.2 करोड़ एकड़ रखा गया है। 1966-67 के अंत तक 7.6 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा करने में 44 करोड़ रुपये व्यय हुए। इसमें से लगभग 6·2 लाख एकड़ क्षमता का उपयोग हुआ।

(7) महानदी डेल्टा सिंचाई योजना (उड़ीसा)

इस परियोजना की लागत 34 करोड़ रुपये आंकी गई है तथा इससे कुल 15.8 लाख एकड़ क्षमता पैदा होने का अनुमान है। 1966-67 के अंत तक इस परियोजना पर 23.6 करोड़ रुपये व्यय हुए। जून, 1967 के अंत तक 7.2 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा की गई परन्तु उपयोग केवल लगभग 6 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता का हुआ।

(8) पोंग डाम (हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान)

यह हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान क्षेत्र तथा पंजाब में सिंचाई की व्यवस्था के लिए व्यास पर एक जलाशय निर्मित किया जायेगा। पूरी

परियोजना की कुल लागत 130 करोड़ रुपय आंकी गई है जिसमें से 100 करोड़ रुपये सिंचाई कार्यक्रम पर व्यय होंगे । 1966-67 के अंत तक परियोजना पर 44 करोड़ रुपये व्यय हुए ।

(9) राजस्थान नहर परियोजना (राजस्थान)

परियोजना के चरण-1 की लागत 75 करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमें हारिके बांध तथा माधोपुर व्यास लिंक की लागत सम्मिलित नहीं है । इससे कुल 13 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा होने की आशा है। 1966-67 के अंत तक 47 करोड़ रुपये व्यय हुए। 1966-67 के अन्त तक 2.73 लाख एकड़ क्षमता पैदा हुई तथा उपयोग केवल 1.37 लाख एकड़ क्षमता का हुआ ।

(10) कंसावती परियोजना (पश्चिम बंगाल)

इस परियोजना की लागत 36 करोड़ रुपये आंकी गई है । इससे 9.5 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा होने की आशा है। 1966-67 के अंत तक 17 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1.2 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा हुई तथा 0.72 लाख एकड़ सिंचाई क्षमता का उपयोग हुआ ।

अध्याय 5

बिजली

परिव्यय तथा लक्ष्य

1966-67 की वार्षिक योजना में बिजली की उन योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई जिनका निर्माण कार्य काफी आगे पहुंच चुका था। यह इसलिए किया गया ताकि बिजली सुविधाओं की व्यवस्था शीघ्र की जा सके। कमी वाले क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए अन्तर-राज्य संचारण लाइनों के काम में भी तेजी लानी थी ताकि आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जा सके। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु पम्प-सेटों को बिजली देने के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दी गई।

1966-67 में बिजली पर वास्तविक व्यय लगभग 404 करोड़ रुपये हुआ। यह राशि परिव्यय की 340 करोड़ रुपए की राशि से काफी अधिक थी। इस वृद्धि के मुख्य कारण ग्राम बिजलीकरण पर अधिक खर्च होना तथा अवमूल्यन के कारण अतिरिक्त व्यय होना था। 1966-67 के राज्यवार योजना व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट 5.1 में दिया गया है।

1966-67 के वार्षिक योजना प्रस्ताव में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 2.0 मिलियन किलोवाट रखा गया था। लेकिन केवल 1.27 मिलियन किलोवाट क्षमता ही बढ़ पाई। इस प्रकार कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 11.44 मिलियन किलोवाट हो गई। परिशिष्ट 5.2 में उत्पादन क्षमता का योजना वार लक्ष्य तथा वर्ष के दौरान उपलब्धि का ब्यौरा दिया गया है। परिशिष्ट 5.3 में राज्यवार कुल स्थापित क्षमता तथा हर राज्य में 1965-66 तथा 1966-67 में बिजली की सबसे अधिक पूर्ति का ब्यौरा दिया गया है।

राज्यों में बिजली की कमी

1966-67 में आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी रही। यह कमी उत्पादन क्षमता पैदा करने में हुई देरी के कारण तथा लगातार दूसरे वर्ष भी वर्षा न होने के हाइडिल जलाशयों में पर्याप्त जल एकत्रित न होने के कारण हुई थी।

(1) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष के दौरान कोठागुडम थरमल स्टेशन के 60 मेगावाट के दो सेट तथा अपर सिलरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन का 60 मेगावाट का एक सेट स्थापित करने का कार्यक्रम था। 1965 में अपर सिलेरू बिजली संयंत्र के उपकरणों के प्रतिस्थापना वाले हिस्सों को पाकिस्तान ने रोक लिया था और उनके यहां पहुंचने में देर हो गई। परिणामस्वरूप अपर सिलेरू स्टेशन को चालू नहीं किया जा सका।

मैसूर ने शारवाती हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से आन्ध्र प्रदेश को बिजली दी। कोठागुडम बिजली घर में जनरेटिंग सेट चालू हो जाने से आन्ध्र प्रदेश में

अब बिजली की स्थिति अच्छी हो गई है तथा बिजली की कमी भी आंशिक रूप से दूर हो गई है।

(2) केरल में सबरीगिरि परियोजना (200 मेगावाट) तथा शोलावर परियोजना (36 मेगावाट) से 1966-67 में 236 मेगावाट क्षमता पैदा होने की आशा थी। वर्ष में ये क्षमताएं काफी देर से पैदा हुईं। तब तक केरल को मैसूर राज्य से बिजली मिलती थी। केरल को यह बिजली एक अन्तर-राज्य-भगलौर-कसरगोड 110 के० वी० लाइन से मिली थी। साथ ही संचारण लाइनों के माध्यम से मद्रास से भी केरल को बिजली मिलती थी। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए केरल के पास अब पर्याप्त उत्पादन क्षमता हो गई है।

(3) मद्रास राज्य 250 मेगावाट बिजली की पूर्ति के लिए नेवेली थरमल स्टेशन पर निर्भर करता है। परन्तु आलोच्य अवधि में मद्रास को यहां से कम बिजली प्राप्त हुई। इसका कारण यह था कि लिग्नाइट के उत्पादन की कमी के कारण 1966-67 में उपर्युक्त स्टेशन में बिजली के उत्पादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लिग्नाइट के उत्पादन में कमी का कारण खनन उपकरणों की कमी था। दूसरे अक्तूबर 1966 में खानों में अपूर्व वृद्धि हुई। (इसका एक कारण यह भी था कि नेवेली में चालू होने वाला 100 किलोवाट का सेट बाहर से ट्रांसफार्मर की जांच करने वाले उपकरण न आ पाने के कारण चालू नहीं किया जा सका)। मैसूर ने मद्रास को शरावा से 220 के० वी० सर्किट से अधिक बिजली दी जिससे मद्रास की बिजली की कठिनाई हल हो गई।

(4) उड़ीसा बिजली के लिए हीराकुंड तथा मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों पर निर्भर करता है। तलचर में 250 मेगावाट वाष्प स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। दो क्रमिक वर्षों (1965-67) में वर्षा न होने के कारण हीराकुंड तथा मचकुंड में बिजली का उत्पादन घट गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1966-67 में तलचर वाष्प स्टेशन में 62.5 मेगावाट सेट चालू नहीं किया जा सका। इसका कारण यह था कि 1965 में पाकिस्तान ने उपकरण के प्रतिस्थापना वाले हिस्सों को रोक लिया था। अतः राज्य को बिजली के उपयोग में 25 प्रतिशत कमी करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप हीराकुंड के भारतीय अल्यूमिनियम जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की प्रगति में बाधा पड़ी। अन्तरराज्य संचारण लाइन की सीमित क्षमता के कारण उड़ीसा को दामोदर घाटी निगम से केवल लगभग 15 मेगावाट बिजली ही प्राप्त हो सकी। राउरकेला इस्पात संयंत्र से दिसम्बर, 1966 से लगभग 25 मेगावाट बिजली दी गई तथा इससे राज्य को बिजली की पूर्ति की कमी को दूर करने में कुछ सहायता मिली।

(5) राजस्थान में दो कारणों से बिजली की कमी हुई। सतपुड़ा थरमल स्टेशन (5×62.5 मेगावाट) को 1966-67 में चालू हो जाना था तथा राजस्थान को इस स्टेशन में उत्पादित कुल बिजली का 2/5 भाग मिलना था। परन्तु पहले सेट पर समय पर काम पूरा नहीं किया जा सका। 1966-67 में फिर बारिश न होने के कारण गांधी सागर जलाशय में जल का संचय नहीं हो सका। इससे उपर्युक्त स्टेशन में बिजली का उत्पादन कुछ घट गया। इससे बाध्य होकर राजस्थान के अधिकारियों को बिजली के उपयोग में

लगभग 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक कमी करनी पड़ी । (यह प्रतिबन्ध 1967-68 की बारिश से गांधी सागर जलाशय के आंशिक रूप से भर जाने पर ही समाप्त किया जा सका) । राजस्थान को भाखड़ा योजना से भी लगभग 87 मेगावाट बिजली प्राप्त करने का हक है । परन्तु वर्तमान संभरण व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान को 30 मेगावाट से अधिक बिजली नहीं मिल सकी । राजस्थान को 220 के० वी० हिसार-खेतड़ी अन्तर्राज्य लाइन पूरी 87 मेगावाट बिजली पहुंचा सकती है । परन्तु यह लाइन दिसम्बर, 1968 में ही पूरी होगी ।

(6) पूर्वी हिस्सों में बिजली पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से रिहन्द हाइड्रो स्टेशन (6×50 मेगावाट) पर निर्भर है । बारिश न होने के कारण रिहन्द झील का जल स्तर बहुत नीचे रहा जिसके कारण इस स्टेशन में बिजली का उत्पादन कम हो गया । वर्ष के दौरान ओब्रा थरमल स्टेशन में एक 50 मेगावाट के सेट में तथा कानपुर थरमल स्टेशन में एक 32 मेगावाट सेट में काम शुरू करने का कार्यक्रम था परन्तु निर्माण कार्य में तथा बिजली की लाइनें बिछाने के कार्य में देरी होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका । अतः उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को उद्योगों आदि के बिजली के खर्च पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा । फिर भी दामोदर घाटी निगम से लगभग 1.5 मीलियन यूनिट से 2.0 मिलियन यूनिट प्रतिदिन बिजली की व्यवस्था की गई ताकि महत्वपूर्ण उद्योगों को हानि न पहुंचे ।

लक्ष्य की कमी के कारण (1966–67)

कुछ राज्यों में बिजली की कमी के कारणों का विश्लेषण करने से निम्न मुख्य बातों का पता लगा है :

(1) 1965 में पाकिस्तान द्वारा कुछ उपकरण रोके गये थे और उन्हें छोड़ा नहीं गया था । इसके अतिरिक्त कुछ योजनाओं (उदाहरणार्थ—तलचर थरमल स्टेशन, कालाकोटे थरमल स्टेशन, अपर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन) के चालू होने में देरी स्वानापन्न हिस्सों के आयात हेतु विदेश मुद्रा देने में होने वाली प्रक्रियात्मक देरी के कारण हुई ।

(2) बाहर से विशेषज्ञों के आने में तथा उपकरणों के मंगाने में देरी होती है (जैसा कोवरा विस्तार योजना, कानपुर तथा बिजली 'सी' थरमल स्टेशनों के मामले में हुआ

तथा

(3) निर्माण कार्य में तथा बिजली की लाइनें बिछाने के कार्य में होने वाली देरी ।

अन्तर-राज्य तथा अन्तर-परियोजना की सम्पर्क लाइनें

यह एक स्वीकृत नीति है कि बिजली की योजना का आधार क्षेत्रीय वर्गीकरण तथा पड़ोसी राज्यों में बिजली व्यवस्था के लिए समन्वित कार्यक्रम हो । अतः अन्तर्योजन तथा अन्तर-राज्य लाइनों के निर्माण पर तथा उनको पूरा करने पर बल दिया गया है । केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग के अध्ययन के आधार पर अन्तर-राज्य सम्पर्क स्थापित करने के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रम के प्रथम चरण का निश्चय किया जा चुका है । मुख्य संचारण लाइनों के लिए उपकरण

(आयातित तथा देसी) खरीदने के लिए विश्व बैंक से 700 लाख डालर के ऋण की व्यवस्था की गई है। आशा है कि प्रथम चरण में सम्मिलित सभी अन्तर-राज्य लाइनें 1970-71 तक पूरी हो जायेंगी तथा पांचों बिजली क्षेत्रों में अन्तर-राज्य बिजली संचारण होने लगेगा।

वर्ष के दौरान निम्न मुख्य अन्तर राज्य संचारण लाइनें चालू हुईं :

(क) मैसूर—गोवा (डान्डेली—पोंडा)—132 के० वी० लाइन (इस समय 110 के० वी० पर चालू है)।

(ख) मैसूर—केरल (मंगलौर—कासरगोड)—110 के० वी० लाइन।

(ग) उत्तर प्रदेश—दिल्ली (मुरादनगर—दिल्ली)—220 के० वी० लाइन (इस समय 132 के० वी० पर चालू है)।

पहले ही पूर्ण की गई अन्तर-राज्य लाइनों ने 1966-67 में बिजली की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

निर्माणाधीन अन्तर-राज्य लाइनें

आलोच्य वर्ष में मद्रास ने मदुराई (मद्रास) पम्बा (केरल) लाइन के अपने क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से को पूरा कर लिया है। आशा है कि 1968-69 तक केरल भी अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले हिस्से को (45 कि० मी०) पूरा कर लेगा।

मैसूर ने 220 के० वी० शारावती हुबली-हाम्पी लाइन के अपने क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से का एक चक्र पूरा कर लिया है।

तारापुर (महाराष्ट्र) नवसारी (गुजरात) 220 के० वी० लाइन पर 1966-67 में काम चालू रहा तथा इसके 1967-68 तक पूरा हो जाने की आशा है।

लुधियाना (पंजाब) हिसार-खेतडी (राजस्थान) 220 के० वी० /डी० सी० लाइन का काम चालू रहा। आशा है कि राजस्थान के क्षेत्र में पड़ने वाला हिस्सा जून, 1968 तक पूरा हो जायेगा। पंजाब के क्षेत्र में पड़ने वाला हिस्सा संभवतः 1968 के अंत तक पूरा हो जायेगा।

चांदनी (मध्य प्रदेश) भुसावल (महाराष्ट्र) 132 के० वी० लाइन पर 1966-67 में चालू रहा। 1968-69 में सम्पर्क स्थापित हो जाने की आशा है।

ग्राम बिजलीकरण

तीसरी योजना के अंत तक 5.14 पम्प-सेट/नलकूप चालू थे तथा 59,238 बस्तियां में बिजली पहुंच गई थी। 1966-67 की वार्षिक योजना में ग्राम बिजलीकरण कार्यक्रम के लिए 44.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई तथा वर्ष के दौरान 94,000 अतिरिक्त पम्प-सेटों/नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया। सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय के बजट में ग्राम बिजलीकरण कार्यक्रम के लिए राज्यों को ऋण के रूप में सहायता पहुचाने के लिए केवल 39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकती थी। देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति तथा खाद्यान्न की कमी को देखते हुए सिंचाई के पम्प-सेटों को बिजली देने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता हुई। इसके लिए 39 करोड़ रुपये की बजट-व्यवस्था के अतिरिक्त राज्यों के लिए 23 करोड रुपये की और व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा मद्रास जेसे कुछ राज्यों में ग्राम बिजलीकरण पर इसके लिए की गई व्यवस्था

से अधिक व्यय हुआ। 1966-67 में ग्राम बिजलीकरण पर कुल 73 करोड़ रुपये व्यय हुए। 1966-67 में लगभग 1.37 लाख अतिरिक्त पम्प-सेटों को बिजली दी गई तथा 7,570 नई बस्तियों में बिजली पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त मार्च, 1967 के अंत तक 60,236 कृषि पम्प संयोजकों पर काम चल रहा था।

सिंचाई पर तथा पानी निकालने वाले पम्पों पर हाल के वर्षों में बिजली की खपत काफी बढ़ी है। निम्न सारणी से यह स्पष्ट है :

वर्ष	बिजली की कुल खपत	सिंचाई तथा पानी निकालने के लिए बेची गई बिजली	कुल खपत का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
		(मिलियन किलोवाट)	
1951–52 . . .	4,793	203	4.2
1956–57 . . .	7,959	316	4.0
1960–61 . . .	13,953	833	6.0
1964–65 . . .	24,219	1397	5.8
1965–66 . . .	26,735	1892	7.1
1966–67 . . .	27,430	1975	7.2

(टिप्पणी : किसी विशेष वर्ष में बिजली युक्त पम्पों की बिजली की खपत उसके अगले वर्ष घटती गई)।

परिशिष्ट 5.4 में ग्राम बिजलीकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य द्वारा की गई व्यय-व्यवस्था तथा उसके कार्यों का ब्यौरा दिया गया है।

अध्याय 6

उद्योग और खनिज

1966-67 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घट कर 2.8 प्रतिशत हो गई थी जबकि तीसरी योजना में वार्षिक औसत वृद्धि 7.1 प्रतिशत आंकी गई थी। 1960-61 से औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में हुए परिवर्तन यहां नीचे दिखाये गए हैं। विभिन्न उद्योग समूहों के ब्यौरे यहां नीचे सारणी 6.1 में दिए गए हैं।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
(आधार : 1956-100)

वर्ष	सूचक	पिछले वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि
1960-61 तीसरी योजना	133.5	—
1961-62	143.1	7.2
1962-63	156.3	9.2
1963-64	170.9	9.3
1964-65	180.8	5.8
1965-66	188.1	4.0
1966-67	193.4	2.8

वृद्धि दर घट जाने के मुख्य कारण कच्चे माल (घरेलू तथा आयातित) की कमी मशीनों तथा पुर्जों के आयात मूल्यों में वृद्धि, अवमूल्यन होना तथा 1966 के मध्य में अनेक क्षेत्रों में मंदी की स्थिति के कारण व्यय में कमी होना था। पिछले दो वर्षों में बराबर सूखे की स्थिति रहने के कारण भी कृषि से पैदा होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा था इससे कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन में कमी आई थी। सिलिंग और पिराई, जिनिंग तथा प्रोसेसिंग, सूती कपड़ा उद्योग, पटसन निर्माण, चीनी, चाय और वनस्पति के उत्पादन में काफी कमी आई थी। पटसन उद्योग का उत्पादन 1965-66 में 13.0 लाख मी० टन से घट कर 1966-67 में 11,2 लाख मी० टन हो गया था, सूती कपड़े (मिल क्षेत्र) का उत्पादन 44010 लाख मी० टन से घट कर 42000 लाख मी० टन हो गया था और चीनी का उत्पादन 35 लाख मी० टन से घट कर 21.5 लाख मी० टन रह गया था।

विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत खराब होने के कारण वर्ष के सर्वोत्तम भाग में भी आयातित कच्चे माल और सामग्री की सप्लाई की स्थिति बहुत बुरी रही थी। इसके फलस्वरूप आयातित कच्चे माल और सामग्री का उपयोग करने वाले कारखानों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा तथा इन उद्योगों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाया।

अनेक उद्योगों मुख्य रूप से धातुर्कामिक एवं अभियांत्रिकी तथा कुछ उपभोक्ता सामान्य उद्योग जैसे सूती कपड़ा मिलों के माल की मांग से गिरावट आने के कारण इनके उत्पादन में भी कमी करनी पड़ी थी। कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट हुई जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई तथा हाल ही के वर्षों में हुई आय मूल्यस्तर में वृद्धि ने उपभोक्ता सामान पर खर्च करने की क्षमता को कम कर दिया है। 1965–66 में निवेश दर लगभग 14 प्रतिशत से कम होकर 1966-67 में करीब 12 प्रतिशत हो गई थी इससे कुछ पूंजीगत माल की मांग पर बुरा प्रभाव पड़ा था। आपूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय (विभिन्न सरकारी विभागों के लिए) द्वारा भी पूंजीगत माल की खरीद में 1966-67 में पिछले वर्ष के मुकाबिले में 8 प्रतिशत से ज्यादा की कमी हो गई थी। पिछले दो वर्षों में बराबर सूखा पड़ने के कारण हुए बजट असंतुलन को ठीक रखने के लिए सरकारी क्षेत्र में निवेश प्रतिबन्ध लगाना अत्यन्त आवश्यक था। इसके फलस्वरूप इस्पात, रेल के डिब्बे, इस्पात ढलाई, सूती कपड़े बनाने की मशीनें, मशीनी औजार, इस्पात के पाइप और ट्यूब, ट्रांसफार्मर और वाणिज्यिक वाहनों जैसे उद्योगों में उत्पादन पर काफी प्रतिबन्ध रखना पड़ा था। इससे बड़ी मात्रा में क्षमता का उपयोग नहीं हो सका था। विशेष रूप से 1965-66 में निर्मित की गई अतिरिक्त क्षमता के संदर्भ में।

निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश भी कुछ दब सा गया था। कम्पनियों के अन्दरूनी स्रोत भी कच्चे माल की लागत में वृद्धि, बढ़े हुए मजदूरी के खर्च इसके साथ ही उनके उत्पादन में आई कमी के कारण डगमगा गए थे, यह बात बैंकिंग पद्धति पर निर्भरता की बढ़ती हुई प्रगति से परिलक्षित हुई थी। फिर भी, बैंकों और संस्थागत एजेन्सियों द्वारा काफी सहायता दी जाने के बावजूद निजी क्षेत्र की कुल पूंजी-निवेश गतिविधि पिछले वर्ष के स्तर पर ही रही थी। इस वर्ष में केवल कुछ नए उद्योग ही शुरू किये गए थे। जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन होने से चालू कार्यों में भी अतिरिक्त रुपया स्रोतों की आवश्यकता के कारण काफी कठिनाई आई थी।

लक्ष्यों की प्राप्ति

1966-67 में परिलक्षित अनेक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। परिशिष्ट 6.2 में 1966-67 के लिए निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक क्षमता तथा किये गए उत्पादन के आंकड़े दिखाये गए हैं। कमी मुख्य रूप से इस्पात, इस्पात ढलाई और गढ़ाई, कोयला खुदाई की मशीनें, कपड़ा उद्योग की मशीनें, कागज तथा चीनी उद्योग की मशीनें, मशीनी औजार, ट्रांसफार्मर बिजली की मोटरें उर्वरक, कास्टिक सोडा, गंधक का तेजाब, सीमेंट, सूती कपड़ा उद्योग, गर्म कपड़ा और चीनी में आई है। अधिक खराब स्थिति से बचने के लिए कृषि निवेशों से सम्बन्धित कुछ उद्योगों में अच्छा कार्य हुआ था। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, अतः कृषि आवश्यकताओं की मांग को बराबर तेज बनाये रखा गया जिससे इन उद्योगों के उत्पादन का स्तर अच्छा रहा। कीड़े मारने की दवा, डीजल एवं बिजली चालित पम्प-सेट तथा ट्रेक्टरों का उत्पादन पिछले वर्ष

की अपेक्षा ज्यादा हुआ । इन उद्योगों के उत्पादन में और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती थी परन्तु उदार आयात नीति के लाभ क्रमशः प्राप्त होते थे ।

यद्यपि 1966-67 में औद्योगिक वृद्धि की दर पिछले बहुत से वर्षों में सब से कम थी, परन्तु इस वर्ष अतिरिक्त निर्मित क्षमता के अर्थों में उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी । 1966-67 में जिन उद्योगों की क्षमता में काफी वृद्धि हुई वे ये हैं—इस्पात, अल्युमीनियम, मशीनी औजार, बिजली तैयार करने व पारेषण संयंत्र, पावर वाइलेट्स, ट्रांसफार्मर, कृषि ट्रैक्टर, इस्पात ढलाई, गंधक का तेजाब, सीमेन्ट और कागज । बिजली तैयार करने के सेट बनाना पहली बार शुरू हुआ था तथा भारी मशीनी औजार तैयार करने के संयंत्र भी स्थापित किये गए थे ।

इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में अनेक नई परियोजनाएं शुरू की गई थीं । इनमें रांची की भारी मशीनी औजार परियोजना तथा रांची में फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना के इस्पात संयंत्र और भारी बिजली के सामान के कारखाने में अनेक संयंत्र और सुविधाएं प्रदान करना शामिल है । उटकमंड की कच्ची फिल्म परियोजना, कोटा की औजार फैक्ट्री और भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार (वायर राड मिल के अलावा) इस वर्ष पूरे हुए थे । कोचीन तेल शोधशाला में कार्य शुरू हुआ था तथा कोयाली एवं बरौनी तेल शोधशालाओं का 20 लाख वाला चरण भी इसी वर्ष प्रारंभ हुआ था । प्रति जैविकी (एन्टीबायोटिक्स) और संश्लिष्ट (सिन्थेटिक) औषधियों की परियोजनाओं का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में था । उर्वरकों के लिए नामरूप और गोरखपुर में निर्माण कार्य प्रगति पर था, मद्रास, कोचीन और दुर्गापुर में नई परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए अपनाई गई थीं । राज्य क्षेत्र में चीरापूंजी सीमेन्ट फैक्ट्री (असम) ने उत्पादन शुरू किया था और बारागढ़ सीमेन्ट कारखाने का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था ।

उद्योगों की समस्याएं हल करने के लिए इस वर्ष अनेक तरीके अपनाए गए थे । आवश्यक लचीलापन लाने के लिए स्थापना और क्षमता के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों में परिवर्तन किये गए थे । आयात नियंत्रण और इस्पात सीमेन्ट और हार्डकोक जैसे उत्पादों के वितरण तथा मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने की नीति में भी इसी वर्ष परिवर्तन किए गए थे । उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन बदलती हुई परिस्थितियों के प्रकाश में लाइसेन्स देने की पद्धति को काफी सुप्रवाही बना दिया था तथा उसमें काफी छूट दे दी गई थी । उद्योग (विकास और विनयमन) अधिनियम, 1951 को लाइसेन्स देने की व्यवस्था से 42 उद्योगों को छूट दे दी गई थी । इस सूची में कृषि को प्रोत्साहन देने वाले अनेक उद्योग थे । जैसे शक्ति चालित पम्प, मिश्रित उर्वरक और बिना सवारी वाले इंजन तथा निर्यात महत्व के कुछ उद्योग जैसे बाइसिकल, सिलाई की मशीनें तथा कुछ अन्य उद्योग जैसे सीमेन्ट, गुदा/कागज और अखबारी कागज ।

इंजीनियरी उद्योग के उत्पादन में विविधता लाने से संबंधित नियम जो 1965 के मध्य में उदार बनाये गये थे उन्हें अक्तूबर 1966 में निर्माण की अन्य शाखाओं पर भी लागू कर दिया गया था केवल कुछ आरक्षण रखा गया है । लघु उद्योग में कुछ महत्व की चीजों के अलावा नई चीजें भी बिना लाइसेन्स लिए निर्माण करने की इजाजत दे दी गई थी बशर्ते कि उसमें विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त व्यय नहीं हो और इस नई चीज का उत्पादन कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो । यह सब कुछ प्रोद्योगिक विकास के उत्पादन में शीघ्र समंजन लाने के

लिए तथा विदेशी एवं घरेलू उपभोक्ताओं की बदलती हुई आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था ।

वर्तमान क्षमता के पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक एककों को अक्तूबर 1966 से लाइसेन्स दी गई क्षमता की अपेक्षा बिना नया लाइसेन्स लिए उत्पादन को 25 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, इसमें कुछ शर्तें अवश्य रखी गई हैं ।

योजना व्यय-व्यवस्था

1966-67 की वार्षिक योजना में संगठित उद्योग एवं खनिज विकास के लिए प्रारंभ में 478 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था रखी थी । बाद में किये गए समंजनों के बाद स्वीकृत व्यय-व्यवस्था 461 करोड़ रुपये थी, इसके मुकाबिले में वास्तविक व्यय लगभग 514 करोड़ रुपए हुआ था । कुछ नई परियोजनाएं जैसे उर्वरक उद्योग इसे मूल योजना में शामिल नहीं किया गया था परन्तु यह व्यय में वृद्धि का कारण था । वृद्धि का एक मुख्य कारण अवमूल्यन था इससे आयातित मशीनें, पुर्जे, फालतू पुर्जे और कच्चे सामान के मूल्य बढ़ गए थे । अलग अलग परियोजनाओं की कुल लागत को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता अनुभव हुई थी । इस वर्ष वृद्धि का बड़ा अंश नइवेली लिगनाइट, सिंगरेनी कोलियरीज, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की परियोजनाओं पर खर्च हुआ था । औद्योगिकी विकास बैंक को ऋण देने के लिए 13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी । सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग में कमी हुई थी । योजना व्यय-व्यवस्था की तुलना में अकेले केन्द्र के व्यय में 37 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी । परिशिष्ट 6.3 में 1966-67 में केन्द्रीय स्कीमों की परिकल्पित व्यय-व्यवस्था और वास्तविक व्यय के विस्तृत ब्यौरे दिये गए हैं ।

इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में हुई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा अगले पैराग्राफों में दिया गया है ।

लोहा और इस्पात

इस्पात के मूल्यों एवं वितरण पर नियंत्रण धीरे धीरे ढीला होता गया और मई 1967 में सभी किस्मों पर से नियंत्रण हटाने की चरमोत्कर्ष स्थिति आ गई थी । इस वर्ष इस्पात के आयात में काफी कमी हुई थी । इसके विपरीत भारत ने 1962-63 में 3.3 करोड़ रुपये के 2.12 लाख मी० टन लोहे के मुकाबिले में 1966-67 में 20 करोड़ रुपए का 4.7 लाख मी० टन लोहे का निर्यात किया था । इसके बावजूद, देश की अपनी मांग कम होने के कारण कुल किस्मों का बहुत अधिक भंडार जमा हो गया था ।

निकट भविष्य में इस्पात की मांग में कम वृद्धि होने तथा पर्याप्त साधनों के अभाव के कारण टाटा आयर्न एन्ड स्टील कंपनी के विस्तार कार्यक्रम को विलंबित कर दिया गया था । इंडियन आयर्न एन्ड स्टील कंपनी के विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी केवल 10 लाख से 13 लाख मी० टन तक की महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी । मिश्रित धातु विभाग में, नरम इस्पात को मिश्रित इस्पात में परिवर्तित करने की मैसूर आयर्न एण्ड स्टील वर्क्स तथा महिन्द्रा युजाइन और गैस्ट कीन विलियम्स् की परियोजनाओं ने संतोषजनक प्रगति की है । मुकुन्द आयर्न एन्ड स्टील की इस्पात भट्टी तथा निरन्तर ढलाई कारखाने तथा अरकोनम की मद्रास राज्य परियोजना ने भी संतोषजनक प्रगति की है ।

यद्यपि भिलाई में बढ़ाई गई सुविधाओं से उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई थी परन्तु दुर्गापुर और राउरकेला संयंत्रों में बढ़ाई गई क्षमताओं का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। भिलाई में उत्पादन और भी अच्छा हो सकता था परन्तु कच्चा लोहा रेल और संरचनात्मक माल की मांग कम होने से नहीं हो पाया था। रेल विस्तार कार्यक्रम में कटौती का भिलाई रेल मिल और दुर्गापुर स्लोपर संयंत्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था। दुर्गापुर के व्हील और एक्सल कारखाने में तथा राउरकेला के टीन प्लेट विभाग में भी उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम ही होता रहा था।

दुर्गापुर में उत्पादन 10 लाख मी० टन से 16 लाख मी० टन बढ़ाने के कार्यक्रम तथा वहीं के मिश्रित धातु इस्पात परियोजना के कार्यक्रम को पूरा करने में विलम्ब हुआ था। यद्यपि भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार का प्रथम चरण बायर रोड मिल के सिवाय, पूरा हो चुका था परन्तु उसके चालू होने में विलम्ब हुआ था। राउरकेला इस्पात कारखाने को पूरा करने के कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से अमल नहीं किया जा सका था। सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों का उत्पादन यहां नीचे दिखाया जाता है।

1966-67 में तैयार इस्पात का उत्पादन लगभग उसी स्तर पर रहा जैसा पिछले दो वर्षों में था।

मद	इकाई	1965-66 वास्तविक		1966-67			
				लक्ष्य		वास्तविक	
		क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
इस्पात की सिल्लियां	दस लाख मी० टन०	6.7	6.5	8.9	7.0	7.6	6.6
तैयार इस्पात	,,	5.1	4.5	6.7	5.2	5.5	4.4
कच्चा लोहा बिक्री के लिए	,,	1.2	1.2	1.5	1.3	1.2	1.0
धातु और विशेष इस्पात	'000 मी० टन	10.0	35.0	50.0	35.0	50.0	40.0

सरकारी क्षेत्र में लोहा और इस्पात का उत्पादन

(दस लाख मी० टन)

मद	1964-65			1965-66			1966-67		
	कच्चा लोहा बिक्री के लिए	इस्पात की सिल्लियां	बेचने योग्य इस्पात	कच्चा लोहा बिक्री के लिए	इस्पात की सिल्लियां	बेचने योग्य इस्पात	कच्चा लोहा बिक्री के लिए	इस्पात की सिल्लियां	बेचने योग्य इस्पात
भिलाई	0.35	1.26	0.91	0.51	1.37	1.03	0.55	1.85	1.33
राउरकेला	0.08	0.98	0.70	0.06	1.06	0.79	0.06	0.94	0.68
दुर्गापुर	0.39	1.01	0.72	0.34	1.00	0.68	0.20	0.77	0.54
कुल	0.82	3.25	2.33	0.91	3.43	2.50	0.81	3.56	2.55

अ-लौह धातु

अल्युमीनियम का उत्पादन 1965-66 में 62,000 मी० टन के मुकाबिले में 1966-67 में 74,200 मी० टन हुआ था परन्तु यह अपने लक्ष्य से एक लाख मी० टन कम हुआ था। यह उत्पादन 93,600 मी० टन की विस्तारित क्षमता के पूर्ण लाभों के अनुसार नहीं था जबकि 1965-66 में उत्पादन 88,500 मी० टन था। उत्पादन में कमी का कारण अतिरिक्त बिजली मिलने में विलम्ब होना तथा बिजली फेल हो जाना था। यदि यह कारण नहीं होते तो उत्पादन अधिक होता क्योंकि इस धातु की मांग उत्पादन से अधिक थी। अल्युमीनियम की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में रत्नागिरि (महाराष्ट्र) और कोरबा (मध्य प्रदेश) में क्रमशः 50,000 मी० टन और 100,000 मी० टन की क्षमता की दो नई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव था। परन्तु तकनीकी सहयोगियों के साथ किसी सन्तोषजनक समझौते पर पहुंचने में कठिनाई अनुभव हुई थी। विशेष रुप से विदेशी मुद्रा व्यय को बचाने के उद्देश्य से डिजाइन अभियांत्रिकी को विकसित करके देसी सामान का उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, पहले चरण में बेलगाम में 30,000 मी० टन की क्षमता का कारखाना लगाना और हिन्दुस्तान एल्युमिनियम निगम की क्षमता को 60,000 से बढ़ाकर 1,20,000 मी० टन करना था।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की प्रति वर्ष 18,000 मी० टन विद्युत-विश्लेषी जस्ता धातु तैयार करने वाली भट्टी उदयपुर के नजदीक निर्माणाधीन है। इस कारखाने को राज्य सरकार से पर्याप्त पानी एवं बिजली दिलाये जाने का प्रबन्ध किया गया था। इस बात का डर था कि पर्याप्त बिजली मिलने में कठिनाई होने से इस कारखाने के समय पर आरम्भ होने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

31,000 मी० टन विद्युत-विश्लेषी तांबा प्रति वर्ष उत्पादन करने की खेतड़ी तांबा परियोजना के क्रियान्वयन का काम तेजी से चालू था। यद्यपि आवश्यक सामान के आदेश दिए जाने में कुछ विलम्ब हुआ था। इस परियोजना की 1969 के अन्त तक शुरू होने की जो पहले संभावना थी वह अब पूरी होती नहीं लगती।

लोह-मिश्र धातु

निर्यात करने वाले देशों तथा देश के इस्पात उद्योगों द्वारा मांग कम होने के कारण फेरो मैंगनीज उद्योग को नुकसान उठाना पड़ रहा था। दो मिश्र धातु कार्बन फेरो-क्रोम परियोजनाएं, एक आंध्र प्रदेश में व दूसरी उड़ीसा में शुरु की जाने से इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई थी। इन कारखानों में 1968-69 तक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

अभियांत्रिकी उद्योग

यद्यपि इस वर्ष भारी अभियांत्रिकी उद्योग के क्षेत्र में क्षमता के वृहद् विस्तार को क्रियान्वित किया गया था परन्तु यह बढ़े हुए उत्पादन से मेल नहीं खाता। इस विकास में योग देने वाले अनेक तत्व हैं। अर्थ-व्यवस्था की गति धीमी करने के कारण माल यातायात के प्रयोजित स्तर में कमी हुई थी जिसके फलस्वरूप रेलवे के विकास कार्यक्रम में कटौती हुई थी। इसी के परिणामस्वरूप रेलवे सामान की पूर्ति में लगे उद्योग वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। वैगन बनाने वाले उद्योग स्लीपर सप्लाई करने के लिए भूरा लोहे जलाने वाले और रेलवे एक्सल बांध

की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले इस्पात ढलाई के उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। चूंकि कोयले की मांग में प्रत्याशित वृद्धि क्रियान्वित नहीं हुई थी अतः कोयलाखानों के मशीनीकरण और विस्तार कार्यक्रम को विलंबित कर दिया गया था। इससे दुर्गापुर में खनन एवं संबंधित मशीनों के निर्माण की परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। क्योंकि यह परियोजना मुख्य रूप से इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाई गई थी। उत्पादन को विविध प्रकार का बनाने का प्रयत्न किया गया था परन्तु इसके लिए काफी निवेश पूंजी और समय की आवश्यकता थी। कोयला खनन उद्योग में मांग की कमी से बुरी तरह से प्रभावित होने वाला तार के रस्से का उद्योग था। इस वर्ष इस्पात तार रस्सा उद्योग में उपयोग की गई क्षमता 14,000 मी० टन है जो स्थापित क्षमता 28,000 मी० टन की आधी है।

इसी प्रकार दुर्गापुर और राउरकेला के विस्तार के कार्यक्रमों को शिथिल कर देने से भारी इंजीनियरी निगम रांची के उत्पादन निर्माण पर प्रभाव पड़ा था, इसके उत्पादन को मजबूर होकर विविध प्रकार का किया गया और इन कामों में काफी समय लगा।

रांची की भारी मशीनरी औजार परियोजना में उत्पादन केवल अक्तूबर 1966 में हुआ अतः इस वर्ष विशेष प्रगति दिखाने का अवसर बहुत सीमित था। यह कारखाना भारी आर्डर लेने और भारी मशीनी औजारों का उत्पादन करने में असमर्थ रहा था जबकि ऐसे भारी इंजीनियरी उद्योग के लिए यह सब कुछ आवश्यक था।

मंदी के रुख के कारण अनेक उद्योगों जैसे स्टूवचरल, केन आदि को धक्का लगा। कपड़ा उद्योग की कठिनाइयों ने कपड़ा मिल की मशीनों की मांग को कम कर दिया था और उनका उत्पादन 1966-67 में घट कर 18 करोड़ रुपया आ गया था। फालतू पुर्जे तथा अन्य सामान के अलावा जबकि 1965-66 में यह उत्पादन 24.2 करोड़ रुपये का था।

मशीनी औजार (अन्य साज सामान के अलावा) का उत्पादन 1965-66 में 22.6 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1966-67 में 26.4 करोड़ रुपये हो गया था। इसी अवधि में क्षमता भी 2.4 करोड़ रुपये से बढ़ कर 32.4 करोड़ रुपये हो गई थी। यद्यपि क्षमता और उत्पादन दोनों ही 1966-67 में निर्धारित लक्ष्य से 35 करोड़ रुपये कम हुआ था। मशीनी औजार की मांग 1966-67 में कम हो गई थी। मांग में कमी होने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पास काफी माल जमा हो गया था इसलिए पिंजौर, कालमसेरी और हैदराबाद के कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों को विलंबित कर दिया गया था। इन कारखानों की तथा बैंगलोर के कारखाने की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हुआ था। बड़ा ही विरोधाभास है कि एक तरफ तो क्षमता का अपूर्ण उपयोग हुआ है और दूसरी तरफ मशीनी औजारों का आयात भी साथ साथ होता रहा। मशीनी औजारों का आयात, आमतौर पर भारी किस्म के तथा विशेष किस्मों के, 1966 में 40.8 करोड़ रुपये तक बढ़ा था इसकी तुलना में 1965 में यह आयात 32.6 करोड़ रुपये तक बढ़ा था। हमारे यहां का उत्पादन अधिकांशतः आम मशीनी औजारों तक ही सीमित रहा है। इसलिए उत्पादन में विविधता लाने तथा मशीनी औजारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयत्न किये गए थे।

भारी बिजली सम्बन्धी कार्य

भोपाल, त्रिचिरापल्ली तथा हैदराबाद की भारी बिजली परियोजनाओं में काफी क्षमता बढ़ी है। केवल केबलों, तारों तथा पेपर इन्सुलेटेड पावर केबलों को छोड़कर 1966-67 में अन्य सभी उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि हुई । कर्षण मोटरों, बिजली की मोटरों तथा परिणामियों (66 के० वी० अथवा इससे अधिक) का उत्पादन भी काफी बढ़ा। आयात प्रतिस्थापन में भी संतोषजनक प्रगति हो रही है। हाइड्रो तथा थरमल टरबाइनों, जनित्रों आदि जैसी सोफिस्टीकेटेड बिजली की मशीनरी के निर्माण की लम्बी अन्तरिम अवधि को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों के उत्पादन कार्यक्रमों को बिजली कार्यक्रमों से सम्बद्ध करने का प्रयास किया गया। लेकिन यह महसूस किया गया कि आश्वस्त आदेशों के बिना निकट भविष्य में उत्पादन का संतोषजनक आधार तैयार करने में कठिनाइयां आयेंगी।

भारत हैवी प्लेट तथा वैसल्स

यह परियोजना विशाखापटनम में चालू की जानी थी। इसे जून 1966 में उठाया गया। इसमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हुई है। यह जेकोस्लोवाकिया की सहायता से चलाई जा रही है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर उर्वरक संयंत्रों तथा पेट्रोलियम परिष्करणशालाओं की संयंत्रों तथा मशीनरी की आवश्यकता की पूर्ति में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा।

कम्प्रेसर तथा पम्प परियोजना

यह तीसरी योजना में प्रस्तावित परियोजना है। इसको सबसे अधिक महत्व पूर्ण परियोजना माना गया है। इसका कार्यान्वयन रूस के सहयोग से करना है। यह प्रस्ताव किया गया था कि नैनी (इलाहाबाद) में स्थापित होने वाले संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 16,700 मीट्रिक टन पम्प तथा कम्प्रैसर तैयार किए जायेंगे तथा इसका अपना ढुलैसर लोह ढलाई घर होगा। स्थानीय तौर पर तैयार किए गए भारी कम्प्रैसरों तथा पम्पों से इस्पात, उर्वरक, रसायन, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम-रसायन उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलेगी। परियोजना के बारे में जो विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसकी जांच की जा रही है।

हल्के इन्जीनियरी उद्योग

टिकाऊ वस्तुओं के निर्माण में लगे कई हल्के इन्जीनियरी उद्योगों के उत्पादन में मांग की कमी के कारण कमी आई उसमें केवल सीमान्त वृद्धि दिखाई दी। इन उद्योगों के विस्तार कार्यक्रमों में भी मन्दी आई। यह स्पष्ट है कि इन उद्योगों पर क्रय शक्ति की वृद्धि का क्षीण प्रभाव पड़ सकता है। परिणामस्वरूप उनके उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है।

उर्वरक

नाइट्रोजनीय उर्वरकों की स्थापित क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। इसका स्तर वही रहा (5,85,000 मीट्रिक टन) जो पूर्व वर्ष में था। इसका मुख्य कारण यह था कि मूल कार्यक्रम के अनुसार विशाखापटनम के उर्वरक कारखाने को समय पर चालू नहीं किया जा

सका। इस कारखाने के चालू हो जाने से 80,000 मीट्रिक टन 'एन' तथा 73,000 मीट्रिक टन P_2O_5 को अतिरिक्त क्षमता पैदा होने का अनुमान था। 1967-68 से अब यह कारखाना चालू हो गया है।

1965-66 में 2,32,000 मीट्रिक टन की तुलना में 1966-67 में नाइट्रोजनीय उर्वरकों का उत्पादन बढ़कर लगभग 2,93,000 मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार उर्वरकों के उत्पादन में यद्यपि पर्याप्त वृद्धि हुई तथापि वर्ष में 400,000 मीट्रिक टन लक्ष्य की तुलना में यह उत्पादन बहुत कम था। लक्ष्य की उपलब्धि में कमी मुख्यतया सिन्दरी, एफ० ए० सी० टी०, ट्राम्बे तथा नेवेली में उत्पादन की कमी के कारण हुई। निम्नकोटि की खड़िया-मिट्टी तथा गैस-पूर्ति के असंतुलन के कारण सिन्दरी के उत्पादन में कमी हुई। उत्पादन कार्यक्रम के अभिनवीकरण तथा गैसपूर्ति की वृद्धि के लिए नेप्था गैस संयंत्र की स्थापना कर कुछ सुधार कार्य किए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप कुछ समय में सिन्दरी की उत्पादन क्षमता पूर्व निर्धारित लक्ष्य के निकट पहुंचने की आशा है। एफ० ए० सी० टी० में उत्पादन की कमी का मुख्य कारण गन्धक तथा बिजली की पूर्ति की कमी का होना था। ट्राम्बे संयंत्र में कई कठिनाइयां आईं। सबसे अधिक कठिनाई नाइट्रो-फास्फेट संयंत्र की अपूर्णता के कारण हुई। आयातित फालतू पुर्जों तथा रसायन की कमी के अतिरिक्त नेवेली परियोजना को कार्यान्वयन की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। राउरकेला में कोयले की मट्टी की गैस की कमी के कारण उत्पादन स्थापित क्षमता के केवल एक तिहाई अंश के बराबर ही पाया गया था। इस कमी को नेप्था गैस संयंत्र की व्यवस्था करके दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

सिन्दरी तथा राउरकेला के लिए पर्याप्त गैस संभरण की कमी जैसी कुछ कमियों की कुछ वर्ष पहले से जानकारी थी। परन्तु इसके सुधार के लिए कदम उठाने में काफी देरी लगी। गन्धक की प्राप्ति के लिए पूर्व कार्यक्रम बनाने की कमी तथा विश्व बाजार में प्रत्याशित कमी के बावजूद इस वस्तु के सम्भरण के लिए दीर्घावधि अनुबन्ध की कमी के कारण वर्ष के दौरान उर्वरक उत्पादन कार्यक्रमों में बाधा आई। इसका कारण स्पष्ट है। आवश्यक कच्चे माल के लिए इसके पूर्ति की कमी को देखते हुए यह आवश्यक है कि पूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौते किए जाए ताकि उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

वर्ष के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों की स्थापित क्षमता के कुल लगभग 60 प्रतिशत अंश का उत्पादन किया गया। P_2O_5 की 2,37,000 मीट्रिक टन स्थापित क्षमता की तुलना में 1966-67 में वास्तव में लगभग केवल 1,44,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। यह वर्ष के लिए रखे गए 2,00,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य से काफी कम था। जहां एक ओर उत्पादन में कमी का आंशिक कारण ट्राम्बे नाइट्रोफास्फेट संयंत्र की अपूर्णता था वहां दूसरी ओर लक्ष्य के अनुकूल उत्पादन में कमी का मुख्य कारण वर्ष के दौरान गन्धक की अत्यन्त कमी का होना था।

फास्फेटिक उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए कदम उठाये गए। अगले कुछ वर्षों में गन्धक की कमी की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली विस्तार योजनाएं मुख्यतया पाइराइट के देसी साधनों के उपयोग पर आधारित की गई। साथ ही उत्पादन प्रक्रिया में गन्धक का बहुत कम उपयोग अथवा बिलकुल उपयोग नहीं करने का प्रयास किया गया। बहुत सोच-समझ के बाद मद्रास में फास्फेटिक उर्वरकों

का उत्पादन आयातित फास्फेटिक अमल से करने का निश्चय किया गया। कोटा में गन्धक के बिना फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए एक प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया। वर्ष के दौरान सिन्दरी में कमजोर पाइराइट के उपयोग से अतिरिक्त फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करने की योजना बनाई गई।

1966-67 में सार्वजनिक क्षेत्र में तीन नई उर्वरक परियोजनाओं में काम चालू किया गया। वे हैं—भद्रास उर्वरक कारखाना जिसकी क्षमता 1,90,000 मीट्रिक टन 'एन' तथा 85,000 मीट्रिक टन P_2O_5 है तथा दुर्गापुर तथा कोचीन परियोजनाएं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 1,52,000 मीट्रिक टन 'एन' है। दुर्गापुर तथा कोचीन परियोजनाएं भारतीय उर्वरक निगम तथा उर्वरक तथा रसायन (त्रावनकोर) लिमिटेड द्वारा आयोजित अभियंत्रित तथा निर्मित की जा रही है। यूरिया तथा अमोनिया की प्रक्रिया के बारे में मोन्टेकाटिनी (इटली) से तेन्था सुधार प्रक्रिया के बारे में पावर गैस कार्पोरेशन (इंग्लैंड) से जानकारी प्राप्त की गई। इस जानकारी से देश में संयंत्र की रूप रेखा बनाई जा सकी। उर्वरक तथा रसायन (त्रावनकोर) परियोजना का चार चरणों में विस्तार करने के लिए बनाई गई योजना का अनुमोदन किया गया। इससे परियोजना की उत्पादन क्षमता बढ़कर 92,000 मीट्रिक टन हो जायेगी।

1966-67 में लगभग 97 करोड़ रुपये की कीमत के उर्वरकों का आयात किया गया। वर्ष के दौरान उर्वरकों की मांग भी बढ़ती गई। उर्वरक उद्योग में बढ़ते हुए निजी निवेश को दृष्टि में रखते हुए 1965 के अन्त में कई नीतिपरक निर्णय किए गए। उर्वरक उद्योग को उच्च प्राथमिकता भी दी गई थी। प्रारम्भ में उर्वरक कारखानों को उत्पादन से सात वर्ष तक वितरण तथा मूल्य नियंत्रण के उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया। इसके साथ शर्त यह रखी गई कि समझौते के अनुसार सरकार की कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत अंश वसूल कर लेने का अधिकार होगा। वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र में कई नई परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया जिनमें गोआ परियोजना कोटा परियोजना तथा कानपुर परियोजना भी सम्मिलित हैं। गुजरात उर्वरक परियोजना तथा एन्नौर परियोजना के विस्तार का भी अनुमोदन किया गया।

भारी रसायन

कास्टिक सोडा के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई। कास्टिक सोडा का उत्पादन 1965-66 में 2,18,000 मीट्रिक टन की तुलना में 1966-67 में बढ़कर 2,33,000 मीट्रिक टन हो गया। इसी अवधि में कुल क्षमता 2,70,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2,96,000 मीट्रिक टन हो गई थी परन्तु इसकी तुलना में उत्पादन कम हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि पर्याप्त क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। कम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारण बिजली की भारी कमी होना था जिससे कई औद्योगिक ईकाइयां प्रभावित हुईं। हां क्षमता के बारे में पर्याप्त प्रगति हुई। साथ ही यह उद्योग लगभग स्वावलम्बन की स्थिति में आ गया। वर्ष के दौरान सोडा-राख के उद्योग की क्षमता में भी बहुत कम वृद्धि हुई। 1966-67 के अन्त तक यह क्षमता बढ़कर 3,63,000 मीट्रिक टन हो गई। प्रारम्भ में वर्तमान औद्योगिक ईकाइयों में से एक के विस्तार से क्षमता में वृद्धि हुई थी। उत्पादन में भी बहुत कम वृद्धि हुई जो 1965-66 में 3,31,000 मीट्रिक टन

से बढ़कर 1966-67 में 3,48,000 मीट्रिक टन हो गया। इस उद्योग में भी लगभग स्वावलम्बन की स्थिति पैदा हो गई। अतिरिक्त क्षमता पैदा करने में भी संतोषजनक प्रगति नहीं हुई क्योंकि जिन नयी योजनाओं के लिए लाइसेंस दिए गए उनमें बहुत कम प्रगति हुई। समझौतों के अनुसार समुचित रूप से विदेशी सहयोग प्राप्त होने में देरी तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण योजनाओं का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

गन्धकमय अम्ल के उत्पादन में भी केवल सीमान्त वृद्धि हुई क्योंकि 1965-66 में 6,62,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 1966-67 में गन्धकमय अम्ल का उत्पादन 7,02,000 मीट्रिक टन हो गया। फास्फेटिक उर्वरक के उद्योगों तथा अन्य उद्योगों को गन्धकमय अम्ल की बहुत कमी सहनी पड़ी। यदि गन्धक की पूर्ति सीमित न होती तो उत्पादन बहुत अधिक होता।

अमजोर (बिहार) की पाराइट परियोजना में प्रगति पूर्व अनुमान से कम हुई। गंधकीय अम्ल संयंत्र की स्थापना के लिए समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया था परन्तु खनन कार्यक्रम का शीघ्र कार्यान्वयन नहीं किया जा सका जिसका कारण आवश्यक मशीनरी तथा उपकरणों की उपलब्धि में देरी होना था। अधिकांश कार्य शारीरिक श्रम से चलाया गया। इससे परियोजना समय पर पूर्ण न होने की संभावना है। पाराइट का अधिक से अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए वर्ष के दौरान यह निर्णय किया गया कि कच्चे पाराइट की खनन क्षमता बढ़ाकर एक मीलियन मीट्रिक टन वार्षिक की जाए तथा इस दिशा में अधिक से अधिक खोज की जाए।

पेट्रो-रसायन

निजी क्षेत्र में (संघ कारबाइड) दिसम्बर, 1966 से प्रथम नेफ्था क्रेकर का प्रारम्भ हुआ इसमें पोलिथिलीन तथा सम्बद्ध पेट्रो-रसायन की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसके एक विस्तार कार्यक्रम के पूर्ण होने पर पोजिस्ट्रीन की क्षमता में भी वृद्धि हुई। बम्बई में निजी क्षेत्र में एक दूसरे बड़े नेफ्था क्रेकर का निर्माण कार्य भी काफी आगे पहुंचा। आलोच्य वर्ष में फीनौल तथा फथालिक एनहाइडराइड के उत्पादन के लिए हारदिलिया रसायन योजना में भी अच्छी प्रगति हुई।

परन्तु प्रतिस्थापन की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की क्षमता बढ़ाने की योजना में महत्वपूर्ण अन्तराल रहा। संश्लिष्ट रेशों के उत्पादन के लिए क्षमता बनाई जा चुकी थी तथा वर्ष के दौरान इस हेतु और लाइसेंस भी दिए गए। परन्तु डी० एम० टी० तथा केप्रोलाक्टम जैसे बिचौले रेशों के लिए योजना नहीं बनाई जा सकी। इसी प्रकार देसी साधनों तथा उनकी मांग बढ़ते हुए अन्तराल के बावजूद भी संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। इन मदों पर आयोजन का काम पिछड़ गया जिसका कारण गुजरात के पेट्रो-रसायनशाला के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले समझौते की कठिनाइयां थीं। वर्ष के अन्त में समझौते के लिए बातचीत बन्द कर दी गई तथा नए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कदम उठाए गए ताकि नई व्यवस्था के अन्तर्गत गुजरात पेट्रो-रसायनशाला को चालू किया जा सके।

पूर्व वर्ष की तुलना में 1966-67 में प्लास्टिक के उत्पादन में व्यावहारिक रूप से किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। पी० वी० सी० तथा पोलिथेलिन के उत्पादन में कुछ कमी हुई। परन्तु पोलिस्ट्रीन के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई बम्बई में अतिरिक्त क्षमता पैदा होने से

पोलिथेलिन की क्षमता केवल लगभग 7000 मीट्रिक टन बढ़ गई । यह क्षमता केवल 1966-67 के अन्त में ही पैदा हो पाई जिसके कारण वर्ष के दौरान उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी ।

उपभोक्ता-वस्तु उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग : 1966-67 के अन्त तक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापित क्षमता 167 लाख तकली तथा 20.8 लाख करघे थी । 1966-67 में मिल क्षेत्र में कपड़े तथा धागे का उत्पादन क्रमशः 42020 लाख मीटर तथा 9020 लाख किलोग्राम था । वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सूती कपड़े तथा धागे का उत्पादन कम हुआ । यह उत्पादन 1965-66 के उत्पादन से भी कम था । उत्पादन कम होने के कई कारण थे, जैसे-वर्षा का न होना जिसका देसी कपास की फसल पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, कुछ राज्यों में की गई बिजली की कमी, ऋण की कठिनाई तथा जनता की क्रय शक्ति की कमी के कारण कपड़े की खपत में कमी । लगभग 1966-67 के मध्य से बिजली के नियंत्रण के हट जाने से उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी परन्तु कपास की कमी के कारण उत्पादन में बाधा उपस्थित हुई । अतः दिसम्बर, 1966 के मध्य से अगस्त , 1967 के अन्त तक उद्योग को बाध्य होकर फिर अल्प समय के लिए चलाना पड़ेगा तथा कपास के संभरण को सुरक्षित करने तथा मिलों में इसके समान वितरण के लिए कदम उठाने पड़े ।

पटसन : कच्चे पटसन की पूर्ति की कमी के कारण वर्ष के दौरान पटसन के उद्योग को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 1965-66 में इस उद्योग का उत्पादन 13 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया था परन्तु 1966-67 में यह घट कर 11 लाख मीट्रिक टन हो गया । पटसन की वस्तुओं का निर्यात भी हाल के वर्षों की तुलना में कम हुआ ।

1966-67 में देसी कच्चे पटसन का उत्पादन 69.2 लाख गांठें होने का अनुमान है परन्तु यह उद्योग की मांग से बहुत कम था । अतः देसी संभरण बढ़ाने की दृष्टि से 31 मार्च, 1967 तक कच्चे पटसन के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया । वर्ष के दौरान लगभग 57 करोड़ रुपये के मूल्य के कच्चे पटसन तथा मेस्टा की लगभग 17 लाख गांठों का आयात किया गया । आयात की अधिक लागत चुकाने के लिए आयातकर्ताओं को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से सरकार ने पटसन की मिलों को तदर्थ सहायता देने का निश्चय किया । कच्चे पटसन की पूर्ति कम होने से मार्च से अगस्त , 1966 तक लगभग 15 प्रतिशत करघों को बन्द किया गया तथा मई 1966 के अन्त में एक सप्ताह तक सभी करघे बन्द रहे ।

अवमूल्यन के पश्चात् सरकार ने हैसियन पर 900 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा अन्य पटसन की वस्तुओं पर 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया ताकि निर्यात की वस्तुओं के कुल मूल्य को घटने से बचाया जा सके । पुनरीक्षण के पश्चात् 11 फरवरी, 1967 से कपास की बोरियों पर निर्यात शुल्क घटाकर 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया ।

पटसन उद्योग ने अपनी मशीनरी के आधुनिकीकरण में अच्छी प्रगति की है। एकल पारी आधार पर स्थापित हैसियन तथा करचों को शत प्रतिशत तथा दूसरी पारी में 7 प्रतिशत बढ़िया तथा 10 प्रतिशत साधारण हैसियन व करचों को चालू करने के लिए बढ़िया तथा साधारण दोनों प्रकार के तकुओं के आधुनिकीकरण में हुई प्रगति पर्याप्त है। वर्ष के अन्त तक इस उद्योग ने कार्पेट के पीछे लगने वाले कपड़े के उत्पादन के लिए अपेक्षित लगभग 3034 बड़े करचों की स्थापना की। तीन पारी के आधार पर इन करचों को चालू रखने के लिये आधुनिक तकुए पर्याप्त थे।

चीनी : 1965-66 में चीनी का सबसे अधिक अर्थात् 35 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था जो 1966-67 में घट कर लगभग 21.5 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस वर्ष उत्पादन में कमी का कारण खेती के लिए प्रतिकूल मौसम तथा गन्ना प्राप्त करने में चीनी उद्योग द्वारा गुड़ तथा खण्डसारी निर्माताओं के साथ होने वाली कड़ी प्रतियोगिता है।

कागज तथा अखबारी कागज : 1965-66 की तुलना में 1966-67 में कागज उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई। कागज तथा कागज के गत्ते का उत्पादन 5,58,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 5,80,000 मीट्रिक टन हो गया तथा उत्पादन क्षमता 6,69,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 7,11,000 मीट्रिक टन हो गई। क्षमता की वृद्धि कुछ वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने से हुई। विकास के लिए अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने की दृष्टि से कागज उद्योग को जुलाई 1966 में उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम की लाइसैंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया। साथ ही कागजी गत्ते के उद्योग को भी दिसम्बर 1966 से यह सुविधा प्रदान की गई। इस शिथिलता के उपरान्त भी कागज उद्योग में नए निवेश के लिए व्यवहारतः कोई सुधार नहीं हुआ। इस गतिरोध का कारण इस उद्योग का कम-लाभप्रद होना तथा निवेशकर्ताओं द्वारा नई परियोजनाएं चालू करने में रुचि न दिखाना बताया गया है। इससे यह लगता है कि कुछ वर्षों में मांग बढ़ने से कागज की कमी हो जायगी हालांकि इस समय कागज की पूर्ति संतोषजनक है। अतः इस समस्या के हल के लिए शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

2700 मीट्रिक टन मुद्रा तथा बैंक-नोट कागज के उत्पादन के लिए होसंगाबाद में स्थापित किए जाने वाले सैक्यूरिटी पेपर मिल के निर्माण में काफी प्रगति हुई। आलोच्य वर्ष में असैनिक कार्य से सम्बन्धित कई मदें पूर्ण की गई तथा अपेक्षित स्थान पर काफी मशीनरी तथा उपकरण पहुंचाए गए। आशा है इस इकाई में पूर्ण क्षमता से उत्पादन होने पर लगभग 3 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

अखबारी कागज के मामले में 30,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता की तुलना में 1966-67 में नेपा पेपर मिल में 29,500 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। 1965-66 में 20,300 मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन कम था। वर्ष के दौरान श्रम की गड़बड़ी के कारण भी उत्पादन में कमी आई। कारखाने की उत्पादन क्षमता 75,000 मीट्रिक टन करने के लिए बनाए गए विस्तार कार्यक्रम में भी संतोषजनक प्रगति हुई। आशा है 1968-69 में पेपर मिल अनुभाग तथा 1969-70 में लुगदी अनुभाग में उत्पादन चालू हो जायेगा।

यद्यपि नेपा के विकास में अच्छी प्रगति हुई है तथापि अखबारी कागज की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। इस समय प्रत्येक वर्ष 12 करोड़ रुपये का अखबारी कागज आयात किया जाता है। इस क्षेत्र में नई परियोजनाएं चालू करने में

वर्ष के दौरान बहुत कम प्रगति हुई। सरकारी क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यरूप नहीं दिया गया। निजी क्षेत्र में एक दूसरी परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई। इसका कारण वन के कच्चे माल के संभरण के सम्बन्ध में समझौते में देरी होना था।

सीमेंट

तीसरी योजना के अन्त में सीमेन्ट उद्योग की क्षमता 120 लाख मीट्रिक टन थी जो 1966-67 में बढ़कर 122 लाख मीट्रिक टन हो गई। इसी अवधि में उत्पादन 108.1 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 110.7 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उत्पादन भी कम हुआ तथा क्षमता की वृद्धि भी कम हुई। लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का मुख्य कारण वर्ष के दौरान कुछ परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वित न होना था। फिर भी सीमेन्ट की पूर्ति सन्तोषजनक थी। सीमेन्ट की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। सामान्य स्वतंत्रता की नीति के रूप में सीमेन्ट उद्योग को मई, 1967 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। जनवरी, 1966 में सीमेन्ट के मूल्य तथा वितरण पर कानूनी नियंत्रण के संबंध में शिथिलता की जो घोषणा की गई थी उसे दिसम्बर 1967 तक एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया।

1965 में भारतीय सीमेन्ट निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम को कुरकुण्टा (मैसूर) तथा मान्धर (मध्य प्रदेश) में क्रमशः 2 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के दो सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त निगम ने देश के विभिन्न भागों में चूने के पत्थर की विस्तृत खोज की ताकि नई इकाइयां चालू की जा सकें। भिलाई इस्पात संयंत्र में एकत्र होने वाले धातुमल पर आधारित नन्दिनी में एक सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना का भी हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड ने विस्तृत अध्ययन किया।

ख निज

खनिज तेल : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड ने देश के विभिन्न भागों में खोज, छेदन विकास तथा उत्पादन कार्यक्रम को चालू रखा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रम के फलस्वरूप (क) बम्बई के उत्तर-पश्चिम में समुद्र तट से काफी दूरी पर एक बहुत बड़े ढांचे की स्थापना हुई, (ख) ढोलफा, अहमदाबाद तथा मेहसाना में तेल का पता चला, (ग) अंकलेश्वर में अपरिष्कृत तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई। यहां तेल का उत्पादन 6000 मीट्रिक टन प्रति दिन से बढ़कर अप्रैल, 1966 में 6,600 मीट्रिक टन प्रति दिन तथा अक्तूबर, 1966 से 7,400 मीट्रिक टन प्रति दिन हो गया तथा (घ) रुद्रसागर (असम), कालोल तथा नवागांव (गुजरात) में परीक्षणात्मक आधार पर तेल का उत्पादन शुरू किया गया। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक अपरिष्कृत तेल पैदा किया गया। इसमें से 25 लाख मीट्रिक टन केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पैदा किया गया था।

1966-67 के दौरान कुल लगभग 130 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थों की खपत हुई। इस वर्ष लगभग 50 मीट्रिक टन अपरिष्कृत तेल का उत्पादन हुआ। 1966-67 में लगभग 80 लाख मीट्रिक टन अपरिष्कृत तेल का आयात करना पड़ा। पृष्ठ 64 पर दी गई सारणी में पिछले छः वर्षों में अपरिष्कृत तेल के वास्तविक उत्पादन का विवरण दिया गया है :

अपरिष्कृत तेल का उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन)

1961	0.50
1962	1.07
1963	1.66
1964	2.21
1965	3.02
1966	4.64

तेल परिष्करण क्षमता धीरे-धीरे अब स्वावलम्बन की स्थिति तक पहुंच गई है। इसमें कभी सीमान्त कमी तथा कभी सीमान्त अधिक रहता है जो तेल के उद्यम में एक साधारण बात है। कोचीन की नई परिष्करणशाला में सितम्बर, 1966 से काम चालू हो गया तथा छः महीने के अन्दर इसमें 22 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। इसकी उस समय उत्पादन क्षमता 25 लाख मीट्रिक टन थी। वर्ष के दौरान बरौनी तथा कोयाली परिष्करणशालाओं में 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता और पैदा हुई। अपरिष्कृत तेल के मामले में गुजरात परिष्करणशाला में क्षमता के अनुकूल उत्पादन होने लगा और मार्च, 1967 तक 20 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ जब कि बरौनी में पूर्ण क्षमता के अनुकूल उत्पादन होना बाकी था। ऐसा मुख्यतया कोयले की इकाई में आई कठिनाइयों के कारण हुआ। मद्रास की 25 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली परिष्करणशाला का निर्माण कार्य भी आलोच्य वर्ष में चालू हुआ।

अपरिष्कृत तेल के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने काम्बे से धुरावन बिजली-घर को 470 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक गैर-सहयोजित गैस का संभरण किया तथा अंकलेश्वर से उत्तरण बिजली घर को 730 लाख क्यूबिक मीटर सहयोजित गैस का सम्भरण किया। वर्ष के दौरान गुजरात उर्वरक निगम को भी सहयोजित गैस भेजी जाने लगी।

इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि देश में तेल की खोज तथा उसकी सम्भावना का यथाशीघ्र पता लगाकर अपरिष्कृत तेल की मांग तथा देसी उत्पादन के बीच की खाई को पाटा जाय। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त होने की आशा है परन्तु कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। अपरिष्कृत तेल के उत्पादन के लिए किए जाने वाले निवेश तथा तत्पश्चात् उत्पादन की स्थिति जिस अवधि में आयेगी उस पर भी समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। पैट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए परिष्करण की अधिक क्षमता पैदा करने की आवश्यकता है तथा अपरिष्कृत तेल तथा पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर भी समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है।

कोयला : 1966-67 में कोयले का उत्पादन 710 लाख मीट्रिक टन हुआ था। पूर्व वर्ष की तुलना में उत्पादन में केवल सीमान्त अर्थात् केवल 7 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई थी। फिर भी 10 से 30 लाख मीट्रिक टन कोयले (लिग्नाइट सहित) की कमी रही। परन्तु कोयले का उपयोग करने वाले उद्योगों की मांग पूरी करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं आई। वास्तव में 1966-67 में इन उद्योगों की मांग कम हो गई क्योंकि इस वर्ष 619.7 लाख मीट्रिक टन कोयला भेजा गया था जो 1965-66 की तुलना में 12.1 लाख मीट्रिक टन कम था। खान से कम कोयला जाने से तथा उत्पादन में सीमान्त वृद्धि के कारण खान पर वर्ष के अन्त तक 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक कोयला जमा हो गया।

पृष्ठ 65 पर दी गई सारणी में पिछले कुछ वर्षों में कोककर कोयले, गैर-कोक कर कोयले तथा लिग्नाइट के उत्पादन का विवरण दिया गया है।

सारणी से यह स्पष्ट है कि 1966-67 में निजी क्षेत्र में उत्पादन 540 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 550 लाख मीट्रिक टन हो गया अर्थात् इस अवधि में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन अधिक हुआ। इस दिशा में सरकारी क्षेत्र का योग लगभग 2 लाख मी० टन कम था। सिंगरेनी परिष्करणशालाओं में लगभग एक लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन होने पर भी हुआ। सिंगरेनी का अतिरिक्त उत्पादन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की परिष्करणशालाओं तथा नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा उत्पादन में की गई क्षतिपूर्ति से अधिक है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की परिष्करणशालाओं का वास्तविक उत्पादन 1966-67 के लिए निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम नहीं था। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का लक्ष्य के अनुकूल उत्पादन न होने के कई कारण थे। नेवेली लिग्नाइट निगम का वर्ष के दौरान कम उत्पादन होने का एक कारण खनन मशीनरी की एक इकाई का समाप्त होना था तथा दूसरा कारण 1966 में अन्तिम तीन महीनों में भारी वर्षा का होना था जिसके कारण खोदने का काम पिछड़ गया। कुछ महीनों में लिग्नाइट का उत्पादन बहुत कम हुआ जिसका बिजली घर में बिजली के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा परन्तु ब्रिक्यूटिंग तथा कार्बोनाइजेशन संयंत्र तथा उर्वरक संयंत्र आदि के संचालन पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये इकाईयां अपनी क्षमता के अनुकूल उत्पादन नहीं कर रही थीं।

कोयला धुलाई घर : तीसरी योजना के अन्त तक 9 कोयला धुलाई घरों में काम चालू था जिसकी कुल क्षमता लगभग 3060 मीट्रिक टन प्रति घण्टा थी। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कथारा, गिदी, सावंग तथा कारगली में चार और धुलाई घरों की स्थापना की जा रही थी। रूस के सहयोग से स्थापित होने वाले कथारा धुलाई घर में काम चालू था। कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण पोलैंड के सहयोग से स्थापित होने वाले गिदी धुलाई घर का निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल सका। पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित होने वाला सावांग धुलाई घर का निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा था। आशा है यह मार्च, 1968 तक तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सुदामडिह तथा मोदिडिह में दो कोककर कोयला धुलाई घरों के निर्माण की योजना बनाई है जिनकी क्रमशः कच्चे कोयला अन्तर्धारण क्षमता के लगभग 22 लाख मीट्रिक टन तथा 21 लाख मीट्रिक टन होगी।

खनिज लोहा : 1966 में खनिज लोहे का उत्पादन 26.34 लाख मीट्रिक टन हुआ जो पूर्व वर्ष की तुलना में 2.67 लाख मीट्रिक टन अधिक था। किरीबुरु खनिज लोहा परियोजना 1964

(मीलियन मीट्रिक टन)

	कोककर कोयला			गैर-कोककर कोयला				कुल कोयला			लिग्नाइट
	रा को वि नि	निजी क्षेत्र	कुल	रा को वि नि	सिंग रेनी	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1961-62 . . .	2.91	14.08	16.99	3.14	2.82	32.22	38.19	8.88	46.30	55.18	0.05
1964-65 . . .	2.76	13.76	16.52	5.50	3.65	37.11	46.26	11.91	50.87	62.78	1.60
1965-66 . . .	2.78	14.18	16.96	6.83	4.04	39.91	50.78	13.65	54.09	67.74	2.59
1966-67 . . .	2.89	13.69	16.58	6.50	4.12	41.35	51.97	13.51	55.05	68.56	2.46

में पूरी हो गई थी परन्तु विशाखापटनम में खनिज लोहे के लिए अपेक्षित सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण 1964-66 में इसमें अपनी क्षमता के अनुकूल उत्पादन नहीं हो सका। 1966-67 के दौरान इसमें लगभग पूरी क्षमता से उत्पादन होने लगा। बैलाडिला खनिज लोहा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ गया है तथा इसमें पूर्व अनुमान के अनुसार 1967 के मध्य से पहले उत्पादन शुरु नहीं हो सकता।

अध्याय 7

ग्रामोद्योग और लघु ऊद्योग

विभिन्न ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों की प्रगति 1966-67 के दौरान संतोषजनक रही यद्यपि गत वर्ष की अपेक्षा इन कार्यक्रमों का आकार और मात्रा काफी कम थी।

सरकारी क्षेत्र में हुये वास्तविक व्यय और गैर सरकारी क्षेत्र में किये गये निवेश के आधार पर अनुमान है कि 1.4 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त पूर्णकालिक रोजगार की व्यवस्था हुई है। तीसरी योजना के दौरान 1.25 लाख व्यक्तियों के रोजगार के वार्षिक औसत की तुलना में यह बहुत कुछ ठीक ठहरता है। सूती वस्त्र उद्योगों के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में वस्त्र के उत्पादन में और कुछ लघु उद्योगों के उत्पादनों के निर्यात में 1966-67 के दौरान वृद्धि हुई यद्यपि इन क्षेत्रों में पहले जितनी आशा की गई थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। उद्योगों के विकिरण, व औद्योगिक सहकारिताओं और छोटे सहायक उद्योगों के विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति भी धीमी थी।

व्यय की प्रगति

नीचे की सारणी में 1966-67 और इसके पहले के दो वर्षों के दौरान विभिन्न लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र में किये गये वास्तविक व्यय का ब्यौरा दिया गया है:

ग्रामोद्योग और लघु ऊद्योगों के अधीन योजना व्यय की प्रगति

(करोड़ रुपये)

	1964-65	1965-66	1966-67
हथकरघा उद्योग	5.34	5.04	5.09
बिजली चालित करघे	0.29	0.12	—
खादी और ग्रामोद्योग	18.84	19.78	18.60
रेशम उद्योग	1.21	1.53	0.99
नारियल जटा उद्योग	0.33	0.60	0.34
दस्तकारी	1.04	1.69	2.14
लघु उद्योग	13.52	17.77	11.78
औद्योगिक बस्तियां	5.56	5.42	2.16
ग्रामोद्योग परियोजनायें	1.71	2.37	2.20
कुल	47.84	54.32	43.30

केन्द्र, राज्यों और संघीय क्षेत्रों के व्यय का अलग अलग ब्यौरा परिशिष्ट 7 में दिया गया है।

वास्तविक व्यय 1966-67 के दौरान 43 करोड़ रुपये से अधिक रहा जब कि 1965-66 में यह खर्च लगभग 54 करोड़ रुपये था। वर्ष 1966-67 के दौरान खर्च के स्तर के घटने का कारण यह था कि अधिकांश राज्य सरकारों ने कुछ तो वित्तीय साधनों की कमी के कारण और अंशतः सीमित साधनों के अधिकांश भाग को विकास की अन्य मदों के लिए निर्धारित कर दिये जाने के कारण कुल मिलाकर इस क्षेत्र को निम्न प्राथमिकता दी।

ऋण और वित्त

राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों ने उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत 1965-66 के दौरान लगभग 3.7 करोड़ रुपये खर्च किये। वर्ष 1966-67 के दौरान भी कुल वितरण लगभग पिछले वर्ष के स्तर के समान ही रहा। सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में से उपलब्ध की गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कई संस्थात्मक अभिकरणों के द्वारा ऋण सुविधाओं की व्यवस्था जारी रही। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा 1966-67 के दौरान छोटे और मंझोले उद्योग संस्थानों के लिए कुल 20.2 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये जबकि 1965-66 में यह राशि 23.4 करोड़ रुपये थी। पर 1966-67 में कुल वितरित राशि 17.6 करोड़ थी जबकि 1965-66 में यह राशि 16.1 करोड़ रुपये थी। इनमें से नौ निगम सम्बन्धित राज्यों के एजेन्टों के रूप में उद्योगों के लिए राज्य सहायता अधिनियमों/नियमों के अधीन लघु उद्योगों को रियायती वित्तीय सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत मार्च 1967 तक इन निगमों ने 4.5 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसकी सहायक शाखाओं द्वारा उदार बनाई गई स्कीम के अन्तर्गत लघु उद्योगों, औद्योगिक सहकारी संस्थाओं और ग्रामोद्योग परियोजना के अन्तर्गत आनेवाले छोटे एककों को और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध थी। मार्च, 1966 के अन्त तक जिन्हें सहायता दी गई थी उन औद्योगिक एककों की कुल संख्या 11,528 थी जो कि मार्च 1967 तक बढ़कर 14,275 हो गई और इसके लिए स्वीकृत कार्यकर पूंजी 65.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 85.63 करोड़ रुपये हो गई। लघु उद्योगों के लिए ऋण गारन्टी स्कीम की व्यवस्था रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा की जाती है। इसके अधीन ऋणों की 14,544 गारन्टियां दी गई जिनकी राशि 53.1 करोड़ रुपये थी जबकि इस के पिछले वर्ष 12,427 गारन्टियां दी गई थीं। जिनकी कुल ऋण राशि 47.9 करोड़ रुपये थी। इनमें मार्च 1967 को समाप्त होने वाली 15 महीनों की अवधि के दौरान औद्योगिक सहकारी समितियों को दी गई 10.93 लाख रुपये की राशि की 36 गारन्टियां भी शामिल हैं, इस स्कीम के व्यावहारिक रूप की जांच के बाद अगस्त 1966 से इसमें अनेक उदारतायें लाई गई जिसमें इस स्कीम को विस्तृत बनाकर इसके अन्तर्गत राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को और निर्दिष्ट अनुसूचित बैंकों को ले आना, गारन्टी के आवरण और आदेश अधिक तक ऋण राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना आदि शामिल है। रिजर्व बैंक हथकरघा बुनकर समितियों की कार्यकर पूंजी की पूर्ति के लिए केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों को ऋण सुविधायें भी उपलब्ध करता रहा है। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निकाली गई कुल राशि और हाथकरघा उद्योग के लिए स्वीकृत की गई विशेष ऋण

राशि 1966-67 में 5.04 करोड़ रुपये थी जबकि इसके पिछले वर्ष यह राशि 5.55 करोड़ रुपये थी।

औद्योगिक सहकारी समितियां

वर्ष 1967 के अन्त में औद्योगिक सहकारी समितियों की कुल अनुमानित संख्या 54,000 थी, जबकि 1964 के अन्त में यह संख्या 46,800 थी। इस अवधि के दौरान सदस्य संख्या अनुमानतः 30.10 लाख से बढ़कर 33.86 लाख हो गई और कार्यकर पूंजी 87.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 114.1 करोड़ रुपये हो गई, उत्पादन 88.2 करोड़ रुपये से बढ़ कर लगभग 108.2 करोड़ रुपये हो गया और बिक्री 99.6 करोड़ से बढ़कर लगभग 156.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। औद्योगिक सहकारी समितियों के राष्ट्रीय संगठन ने अक्तूबर, 1966 से कार्य करना आरम्भ किया; इसका मुख्य कार्य औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्पादनों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और देश के अन्दर भी उनकी खरीद बिक्री में सहायता पहुंचाना है। सहकारी समितियों द्वारा संस्थात्मक अभिकरणों से ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति में सम्मुख आने वाली कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक विशेष कार्यकारी दल का गठन भी समीक्ष्य अवधि के दौरान किया गया।

ग्रामोद्योग परियोजनाएं

ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम का आरम्भ 1962-63 में किया गया था। इसका लक्ष्य चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के सघन विकास के लिए प्रभावशाली प्रविधियां, पद्धतियों और कार्यक्रमों का विकास करना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 49 परियोजनाओं का क्षेत्र शामिल था और इसमें मुख्यतया परिवर्धक साधन अपनाये गये थे जिनमें प्रशिक्षण और सामान्य सेवा सुविधायें, किराया खरीद की शर्तों पर मशीनों की पूर्ति, कच्चे माल की बिक्री और पूर्ति के लिए सहायता और कार्यशालाओं (वर्क शैडों) के निर्माण, मशीनों की खरीद और कार्यकर पूंजी के लिए ऋणों की व्यवस्था शामिल थी। इस कार्यक्रम पर 1966-67 के दौरान 220 लाख रुपया खर्च किया गया जबकि इसके पूर्व वर्ष में 237 लाख रुपया खर्च किया गया था। मार्च, 1966 तक 425 प्रशिक्षण केन्द्र गठित किये गये थे जिनमें लगभग 6000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध की गई। इसके अतिरिक्त 161 सामान्य सुविधा केन्द्र भी स्थापित किये गये थे। परियोजना क्षेत्र में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 3,500 औद्योगिक एकक और 300 औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित की गई। इसी अवधि के दौरान लगभग 3100 वर्तमान निजी उद्योगों को लगभग 1055 औद्योगिक सहकारी समितियों को अपने कार्य कलाप को बढ़ाने के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 7,900 एककों को सहायता दी गई और इससे लगभग 49,000 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार सुविधायें उपलब्ध हुई।

ग्रामोद्योग योजना समिति द्वारा गठित मूल्यांकन अध्ययन दल ने कार्यक्रम के परिणामों का प्राक्कलन करने के लिए अपना क्षेत्रीय अध्ययन पूरा कर लिया। ग्रामों के उद्योगीकरण के लिए प्रोत्साहन से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट विचाराधीन थी।

विकास कार्यक्रम

कुछ छोटे लघु उद्योगों के 1966-67 के उत्पादन और निर्यात के ठीक ठीक लक्ष्य निश्चित नहीं किये गये हैं पर पिछली वार्षिक योजना में इसके कुछ स्थूल अनुमान दिये गये थे। कुछ उद्योगों के उत्पादन और निर्यात की भौतिक उपलब्धियों के बारे में उपलब्ध सूचनायें नीचे दी जा रही हैं :

		1965-66	1966-67	
		वास्तविक	लक्ष्य संभावित प्रवृत्तियां	वास्तविक
1	उत्पादन			
	सूती हथकरघा, बिजली चालित करघा और खादी का कपड़ा (10 लाख मीटर) . . .	3124	3500	3180
	कच्चा रेशम (लाख किलो ग्राम) .	21.5	23.0	20.5
2	निर्यात			
			(करोड़ रुपये)	
	हथकरघा : मानक वस्त्र . .	8.3	—	7.5
	दस्तकारी . . .	27.8	28.0 (44.1)	40.4
	नारियल जटा और उससे बनी वस्तुयें	12.0	13.5 (21.0)	13.9
	रेशमी वस्त्र और कतरन . .	2.7	3.3 (5.2)	3.5
3	औद्योगिक इलाके—पूर्ण किये गयों की संख्या . . .	283	350	336

(नोट : कोष्ठकों में निर्यात के अवमूल्यन के बाद के तुलित आंकड़े दिखाये गये हैं)।

ऊपर की सारणी से यह स्पष्ट है कि 1966-67 की उपलब्धियां पहले की गई अपेक्षाओं से सामान्यतया कम रहीं। विकास परिव्ययों के घटे हुए स्तर के अतिरिक्त उत्पादन, निर्यात आदि में कमी के अन्य कारणों पर नीचे के पैरा ग्राफों में विचार किया गया है।

हथकरघा और बिजली चालित करघा उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र में (अर्थात् हथकरघा, बिजली करघा और खादी उद्योगों में) कुल मिलाकर कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई, 1965-66 में 31240 लाख मीटर वस्त्र का उत्पादन हुआ था जो बढ़कर 1966-67 में 31,800 लाख मीटर तक पहुंच गया। पर 1966-67 के निर्धारित लक्ष्यों में कमी होने का एक अमुख कारण रूई की कमी थी जिसकी वजह से सूत की कमी रही और उसके दाम बहुत बढ़ गये। एक सम्मेलन में इस समस्या पर विचार किया गया और सूत के मूल्यों में निगाह रखने के लिए और इन मूल्यों को निश्चित करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी पद्धति का सुझाव देने के लिए एक तदर्थ समिति गठित की गई। हथकरघे के कपड़ों के निर्यात में कमी आने का मुख्य कारण था कि मद्रासी ब्लीचिंग कपड़े की मांग घट गई जिसका पहले निर्यात में एक बड़ा भाग रहता था।

प्रगति रिपोर्ट 1963-65 में शक्ति चालित करघों की जांच के लिए विशेष समिति का उल्लेख किया गया था जिसका गठन शक्ति चालित करघा उद्योग की जांच करने और चौथी योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए किया गया था। समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों की घोषणा जून, 1966 में की गई थी। सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों में से प्रमुख सिफारिशें ये हैं: चौथी योजना की अवधि के दौरान 1,10,000 शक्ति चालित करघे स्थापित करना, इस कार्य में वर्तमान हथकरघा बुनकरों को अपने करघों को शक्ति चालित करघों में बदलने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी और रंगीन साड़ियां बनाने का काम (जिसमें तैयार करके रंगी गई और रंगीन धागे से तैयार की गई दोनों प्रकार की साड़ियां शामिल हैं) केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखना।

खादी और ग्रामोद्योग

सभी किस्मों की (अर्थात् सूती, रेशमी और ऊनी) खादी का अनुमानित उत्पादन 1966-67 के दौरान 784 लाख मीटर था, इससे पूर्व वर्ष में खादी का उत्पादन 845 लाख मीटर हुआ था और उसका मूल्य 26.81 करोड़ रुपये था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग से सहायता प्राप्त केन्द्रों पर विभिन्न ग्रामोद्योगों का कुल उत्पादन 1965-66 में 56 करोड़ रुपये के लगभग था जो कि 1966-67 में बढ़कर 63 करोड़ रुपये हो गया।

समीक्ष्य वर्ष के दौरान खादी आयोग द्वारा नये खर्चे के दो माडल टेक्सटूल और राजकोट के प्रयोग और क्षेत्र परीक्षण जारी रखे गये। छह तकुओं वाले ये चरखे उत्पादन की तकनीक को सुधारने और कातने व बुनने वालों को उचित परिश्रमिक सुनिश्चित कराने की दृष्टि से तैयार किये गये थे। इन माडलों के आर्थिक पक्ष की जांच के लिए इनके संचालन का मौके पर त्वरित अध्ययन किया गया। इसकी रिपोर्ट जुलाई 1967 में प्रस्तुत की गई और विचाराधीन थी।

खादी और ग्रामोद्योग दोनों के विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने और इनके भावी विकास के बारे में सिफारिशें करने के लिए जून, 1966 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है।

रेशम उद्योग

सभी किस्मों के कच्चे रेशम के उत्पादन में कमी आई, 1965-66 में जहां उत्पादन 21.5 लाख किलोग्राम था वहां 1966-67 में लगभग 20.5 लाख किलोग्राम ही हुआ। इसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम और कुछ राज्यों में सूखा पड़ना था। सूती वस्त्रों और कतरनों का निर्यात 1965-66 में 2.69 करोड़ रुपये से बढ़कर 1966-67 में 3.51 करोड़ रुपये हो गया। टसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए 1965 में गठित की गई टसर रेशम समिति की सिफारिशों के अनुसार बिहार और मध्य प्रदेश में एक मूल्य पोषक स्कीम चलाई गई। रेशम अनुसन्धान संस्थान ने रेशम के कीड़ों और शहतूत की कुछ उन्नत किस्मों का विकास किया है।

नारियल जटा उद्योग

नारियल जटा रेशों और नारियल जटा निर्मित वस्तुओं का निर्यात 1965-66 में 12 करोड़ रुपये से बढ़कर 1966-67 में 13.9 करोड़ रुपये हो गया। पर परिमाण की दृष्टि रेशा, सूत, चटाइयां, कम्बल आदि उत्पादनों का कुल मिलाकर निर्यात 74,234 मीट्रिकटन से घटकर 64,900 मीट्रिक टन रह गया। कुछ नारियल जटा उत्पादनों के जहाज द्वारा भेजे जाने से पूर्ण निरीक्षण करने की एक स्कीम दिसम्बर, 1965 से चालू की गई। गत कुछ वर्षों के दौरान नारियल जटा वस्तुओं के विविधीकरण के लिए किये गये प्रयासों के फलस्वरूप रबर युक्त नारियल जटा उत्पादनों को तैयार करने के लिए 8 कारखाने और रबर युक्त जटा उत्पादनों के लिए आवश्यक रेशे तैयार करने के कारखाने चालू किये गये हैं। पांच बिजली चालित करघों से युक्त एक कारखाना अल्लेपी में तैयार करने का काम चल रहा है, इन कारखानों में चटाइयां बनाई जायेंगी।

दस्तकारी

वर्ष 1966-67 के दौरान दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात 40.4 करोड़ रुपये का रहा जब कि इसके पिछले वर्ष यह निर्यात 27.8 करोड़ रुपये का था। दस्तकारी की वस्तुओं के मोटे तौर पर बनाये गये बारह वर्गों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से ग्यारह वर्गों के निर्यात में रुपयों की दृष्टि से वृद्धि हुई है। इन वर्गों में बहुमूल्य, मध्यम मूल्य के और कृत्रिम रत्न, नकली और सोने के जेवरात, ऊनी गलीचे और कम्बल, कलात्मक धातुपात आदि शामिल हैं। दस्तकारी बोर्ड ने निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 2000 से अधिक फर्मों को पंजीकृत किया। गलीचों के निर्यात के लिए नकद प्रोत्साहन भी स्वीकृत किये गये। बोर्ड ने 1965 में काश्मीर के दस्तकारों और सहकारी संस्थाओं से 14 लाख रुपये का दस्तकारी का सामान खरीदा जिससे कि 1965 के भारत-पाकिस्तानी संघर्ष के बाद इन लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा सके।

लघु उद्योग

लघु उद्योग को कुछ विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल और ऋण की पूर्ति में कमी व कुछ सीमा तक बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता के कारण लगातार कठिनाइयों का सामना

करना पड़ा। परन्तु, केन्द्रीय संगठनों और राज्य उद्योग निदेशालयों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की सहायता इस प्रयोजन के लिए की गई व्यवस्था के अन्तर्गत दी जाती रही।

जहां तक दुर्लभ कच्चे माल की पूर्ति का सम्बन्ध है, 1963-65 के प्रगति विवरण में सितम्बर, 1964 में गठित की जानेवाली समिति का उल्लेख किया गया था जो कि बड़े, मझोले और छोटे उद्योगों में न्यायोचित रीति से दुर्लभ कच्चे माल के वितरण, और उसके यथोचित उपयोग के उद्देश्य से बनाई गई थी। दुर्लभ कच्चे माल के वितरण के बारे में समिति की मुख्य सिफारिश स्वीकार करली गई है; पर इसके अन्तर्गत आखिर में तैयार होने वाले माल की समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ही ध्यान में रखा गया है, एकक किस क्षेत्र के हैं इसका नहीं। मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आंकड़े संग्रहीत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। इसके बाद में प्राथमिकता वाले उद्योग के छोटे उद्योगों को दुर्लभ कच्चे माल की पूर्ति बढ़ा दी गई पर अन्य सभी एककों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करने में कठिनाई होती रही। जिन छोटे उद्योगों को संगठित क्षेत्र (आर्गिनाइजड सेक्टर) द्वारा तैयार किये गये मध्यवर्ती या तकनीकी माल पर आश्रित रहना पड़ता है, उनमें भी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई अनुभव होती रही।

वर्ष 1966-67 के अन्त के आस पास एकमात्र लघु उद्योगों के क्षेत्र के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली वस्तुओं की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया था। क्योंकि औद्योगिक संस्थानों को लाइसेंस देने की पद्धति को उदार बना दिया गया है और 25 लाख तक के पूंजीनिवेश से स्थापित किये जाने वाले मध्यम आकार के एककों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। अतः यह आवश्यक नहीं समझा गया कि लघु उद्योगों के क्षेत्र के लिए उत्पादन को सुरक्षित करने के हेतु आगे और कार्रवाई की जाये। सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्योगों के सहायक के रूप में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्न किये गये पर इस दिशा में प्रगति संतोषजनक नहीं रही।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि छोटे पैमाने के उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया गया। अभी तक वे सभी औद्योगिक एकक जिनका स्थिर पूंजी निवेश, अर्थात् भूमि, इमारत और संयन्त्र व मशीनें 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की न हो छोटे उद्योग एकक माने जाते थे। वर्ष 1966 के अन्त में इस परिभाषा में संशोधन किया गया और उन सभी औद्योगिक संस्थानों को लघु उद्योग मान लिया गया जिनका पूंजी निवेश संयन्त्रों और मशीनों के रूप में (भूमि और इमारत को छोड़कर) 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन की विस्तार सेवा द्वारा तकनीकी सहायता देने का काम जारी रहा। इसके अन्तर्गत 16 लघु उद्योग सेवा संस्थान, 6 शाखा संस्थान और 65 विस्तार, प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र काम कर रहे थे। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा भी लघु उद्योगों की सहायता के लिए किराया खरीद के आधार पर मशीनों की

पूर्ति की व्यवस्था तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से संविदायें (कन्ट्रैक्टर) प्राप्त करने में सहायता दी जाती रही। वर्ष 1966-67 के दौरान निगम द्वारा किराया खरीद के आधार पर 2.95 करोड़ रुपये की मशीनों की पूर्ति की गई, इससे पूर्व वर्ष में 2.74 करोड़ रुपये की मशीनों की पूर्ति की गई थी। केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा (जिनमें रेलवे भी शामिल है) 1966-67 के दौरान लघु उद्योगों से कुल मिलाकर 24.2 करोड़ रुपये का माल खरीदा गया, 1965-66 में भी खरीद का स्तर लगभग इतना ही था। इसमें से लघु उद्योगों को निगम की मदद से मिली संविदाओं की राशि दोनों वर्षों में क्रमशः 14.04 करोड़ रुपये और 17.9 करोड़ रुपये थी। राज्यों के उद्योग निदेशालय भी उद्यमियों को और औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, डिपुओं द्वारा कच्चेमाल की पूर्ति और प्रशिक्षण की सुविधाएं देते रहे और कुछ अन्य सेवायें व वाणिज्यिक स्कीमें भी चलाते रहे। राज्यों के निदेशालयों में स्वेच्छा से पंजीकृत कराये गये लघु उद्योगों एककों की संख्या मार्च 1965 में लगभग 17,000 थी जो कि 1966 के अन्त तक बढ़कर 1,13,000 हो गई।

औद्योगिक बस्तियां

इस कार्यक्रम की मार्च 1967 तक की प्रगति नीचे दिखाई गई है।

	मार्च 1966 में	मार्च 1967 में
औद्योगिक बस्तियों की संख्या		
स्वीकृत/प्रायोजित	458	486
पूर्ण	283	336
चालू	198	231
चालू औद्योगिक बस्तियों में शेडों की संख्या		
पूर्ण	5351	6248
आवंटित	4628	5474
आबाद	4456	5223
चालू	3709	4348
वार्षिक उत्पादन (चालू एककों का) करोड़ रु०	50.20	80.95
(चालू एककों में) काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या	54650	74110

यद्यपि समीक्ष्य अवधि के दौरान तैयार शेडों के आवंटन में सुधार हुआ, पर उनके आबाद होने में और वास्तविक रूप से चालू होने में कुल मिलाकर पूरे कार्यक्रम के अन्तर्गत और विशेषरूप से अर्धशहरी और देहाती क्षेत्रों में स्थापित की गई औद्यो-

गिक बस्तियों में कच्चे माल की कमी, अनुपयुक्त स्थान और समन्वय पूर्ण आयोजन के अभाव के कारण कठिनाई जारी रही। प्राक्कलन समिति ने भी अपनी 106वीं रिपोर्ट में इन बातों पर और कुछ अन्य कमियों पर प्रकाश डाला है। राज्य सरकारों का ध्यान इन कमियों की ओर दिलाया गया है और सम्बन्धित मन्त्रालय ने निर्णय किया है कि अब इस कार्यक्रम का मात्रात्मक रूप में विस्तार न करके इसके दृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

अध्याय 8

परिवहन और संचार

1966-67 की योजना में परिवहन और संचार के क्षेत्र में तीसरी योजना से चली आई परियोजनाओं के कार्य को जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना में युद्ध तथा अन्य कारणों से आवश्यक समझी जाने वाली कुछ नई स्कीमों को शुरू करने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था की गई है। जारी रहने वाली स्कीमों की प्रगति आमतौर पर संतोषजनक रही है। कुछ नई परियोजनाओं, खासतौर से बन्दरगाह विकास से सम्बन्धित परियोजना के प्रारम्भ में विलम्ब हुआ था। रेलवे द्वारा बड़ी मात्रा में ढोया गया अतिरिक्त माल, विशेषरूप से कोयला, लोहा और कच्चे माल की मात्रा से काफी कम थी। कुल मिलाकर रेलवे की उबलब्ध क्षमता, केवल कुल मीटर क्षेत्र में सीमित अवधि को छोड़कर, वास्तविक क्षमता से कुछ अधिक ही थी, रेलवे को आवश्यकता पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी।

परिवहन और संचार के लिए 1966-67 में कुल 431 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें 354 करोड़ रुपया केन्द्र के कार्यक्रमों के लिए और 76.5 करोड़ रुपया राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के लिए (संघीय क्षेत्र सहित) शामिल है। इस वर्ष वास्तविक व्यय 424 करोड़ रुपया हुआ था इसमें 342 करोड़ रुपया केन्द्र के कार्यक्रमों पर और 82 करोड़ रुपया राज्य और संघीय क्षेत्र के कार्यक्रमों पर खर्च हुआ था। रेलवे के कार्यक्रमों पर योजना में रखी गई व्यवस्था से काफी कम खर्च किया गया था जब कि सड़कें और असैनिक हवाई परिवहन पर योजना की व्यवस्था से ज्यादा खर्च हुआ था। पृष्ठ 78 पर दी गई सारणी में 1966-67 में योजना में की गई व्यवस्था के मुकाबिले में बड़े कार्यक्रमों पर हुआ वास्तविक खर्च दिखाया गया है।

रेलें

रेलों का मूल यातायात 1965-66 में 2031 मी० टन से बढ़ कर 1966-67 तक 2151 लाख मी० टन होने की आशा थी। इस वृद्धि का बहुत बड़ा अंश लगभग 120 लाख मी०टन इस्पात कारखानों में कोयला, इस्पात और कच्चे माल की ढुलाई के कारण था। इस वर्ष इन चीजों का वास्तविक यातायात पिछले वर्ष 1965-66 की अपेक्षा कम था। अन्य माल के यातायात में वृद्धि की पूर्णतया क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। इस प्रकार 1966-67 में रेलों द्वारा किया गया कुल यातायात 1965-66 में पहुंच स्तर से कुछ कम था जैसा कि पृष्ठ 79 पर दी गई सारणी में दिखाया गया है:

1966-67 में परिव्यय

(करोड़ रुपये)

	योजना परिव्यय			वास्तविक व्यय		
	कुल	केन्द्र	राज्य*	कुल	केन्द्र	राज्य*
रेलवे	225.00	225.00	—	198.68	198.68	—
सड़कें	104.71	47.50	57.21	111.32	51.64	59.68
सड़क परिवहन, बन्दरगाह, जहाजरानी, अन्तर्देशीय जल परिवहन	46.49	28.71	17.78	49.93	29.19	20.74
असैनिक हवाई परिवहन और पर्यटन . . .	21.50	19.95	1.55	21.95	20.75	1.20
संचार	30.95	30.95	—	39.86	39.86	—
प्रसारण	1.82	1.82	—	1.94	1.94	—
कुल . .	430.47	353.93	76.54	423.68	342.06	81.62

*संघीय क्षेत्र सहित

योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय के विस्तृत विवरण परिशिष्ट 8.1 में दिये गए हैं।

1966–67 में माल यातायात में वृद्धि

(दस लाख मी०टन)

	1965-66	1966-67	
	वास्तविक	पूर्वघोषणा	यातायात हुआ
(1)	(2)	(3)	(4)
कोयला	66.7	69.0	65.8
तैयार इस्पात और कच्चा लोहा	6.3	6.8	6.3
इस्पात कारखानों के लिए कच्चा माल	17.4	18.7	16.5
निर्यात के लिए खनिज लोहा	5.2	7.2	6.3
सीमेन्ट	8.6	9.9	8.9
रेल की सामग्री	20.7	20.7	17.9
अन्य सामान	78.1	82.8	79.9
कुल	203.0	215.1	201.6

अर्थ व्यवस्था में सामान्य मन्दी के अलावा रेलों के यातायात परिवहन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति से तथा असम में भारी बाढ़ और कोरोमंडल तट पर आने वाले समुद्री तूफानों का प्रभाव पड़ा था। रेलवे के कुछ भागों को पिछले वर्ष की अपेक्षा 1966-67 में भारी लदान करना पड़ा था विशेष रूप से आयातित खाद्यान्न और उर्वरकों का। रेलवे ने अपनी उपलब्ध क्षमता का उपयोग नई अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलाने में भी किया था—इस वर्ष 225 गाड़ियां चालू हुई या बढ़ाई गई थी। गैर-उपनगर-खण्डों की अनेक गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ दिये गए थे।

प्रत्याशित यातायात में वृद्धि नहीं हुई अतः रेलवे के विकास कार्यक्रमों को पुनरीक्षण किया गया और नीचे दिये गए कार्यक्रम के अनुसार कमी की गई।

1966–67 में रेल विकास कार्यक्रमों* के लिए व्यय-व्यवस्था

(करोड़ रुपये)

	व्यवस्था	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)
रेल के डिब्बे गाड़ियां	115.92	102.11
निर्माण कार्यक्रम	209.08	176.26
कुल	325.00	278.37

*रेलवे मूल्य-ह्रास निधि से पूरा किया गया व्यय शामिल है।

इस वर्ष के कार्यक्रम की सूची में नीचे दी गई सारणी के अनुसार परिवर्तन किया गया ।

1966–67 में रेल के डिब्बों व गाड़ियों का अधिग्रहण

	लक्ष्य	(संख्या) उपलब्धि
इंजन		
भाप	183	180
डीजल	76	55
बिजली	72	57
माल डिब्बे (चार पहिये वाले)	26210	21207
मुसाफिर डिब्बे	1387	1264

1966-67 के निर्माण कार्यक्रमों में अधिकांश तीसरी योजना से चली आ रही स्कीमों को पूरा करने के लिए व्यवस्था रखी गई थी । झुंड से कांडला तक की बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को तेज किया गया था । इसके विपरीत हलदिया बन्दरगाह को जोड़ने वाली लाइन के कार्य को धीमा कर दिया गया था क्योंकि बन्दरगाह की परियोजना कार्यक्रम से पीछे की थी ।

सड़क विकास

केन्द्र के सड़क विकास कार्यक्रमों में राष्ट्रीय राजपथ के सामान्य कार्य के अलावा अधिकांश राशि पार्श्व सड़क परियोजना और गुजरात तथा राजस्थान में सैनिक महत्व की सड़कों के कार्य को चालू रखने की व्यवस्था की गई थी । लगभग इन सभी परियोजना पर होने वाला व्यय योजना में रखी गई मूल व्यवस्था से कुछ अधिक ही अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण से किये जाने वाले सड़क निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयों के कारण निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ गए थे । 1966-67 में केन्द्रीय सड़क कार्यक्रमों पर कुल खर्च 51.6 करोड़ रुपया हुआ था जब कि व्यवस्था 47.5 करोड़ रुपये की थी । राज्य क्षेत्र के सड़क कार्यक्रमों में भी व्यय योजना में रखे गए परिव्यय से कुछ अधिक ही था ।

पत्तन और बन्दरगाह

1966-67 में पूरी हुई तथा शुरू की गई मुख्य परियोजनाएं विशाखापटनम तथा पारादीप पत्तनों पर खनिज लोहे ढोने की थी । हलदिया पत्तन के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने में लम्बी-चौड़ी लिखापढ़ी के कारण कार्य को आरम्भ करने में विलम्ब

हो गया था। बाद में बैंक के ऋण से इस योजना में स्वतन्त्ररूप से धन लगाने का निर्णय कर लिया गया था। डाक विस्तार स्कीम तथा बम्बई पत्तन के बैलार्ड पीयर विस्तार स्कीम ने सराहनीय प्रगति की थी। बम्बई पत्तन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य हाथ में लिया गया था। मद्रास बन्दरगाह पर कच्चा लोहा एवं तेल की गोदी तैयार करने के लिए प्राथमिक कार्य शुरू हुआ था। कोचीन पत्तन पर मझले आकार के तेल टेन्करों की पूर्ति के लिए एक तेल जेटी पूरी बन चुकी थी। बड़ी मात्रा में कच्चे लोहे की ढुलाई के लिए मोरमुगाव पत्तन के विकास की विस्तृत योजना तैयार की गई थी परन्तु कुल व्यय में विदेशी मुद्रा जुटाने का प्रबंध नहीं हो सका अतः वास्तविक काम शुरू नहीं हो सका था। मैंगलोर और तूतीकोरीन पत्तनों के विकास की परियोजनाओं का कार्य धीमी गति से आगे बढ़ा था क्योंकि परियोजनाओं में वित्त लगाये जाने से सम्बन्धित विस्तृत अध्ययन किये जाने थे।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

पूर्वी क्षेत्र में जल परिवहन सेवाएं चालू करने के लिए पहले की रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के स्थान पर कम्पनी एक्ट 1956 के अधीन फरवरी 1967 में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। पश्चिमी समुद्रतट की नहर तथा अन्य जलमार्गों के विकास के लिए केरल में कुछ निर्माण कार्य पूरे हुए थे। कुछ अन्य नदियों वाले राज्यों में भी जलमार्गों को ठीक करने एवं विकास करने तथा जोड़ने वाली सड़कों आदि का काम जारी रहा था।

जहाजरानी

तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि म अतिरिक्त टनभार के कुछ दिये गए आदेश 1966-67 में क्रियान्वित हुए थे और इसके फलस्वरूप भारतीय टन-भार 1966 में मार्च की समाप्ति में 15.40 लाख पंजीकृत टन भार से बढ़कर 1967 में मार्च की समाप्ति तक 18.66 लाख पंजीकृत टन भार हो गया था।

नागरिक विमान परिवहन

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इस वर्ष दो कैरेवल और तीन एफ-27 जहाज प्राप्त किये थे। एयर इंडिया ने दिसम्बर 1965 में दो बोइंग हवाईजहाजों के लिए आर्डर दिया था जिनमें से एक अक्तूबर 1966 में और दूसरा 1967 के प्रारम्भ में प्राप्त हुआ था।

नागरिक उड्डयन कार्यक्रम के अधीन कुछ हवाई अड्डों पर धावन-पथों तथा सीमान्त भवनों के निर्माण का कार्य जारी था।

पर्यटन

इस वर्ष कुछ चुनीदा पर्यटन स्थलों के विकास पर तथा तीसरी योजना से चली आई कुछ स्कीमों को पूरा करने पर बल दिया गया था।

संचार

डाक एवं तार विभाग के 1966-67 के कार्यक्रमों के मुख्य लक्ष्य और उपलब्धियों की यहां नीचे सारणी में तुलना की गई है इस मद में काफी व्यवस्था रखी गई है :

(संख्या)

	लक्ष्य	उपलब्धि
टेलीफोन कनेक्शन	100000	75086
सार्वजनिक टेलीफोन घर	400	272
तार घर	400	407

प्रसारण

1966-67 में प्रसारण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यरूप से आकाशवाणी की गृह सेवा और विदेश सेवा का सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की गई थी। गृह सेवा के लिए पूरी की गई परियोजनाओं में ऐजाल, गुलबर्ग, कोइम्बटूर, अगरतला, मथुरा, भागलपुर और उदयपुर में नए प्रसारण केन्द्र खोलने तथा हैदराबाद में अधिक शक्तिवाले ट्रांसमीटर तथा जालंधर में एक स्थायी ग्रहण केन्द्र स्थापित करने का उल्लेख किया जा सकता है। सीमा सेवा के लिए अनेक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने से सम्बन्धित प्राथमिक कार्य हाथ में था, इनमें कलकत्ता, जालन्धर और डिब्रूगढ़ शामिल हैं। विदेश सेवा के लिए एक शक्तिशाली शार्टवेव ट्रांसमीटर दिल्ली में चालू किया गया था और दूसरे पर काम हो रहा था।

अध्याय 9

शिक्षा

1966-67 में परिव्यय और वास्तविक खर्च के विस्तृत ब्यौरे यहां नीचे की सारणी में दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये)

उप-मद	1966-67					
	योजना परिव्यय			वास्तविक		
	राज्य*	केन्द्र	कुल	राज्य*	केन्द्र	कुल
प्राथमिक शिक्षा	18.20	0.33	18.53	11.71	0.27	11.98
माध्यमिक शिक्षा	10.44	3.16	13.60	10.58	2.17	12.75
विश्वविद्यालय शिक्षा	8.36	19.06	27.42	9.07	17.68	26.75
शिक्षक प्रशिक्षण	**	@	**	2.58	@	2.58
समाज शिक्षा	0.89	0.04	0.93	0.30	0.02	0.32
सांस्कृतिक कार्यक्रम	0.77	0.69	1.46	48.0	0.51	0.99

अन्य कार्यक्रम	6.04	3.91	9.95	2.80	3.38	6.18
कुल : सामान्य शिक्षा	44.70	27.19	71.89	37.52	24.03	61.55
तकनीकी शिक्षा	14.53	13.68	28.21	9.65	15.40	25.05
कुल : शिक्षा	59.23	40.87	100.10†	47.17	39.43	86.60

*संघीय क्षेत्र शामिल है ।

**प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शामिल किये गए हैं ।

†वार्षिक योजना दस्तावेज में 98.79 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था रखी गई थी, इस वर्ष किये गए समंजनों के बाद यह बढ़ाकर 100.10 रुपये करोड़ करदी गई थी ।

@अन्य कार्यक्रमों के अधीन शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद में शामिल किया गया है ।

यह देखा गया कि 1966-67 में लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था थी जबकि वास्तविक व्यय 86.6 करोड़ रुपया हुआ। 13.4 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ था इसमें से लगभग 1.4 करोड़ रुपया केन्द्र में लगभग 12 करोड़ रुपया राज्यों में कम खर्च हुआ था। सामान्य शिक्षा में व्यय की कमी लगभग 10 करोड़ रुपया हुई थी और तकनीकी शिक्षा में लगभग 3 करोड़। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय मूल व्ययव्यवस्था से काफी कम हुआ था।

दाखला लक्ष्य

नीचे की सारणी में 1966-67 में विभिन्न चरणों में अतिरिक्त दाखलों के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति दिखलाई गई है।

विभिन्न चरणों पर अतिरिक्त दाखले

		1966-67	
		लक्ष्य	उपलब्धि
कक्षा 1-5	(लाख) . .	30.00	22.63
कक्षा 6-8	,, . .	10.00	8.52
कक्षा 9-11	,, . .	3.00	4.02
विश्वविद्यालय शिक्षा	,, . .		1.20
(कला, विज्ञान और वाणिज्य)	(लाख) . .	0.50	0.20
तकनीकी पाठ्यक्रम (दाखला क्षमता)			
डिग्री स्तर	(अतिरिक्त संख्या) .		306
डिप्लोमा स्तर	—वही—		

प्राथमिक और मिडिल कक्षाओं में दाखिला लक्ष्यों का क्रमशः 75 प्रतिशत और 85 प्रतिशत हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में कमी का मुख्य कारण प्राथमिक शिक्षा की व्यय-व्यवस्था में एक तिहाई कटौती थी। माध्यमिक कक्षाओं के दाखिले की संख्या यद्यपि लक्ष्य से एक तिहाई बढ़ी थी परन्तु माध्यमिक शिक्षा के व्यय में कमी आई थी। भवनों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो सका था। प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक कक्षाओं में दाखला पाने वाले बच्चों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 6-11, 11-14 और 14-17 के आयुवर्गों में क्रमशः 8032 और 19 था जब कि 1965-66 में यह प्रतिशत क्रमशः 7932 और 18 था। विश्वविद्यालय स्तर पर यद्यपि दाखला लक्ष्य के दुगुने से आगे बढ़ गया था जब कि व्यय योजना में रखी गई मूल व्यवस्था से वास्तव में कम था। इससे शिक्षक-

शिष्य का अनुपात बहुत ऊंचा हो गया था। भवनों, छात्रावासों और प्रयोगशालाओं की भौति सुविधाएं भी बढ़ते हुए दाखलों के अनुरूप नहीं हो पाई थी इसका प्रभाव शिक्षा स्तर पर पड़ना भी अपरिहार्य था। विभिन्न क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का ब्यौरा अगले पैराग्राफों में दिया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा

परिवेक्षणाधीन इस वर्ष में शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा किया गया सर्वेक्षण पूरा हुआ था। यह सर्वेक्षण नए स्कूलों के स्थलों के नियोजन में सहायता करेगा। इसी वर्ष शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के शिक्षा प्रबन्ध विभाग द्वारा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में बर्बादी और गतिहीनता पर अध्ययन पूरा हुआ था। परन्तु साधनों की कमी के कारण बर्बादी और गतिहीनता को कम करने के लिए कोई सक्रिय कार्यक्रम प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सका था। प्राथमिक स्कूलों के लिए लगभग 74,000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। यद्यपि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनाना सम्भव नहीं हो सका था फिर भी कुछ राज्यों ने शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की योग्यता को बढ़ा दिया था और कुछ अन्य राज्यों ने प्रशिक्षण की अवधि का दो वर्ष तक बढ़ा दिया था। कुछ राज्यों ने मिडिल स्कूलों में स्नातक प्राधानाध्यापकों की नियुक्ति का निर्णय लिया था। प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लगभग पिछले वर्ष जैसा ही जारी था क्योंकि इन कार्यक्रमों को उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ाने के लिए धन उपलब्ध नहीं था। फिर भी बिहार में अकाल राहत कार्य के आंशिक कार्य के रूप में 'केयर' की सहायता से 45 लाख बच्चों को भोजन देने का बहुत बड़ा कार्यक्रम अपनाया गया था।

माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद ने शिक्षा के चार क्षेत्रीय कालिजों तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली में माध्यमिक शिक्षकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किये थे इसका उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों में बिना प्रशिक्षण की कमी को पूरा करना था। गुणात्मक प्रगति के कार्यक्रमों में विज्ञान शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गए त्वरित कार्यक्रम के अधीन विज्ञान के उपकरण खरीदने के लिए माध्यमिक स्कूलों को अनुदान दिये गए थे। तीसरी योजना में स्थापित विज्ञान शिक्षा की राज्य संस्थाओं ने विज्ञान के अध्यापकों के लिए सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया था। विज्ञान के विषयों की पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम तथा उत्पादन के विकास से सम्बन्धित कार्य भी परिवेक्षणाधीन वर्ष में जारी रहा था। राज्य मूल्यांकन एककों और माध्यमिक शिक्षा के राज्य बोर्डों ने माध्यमिक स्तर की नई मूल्यांकन तकनीकों को चालू करने में आगे प्रगति की थी। परन्तु, कुल मिलाकर, विस्तार के दबाव व साधनों की कमी के कारण गुणात्मक कार्यक्रम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका था।

विश्वविद्यालय शिक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के अंत तक विश्वविद्यालयों की संख्या 70 तक पहुंच गई थी और सम्बद्ध कालिजों की संख्या 2572 से बढ़कर लगभग 2700 तक पहुंच गई थी। 1 अप्रैल 1966 से शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू कर दिये गए थे। कुछ राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन क्रम देने को भी राजी हो गई हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की संख्या पिछले वर्ष 2650 से बढ़कर 7000 हो गई थी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऋण स्कीम के अधीन 1966-67 में 18,500 छात्रवृत्तियां की गई थी। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित प्राथमिक कार्य में अच्छी प्रगति हुई तथा विश्वविद्यालय स्थापित से संबंधित बिल संसद में दिसम्बर 1966 में पास हो गया था। उच्च अध्ययन के केन्द्र के रूप में अच्छे विभागों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को सहायता देना जारी रखा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कर्मचारियों के क्वाटरों, छात्रावासों, दिन के विद्यार्थियों के भवनों आदि के लिए भी सहायता दी। जम्मू तथा श्रीनगर में दो मैदानों के विकास के लिए जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय को विशेष सहायता दी गई। उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला तथा रूसी अध्ययन संस्थान नई दिल्ली में भी अच्छी प्रगति हुई। मानक पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन का कार्यक्रम भी जारी रहा।

तकनीकी शिक्षा

आर्थिक मन्दी के कारण कई राज्यों में अभियन्ताओं की बेकारी हो गई। अंत: यह निर्णय किया गया कि स्नातक स्तर पर वर्तमान सुविधाओं की वृद्धि न की जाय। परिणामस्वरूप मुख्य रूप से बल वर्तमान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दिया गया। पोलीटैकनिक के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए चार क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का कार्यक्रम बनाया गया। इंजीनियरी कालेजों तथा पोलीटैकनिक के शिक्षकों के लिए ग्रीष्म कालीन संस्थानों की व्यवस्था के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया। स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान के सुधार पर भी ध्यान दिया गया। 1966-67 के अन्त तक लगभग 40 संस्थान ऐसे थे जिनके पास लगभग 1500 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर शिक्षा देने की सुविधाएं प्राप्त थीं।

अन्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तक तैयार करने, विस्तार कार्यक्रमों आदि के काम का और विस्तार किया गया। वैज्ञानिक प्रतिभा अनुसंधान योजना में संशोधन किया ताकि इसके अन्तर्गत बी०ए० से कम, बी०ए० की तथा अनुसन्धान की शिक्षा आ जाय।

आलोच्य वर्ष में ग्रीष्म कालीन स्कूलों व संस्थानों से सम्बन्धित कार्यक्रम चलता रहा। इस प्रकार के 44 ग्रीष्म कालीन संस्थान यू०एस०ए०आई०डी० के सहयोग से चलाए गए जिनमें 1700 से भी अधिक स्कूल विज्ञान अध्यापकों ने भाग लिया।

माध्यमिक शिक्षा पर वार्षिक शिक्षा पुस्तक का प्रलेख तैयार किया गया तथा शिक्षा अनुसन्धान की पुस्तक छापने के लिए भेजी गई। भाषाओं, सांस्कृतिक तथा शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम में कम प्रगति हुई। आलोच्य वर्ष में शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। इस प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

अध्याय 10

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्राकृतिक साधन

1. वैज्ञानिक अनुसंधान

परमाणुशक्ति विभाग

अनुसन्धान के लिए तथा आइसोटोप के उत्पादन के लिए तीन रिएक्टरों-अपसरा, सी० आई० आर० यू० एस० तथा जरलीना का पूर्ण उपयोग किया गया। बी० ए० सी० में निर्मित आइसोटोप तथा लेबल लगे मिश्रण का कुछ विदेशी बाजारों में प्रवेश हो गया। सी० आई० आर० यू० एस० तथा जरलीना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नाभिकीय यूरेनियम का उत्पादन जारी रखा गया।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह हुई कि ट्राम्बे प्लूटोनियम संयन्त्र में प्लूटोनियम से प्लूटोनियम-बेरीलियूम न्यूट्रन तैयार किया गया। तकनीकी भौतिकि प्रभाग ने 16.4 लाख रुपये कीमत के विभिन्न उपकरण तैयार किए। इनके तैयार करने में केवल 1.8 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई। इस प्रभाग द्वारा सफलतापूर्वक एक प्लाज्मा तोप तैयार की गई जिसकी संचालन क्षमता 60 के० वी० थी तथा जो 5000सी तथा 30,000 सी के बीच तापमान पैदा कर सकती है।

इलेक्ट्रानिक प्रभाग द्वारा तारापुर परमाणुशक्ति परियोजना के लिए 10 लाख रुपये से अधिक कीमत के नियंत्रण उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है।

सम्पूर्ण देश में कृषि उद्योग, औषधि तथा अनुसंधान में विकिरण साधनों के सतत बढ़ते हुए उपयोग से यह आवश्यक हो गया कि विकिरण संरक्षण निदेशालय के क्रियाकलापों को बढ़ाया जाय तथा उनको बहुमुखी किया जाय।

फ्यूल प्रोसेसिंग डिविजन इन कामों में व्यस्त था (1) प्लूटोनियम संयन्त्र का संचालन, (2) फिर से ईंधन तैयार करने के कार्य का विकास, (3) इरेडियेटेड थोरियम तथा इरेडियेटेड पावल रिएक्टर फ्यूल तैयार करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा सहायक सुविधाओं की व्यवस्था।

आलोच्य वर्ष में जीव-रसायन तथा खाद्य प्रौद्योगिकी प्रभाग ने निम्न विषयों में अनुसंधान की कुछ नई पद्धतियों का प्रणपन किया (1) सेल मेटोबोलिज्म के मौलिक तथा व्यवहारिक पक्ष तथा (2) संभाव्य व्यावहारिक प्रचलन की खाद्य विकिरण प्रक्रियाएं।

आलोच्य वर्ष में टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान ने एक आंकड़े तैयार करने का नमूना (ओ० एल० डी० ए० पी०) तैयार किया तथा इस संस्थान द्वारा एक अक्षर-स्थानान्तरण नमूने का भी विकास किया गया जो भाषाओं तथा संगणकों को एक ठीक ढांचे में रख सकता है। इसने भावण वर्णक्रम विश्लेषक को तैयार करने, परीक्षण करने तथा अंशशोधन का काम पूरा किया तथा कामपेक्स नामक एक चित्रांकन भाषा का विकास

किया जिसका उपयोग हाथ से छपे अंग्रेजी अक्षर जनरेटर के विकास में किया जा सकता है। अहमदाबाद में भौतिक अनुसन्धान प्रयोगशाला ने एक सार्वभौम किरण दूरदर्शक स्थापित किया जिसका अब परीक्षण किया जा रहा है। प्रयोगशाला ने थुम्बा के उपयोग के लिए एक राकेट पेलोड का नमूना तैयार किया तथा उसको मूर्तरूप दिया व उसका परीक्षण भी किया।

अनुसन्धान कर्ताओं के लिए अपेक्षित कुछ मूल्यवान तथा दुर्लभ उपकरणों का निर्माण करने के लिए कलकत्ता के शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान में एक तकनीकी भौतिकी दल का गठन किया गया।

टाटा मिमोरियल अस्पताल तथा भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र बम्बई में अनुसंधान कर्त्ता भारतीयों में कैंसर फैलने के विशेष कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। उपर्युक्त अस्पताल में कण्ठ, गाल तथा जीभ के कैंसर के इलाज के लिए नई पद्धति का परीक्षण किया जा रहा है। अनुसन्धान केन्द्र में रसौली के कोशाणुओं को समाप्त करने के लिए सर्प के विष के विषहीन प्रोटीन की खोज की जा रही है।

अन्तरिक्ष अनुसन्धान के क्षेत्र में विभाग ने थुम्बा के निकट एक अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। आलोच्य वर्ष में नौ मौसम सूचक तथा अन्तरिक्ष विज्ञान से संबंधित राकेट छोड़े गए। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा रचित तथा तैयार किए गए समेकित भारयोग का सफल संचालन किया गया जो एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

न्यूक्लीप विज्ञान से सम्बन्धित विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभाग ने भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देनी जारी रखी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद

1966-67 में 40 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, तीन औद्योगिक तथा प्रोद्योगिकी संग्रहालय, तथा दो अनुसंधान केन्द्र चल रहे थे। इनके अतिरिक्त तीन नई संस्थाएं स्थापित करने के लिए योजना बनाई जा रही थी। ये संस्थान हैं—क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर, औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र तथा मफतलाल वैज्ञानिक तथा प्रोद्योगिकी संग्रहालय।

आलोच्य वर्ष में मद्रास में संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र की एक इकाई की स्थापना की गई। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान, जीलगोरा में खनिज औद्योगिकी का एक नया प्रभाग खोला गया। केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास में एक वाइशोलीभार प्रयोगशाला स्थापित की गई। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ में दो नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई—एक पौध प्रजनन तथा वाइरस विज्ञान के लिए तथा पुष्प वनस्पति विज्ञान तथा अभिधान प्रभाग के लिए। लुधियाना, पूना तथा मद्रास में यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान तथा विकास संगठन के तीन केन्द्र चालू किए गए।

उद्योग द्वारा गठित अनुसंधान संघों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परिषद ने उद्योग को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देनी जारी रखी।

1966-67 में इस प्रकार के नौ अनुसंधान संघ कार्य कर रहे थे जिनमें से तीन सूती वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित थे तथा एक-एक रेशम तथा हस्तकारी-रेशम प्लाईवुड, ऊन, चाय, सीमेंट तथा पटसन से सम्बन्धित थे।

कुछ विशेषीकृत यन्त्र तैयार करने हेतु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय वैज्ञानिक यन्त्र संगठन ने दिल्ली तथा मद्रास में निजी क्षेत्र में विकास केन्द्र स्थापित कर दिए हैं जिनके साथ सुव्यवस्थित निर्माण संस्थाएं सम्बद्ध हैं। चौतूपल, हैदराबाद में भू-विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की शीघ्रता से होने वाली घटबढ़ का अध्ययन करने के लिए एन०जी०आर०आई० की एक भू-विद्युत वेधशाला की स्थापना की गई।

यद्यपि उद्योग के विस्तृत क्षेत्र पर इन प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यों के प्रभाव का स्पष्टरूप से पता नहीं लगता तथापि देश में कई नए उद्योगों के विकास में तथा वर्तमान उद्योगों के क्रमबद्ध विकास के लिए सहायता देने में इनका स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव कई रूपों में पड़ा है (क) उद्योगों में नई प्रक्रियाओं तथा उत्पादनों के रूप में (ख) नए उद्योगों की स्थापना के लिए वैज्ञानिक आधार तथा पृष्ठभूमि तैयार करने में इसके लिए व्यवहार्यता की संभावना तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया, (ग) अति आवश्यक परामर्शदाती सलाहकार तथा इंजीनियरी सेवा की व्यवस्था करने में तथा (घ) परीक्षण, विश्लेषण तथा मानकीकरण की सुविधाएं बढ़ाने में।

रायलिटी/प्रीमियम/तकनीकी सहायता के रूप में उद्योग के लिए जिन 243 प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है उनमें से 105 प्रक्रियाओं से उत्पादन होने लगा है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के प्रोटोटाइप संयन्त्रों में 58 प्रक्रियाओं से उत्पादन होने लगा है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रदर्शित अथवा प्रकाशित प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण तथा सुधार सम्बन्धी विवरण निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं।

परिषद की प्रबन्धक समिति ने उन रीतियों एवं साधनों पर विचार विमर्श किया जिनके माध्यम से परिषद औद्योगिक विकास में अधिक कुशलता से भाग ले सके। इस बात में सर्वसम्मिति प्रकट की गई कि कुछ विशिष्ट उद्योगों से सम्बद्ध राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को सम्बन्धित उद्योगों से सम्बद्ध राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को सम्बन्धित उद्योगों के परामर्श से अनुसन्धान संस्थाओं में परिवर्तित किया जाये।

जनशक्ति तथा वित्त के उपलब्ध साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से परिषद वर्तमान मार्गदर्शी संयंत्रों तथा मूल्य अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण कर रही है।

शिक्षा मन्त्रालय (वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा विकास प्रभाग)

भारत सर्वक्षण की विभिन्न विस्तार एवं आधुनिकीकरण योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है। भारत सर्वक्षण की नौ परियोजनाओं में से केवल तीनों का कार्यान्वयन किया गया। ये परियोजनाएं हैं—(1) भारतीय चित्र व्याख्याता संस्थान

(2) निवेश से पूर्व सर्वेक्षण करने, मानचित्र तैयार करने तथा प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित मार्गदर्शी उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिए परियोजना तथा (3) हाइडिल गौजनाओं के अन्तर्गत एक सर्कल कार्यालय की स्थापना। इसके अधीन 9 कार्यकारी दल तथा 3 ड्राइंग कार्यालय हैं। पहली परियोजना में प्रगति धीमी पड़ गई है जिसका कारण अधिक प्रशिक्षण शुल्क होना है (जो भावी प्रशिक्षणार्थियों को निरुत्साहित कर रहा है) तथा दूसरा कारण इस हेतु भारतीयों को भर्ती करने की कठिनाई है, निर्माण कार्यक्रमों में विलम्ब होने के कारण दूसरी परियोजना की प्रगति भी मन्द पड़ गई। आशा है आने वाले वर्षों में तीसरी परियोजना अपनी भूमिका प्रभाव शाली ढंग से अदा कर सकेगी। निम्न छः परियोजनाओं में पर्याप्त धन की कमी के कारण कोई प्रगति नहीं हुई:

(1) सर्वेक्षण उड़ान दल,
(2) अनुसंधान तथा विकास,
(3) खनिज गवेषण सर्वेक्षण,
(4) फिर से मानचित्र बनाना तथा नक्शा-नवीसी,
(5) भू-पृष्ठीय सर्वेक्षण, तथा
(6) सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि जल-विद्युत-शक्ति, बाढ़ नियंत्रण, खनिज विकास परियोजनाओं आदि से सम्बन्धित आधारभूत मान-चित्रों की मांग पहली आवश्यकता है।

भारतीय पाणि सर्वेक्षण विभाग, भारतीय नरतत्वीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग तथा सहायता प्राप्त संस्थानों ने वर्ष के दौरान पहले से चालू योजनाओं के समेकन पर ध्यान केन्द्रित किया।

2. प्राकृतिक साधन

आलोच्य वर्ष में प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में कई अध्ययन तथा सर्वेक्षण पूरे किए गए तथा कुछ अन्य चालू किए गए।

भूमि साधन: वर्ष के दौरान बंजर-भूमि से सम्बन्धित पूर्व अध्ययन का भी पुनरीक्षण किया गया तथा उसे अद्यतन किया गया। पूर्व अध्ययन में क्षरीय, रेहीली तथा जल-अग्नता वाली भूमि तथा 1963 में इनके सुधार के विषय सम्मिलित थे। इस सूचना से विभिन्न प्रकार की भूमि तथा मौसमों में समुचित फसल उगाने में भूमिगत जल के अधिक से अधिक उपयोग करने की सुविधा मिलेगी।

प्राकृतिक साधन समिति ने भी नदी घाटी परियोजनाओं में बांधों के ऊपरी हिस्सों के अपवाह क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए किए गए उपायों का अध्ययन किया। अध्ययन के पहले चरण में सात परियोजनाओं पर प्रतिवेदन तैयार किए गए। ये परियोजनाएं हैं: भाखड़ा-ब्यास, मचकुण्ड कुण्डाह, मयूराक्षी, दामोदर, घोद तथा कंसावती। शीघ्र ही एक समेकित प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा। इस अध्ययन का

लक्ष्य प्रशासनिक तथा तकनीक, दोनों प्रकार की कठिनाइयों को प्रकाश में लाना है ताकि बांधों में पंक न जमने पाए। छः अन्य परियोजनाओं में अर्थात् हीराकुण्ड, राम-गंगा, दंतीवाड़ा, तुंगभद्रा, चम्बल तथा पोहरू में अध्ययन हो रहा है।

1 : 1 लाख के पैमाने पर भारत की भूमि का मानचित्र तैयार करने का काम हाथ में लिया गया। जानकारी की कमी के कारण ऐसा लगता है कि यह काम अगले वर्ष भी जारी रहेगा। इस समय केवल कुछ राज्यों तक सीमित रहने तथा एक ऐसा मानचित्र तैयार करने का उद्देश्य है जिस पर बाद में अन्तर-मंत्रालयी अध्ययन दल विचार करेगा।

वन-साधन: माचिस बनाने की लकड़ी की प्रवृत्तियों तथा सम्भावनाओं का अध्ययन चालू किया गया। 1980-81 तक माचिस की लकड़ी की मांग का अनुमान जनसंख्या की वृद्धि, आय की वृद्धि, बदलती हुई आदतों तथा ईंधन खपत की बदलती हुई पद्धति को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। अध्ययन के पूर्ण हो जाने पर माचिस की लकड़ी की मांग की तुलना में उसकी संभावित पूर्ति का अनुमान लगाया जा सकेगा तथा मांग तथा पूर्ति की खाई पाटने के लिए समुचित उपाय सुझाये जा सकेंगे।

खनिज साधन: विदेशी बाजारों में भारतीय मैंगनीज-धातुक तथा अभ्रक की तुलनात्मक स्थिति, वौक्साइट निक्षेपों, फास्फेट निक्षेपों इत्यादि का अध्ययन चालू रखा गया।

जल-साधन: उपलब्ध भूमिगत जल साधनों का गुणात्मक तथा परिणात्मक मूल्यांकन करने के लिए भारतीय भू-विज्ञान संस्था, समन्वेषी नलकूप संगठन, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, राज्य भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य कृषि विभाग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा भमिगत जल का अध्ययन किया जा रहा है। प्राकृतिक साधन समिति ने ऐसे आंकड़े तैयार करने तथा उन्हें एकत्रित करने का काम प्रारम्भ कर दिया है जो देश के भूमिगत जल साधनों की पूरी तालिका तैयार करने में आधार बनेंगे।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय को भारत में फसलों के लिए जल की आवश्यकता का पुनरीक्षण करने का काम सौंपा गया।

औद्योगिक कामों में जल के उपयोग का अध्ययन भी प्रारम्भ किया गया। यह कार्य औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशालय को सौंपा गया।

ऊर्जा साधन: वर्ष के दौरान ऊर्जा आयोजन समिति की दूसरी बैठक में भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण विभाग के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया तथा इनमें से मुख्य सिफारिशों का कार्यान्वयन करने का निर्णय किया गया। आंकड़ों के लिए युक्तिसंगत संचय के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया।

आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन तथा खपत और व्यापार के तथा एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपान्तर के 1963-64 तथा 1964-65 के नए आंकड़े एकत्रित किए गए।

पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय के सहयोग से क्षेत्र, उद्योग तथा राज्य के पेट्रोलियम उत्पादन के आंकड़े एकत्रित करने का काम भी प्रारम्भ किया गया। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता की सहायता से केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नमना सर्वेक्षण के 18-वें सर्वेक्षण के दौरान घरेलू ईंधन खपत के आंकड़े तैयार किए गए।

अध्याय 11

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और जल संभरण

1. स्वास्थ्य कार्यक्रम

1966-67 में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 40.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि पिछले वर्ष का प्रत्याशित व्यय 54.20 करोड़ रुपया था। साधनों की कमी के कारण आमतौर पर व्यय व्यवस्था केवल चालू स्कीमों के लिए की गई। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां परिशिष्ट 11.1 में दिये गये हैं।

संचारी रोगों पर नियंत्रण

तीसरी योजना अवधि में मलेरिया, चेचक और क्षय नियन्त्रण जैसे संचारी रोगों के उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया था। प्रतिवेदन दिये जाने वर्ष में अप्रैल 1958 में शुरू किये गये मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को धक्का लगा था जिसे देश के अनेक भागों में फैले स्थानीय रोग से देखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप 17 करोड़ की आबादी पुनः 'आक्रमण चरण' पर पहुंच गई। इस स्थानीय बीमारी फैलने का एक कारण डी०डी०टी० की कमी तथा समय पर नहीं मिलना था। 1962 की अंतिम तिमाही में शुरू किये गये राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन 69.5 करोड़ प्राथमिक टीके लगाये गए थे और 430 करोड़ पुनर्टीके लगाए गए थे। कुछ 'बच रहे' क्षेत्र तब घर रह गये थे जिन्हें खोज निकालने के प्रयत्न जारी रहे थे। सामुदायिक विकास खंडों में काम करने वाली विशिष्ट क्षेत्रीय टीमों के जरिये जिन्हें कार्यवाहक एककों के रूप में अपनाया गया था, 1963 में राष्ट्रीय कुकरे नियन्त्रण कार्यक्रम बनाया गया था। सरकार द्वारा संचालित 53 क्षेत्रीय दल थे तथा 12 अन्य क्षेत्रीय दलों को नवंबर 1965 में स्वीकृति दी गई थी। इस कार्य में उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया गया था। 1966-67 में इन गतिविधियों का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले राज्यों के कुछ और जिलों में विस्तार किया गया था। वर्ष 1966-67 की समाप्ति तक विभिन्न राज्यों की कुल जनसंख्या में से 114 लाख लोग कुकरा नियन्त्रण कार्यवाही के अधीन आ गये थे। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम का सर्वेक्षण कार्य मध्यप्रदेश में जारी रहा वहां 23 लाख जनसंख्या को मिलाकर अब तक कुल 281.9 लाख जनसंख्या का सर्वेक्षण हो चुका था। मध्य प्रदेश में कार्यवाहक कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और एक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था। गोआ में फाइलेरिया नियन्त्रण का कार्य राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन किया गया था। 1966-67 की समाप्ति तक फाइलेरिया के लिए पांच विशेष ब्यूरो कार्य कर रहे थे। राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन 1966-67 में 182 नियंत्रण एकक और 818 एस०इ०टी० केन्द्र कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के दो स्वैच्छिक संगठनों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुदान दिये थे इस प्रकार

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या 31 हो गई थी। इसी वर्ष चिकित्सा के संबंधित कर्मचारियों के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए थे इस प्रकार ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या 12 हो गई थी।

क्षय जैसे रोगों का मुकाबला करने में संस्थात्मक सेवा की सुविधाओं की अपेक्षा निरोधक तरीकों पर बल दिया गया था। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष 10 बी०सी०जी० के दल निर्मित किये गये थे। इस प्रकार देश भर में बी० सी०जी० दलों की कुल संख्या 207 हो गई थी। सड़सठ दलों को क्षय केन्द्रों/चिकित्सालयों के साथ सम्बद्ध कर दिया गया था और लगभग 100 बी०सी०जी० दल घर घर जाकर टीके लगाने का कार्य कर रहे थे। 20.5 लाख मूल्य की क्षय रोधी औषधियां राज्य के क्षय चिकित्सालयों को वितरित की गई थीं। तीन चलते फिरते एक्सरे एककों की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष 15 प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे थे। गोइटे नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले 407 लाख लोगों को आयोडीन मिश्रित नमक दिया गया था।

चिकित्सा सेवा

यद्यपि पिछली योजना अवधियों में चिकित्सा जिसमें की संस्थात्मक सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है फिर भी यह उपलब्धि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन समिति (1961-62) द्वारा सिफारिश किये गये लक्ष्यों से कम थी। 1965-66 की समाप्ति तक देश में लगभग 2.40 लाख अस्पताल शय्याएं होने की सूचना थी जिससे अनुपात लगभग 0.5 शय्याएं प्रति हजार जनसंख्या हो गया जब कि अपेक्षित मानक एक शय्या प्रति हजार जनसंख्या का है। 1966-67 में लगभग 6.6 हजार शय्याएं जुड़ गई थीं। केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य स्कीम के अधीन 4 नये चिकित्सालय खोले गये थे; तीन दिल्ली में और एक बम्बई में।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सात्मक, निरोधात्मक तथा अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-बिन्दु का काम करते हैं। मार्च 1966 तक कुल 4,668 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केन्द्रीय पद्धति पर और 289 केन्द्र राज्य पद्धति पर खोले गये थे। 1966-67 में 521 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। 1966-67 तक खोले गए कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,083 थी जिसमें से 290 राज्य पद्धति के थे। लगभग 16 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टरों के चलने की सूचना मिली थी। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी आवास और संचार व्यवस्था का अभाव होना था।

प्रशिक्षण और अनुसन्धान

वर्ष 1966-67 में केवल दो नए चिकित्सा कालेज खोले गए थे, एक शिमला में और दूसरा मेरठ। इससे देश में कुल चिकित्सा कालेजों की संख्या 89 तक बढ़ गई थी। इस वर्ष वार्षिक दाखले की संख्या 10,520 से बढ़कर 11,078 पहुंच गई है। एक नया दंत चिकित्सा कालेज मनीपाल (मैसूर) में खोला गया था। इससे कुल 14

अंत चिकित्सा कालेजों में कुल दाखिलों की संख्या 550 तक बढ़ गई है। स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन करने के लिए सात स्नातकोत्तर विभागों की स्वीकृति दी गई थी और 77 छात्रवृत्तियां दी गईं थीं। देश में चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, विकास और समन्वय करने हेतु चिकित्सा अनुसंधान की भारतीय परिषद् के लिए एक करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी। नर्सों के प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या 1964 में 229 से बढ़कर 1966 के अंत तक 246 हो गई थी।

देशी चिकित्सा पद्धति

अनुसंधान, स्नातकोत्तर शिक्षा, औषध-कोष तैयार करना और औषधि के पौधों का सर्वेक्षण करने से सम्बन्धित पहले से शुरू की गई स्कीमें चालू रहेंगी। भारतीय औषधि अनुसंधान पर एक पत्रिका प्रकाशित करने की स्कीम को भी स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई थी।

2. परिवार नियोजन

1966-67 में परिवार नियोजन की बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये थे।

अप्रैल, 1966 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं में समन्वय स्थापित करने तथा समुचित निर्देश देने के लिए केन्द्र में एक अलग परिवार नियोजन विभाग खोला गया था। इस विभाग में एक तकनीकी शाखा है जिसका अध्यक्ष आयुक्त, परिवार नियोजन है। इस कार्य पर पूरा समय ध्यान दे सकने के लिए राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों में भी परिवार नियोजन स्कंध बना दिये गये है।

पुनर्गठित परिवार नियोजन कार्यक्रम

कार्यक्रम के सुप्रवाही एवं सुदृढ़ बनाने के लिए परिवार नियोजन की विशेष समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकृत कर ली गई हैं। अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1966-67 की वार्षिक योजना में वित्तीय व्यवस्था की गई थी।

संविधान के अनुसार परिवार नियोजन राज्य का विषय है परन्तु इसके सर्वोच्च महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे केन्द्र संचालित कार्यक्रम के अधीन ले लिया गया है। परिवार नियोजन कार्य की गति को तेज बनाये रखने के लिए राज्यों को सूचना दे दी गई थी कि इस वर्ष तक सभी आवर्त्त मदों के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाएगी और स्कीम की शेष मदों के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

राज्यों में संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है इसके अंतर्गत मुख्य कार्यालय में राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की गई है तथा प्रत्येक जिले में बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन ब्यूरो खोलने के लिए व्यवस्था की गई है, प्रति 50,000 शहरी जनसंख्या के लिए एक शहरी परिवार नियोजन केन्द्र की, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ एक ग्राम परिवार नियोजन केन्द्र जोड़ा गया है तथा प्रति

10,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए उपकेन्द्र खोले जाने की व्यवस्था की गई है। हर जिले में एक वंध्यकरण एकक की दर से चलते फिरते एककों की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक 5 से 7.5 लाख जनसंख्या के लिए एक लूप एवं वंध्यकरण एकक की व्यवस्था की गई है। वंध्यकरण कराने वालों के लिए कुछ अस्पताल शय्याएं विशेषरूप से आरक्षित की गई हैं। ये सुविधाएं न केवल बिना खर्च के दी गई हैं अपितु नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति को उसकी मजदूरी में होने वाली हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति तथा उसके जेब खर्च के लिए कुछ राशि दी जाती है। राज्यों को प्रति लूप लगाने, पुरुष नसबन्दी तथा स्त्री नसबन्दी पर क्रमशः 11, 30 और 40 रुपये खर्च करने का अधिकार है। इस राशि में दवा, पट्टी तथा आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों एवं प्रेरित करने वाले व्यक्ति और डाक्टरों पर किया जाने वाला खर्च शामिल है।

कर्मचारियों की कमी

डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए, विशेषरूप से महिला डाक्टरों की, निम्न सिद्धान्त अपनाये गये थे:

(1) डाक्टरों की कमी वाले राज्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए डाक्टरों का एक केन्द्रीय परिवार नियोजन दल गठित किया गया है। इन डाक्टरों को अपने राज्य से बाहर कार्य करने पर विशेष भत्ता दिया जाता है। यद्यपि इस स्कीम में 200 पद स्वीकृत थे परन्तु विचाराधीन वर्ष में तीस से अधिक पदों पर नियुक्ति करना संभव नहीं था;

(2) 100 रुपया प्रति माह के 2500 वजीफे चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत किये गये हैं ये मुख्यरूप से महिलाओं के लिए हैं इसके लिए उनसे अध्ययन करने के बाद वजीफा दिया जाने की अवधि के बराबर समय तक परिवार नियोजन कार्यक्रम में नौकरी करने का बांड भरने पर दिये जाते हैं, और

(3) परिवार नियोजन कार्य में निजी चिकित्सकों की सेवाओं के उपयोग के लिए स्कीमें बनाई गई हैं। फिर भी, इस कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों से निकटतम संबंध बनाना अभी शेष है।

चिकित्सा से सम्बन्धित अन्य कर्मचारी जैसे सहायक नर्सें, मिड वाइफ, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक आदि के लिए विद्यमान प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाया गया है तभी अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए नई संस्थाएं भी खोली गई हैं। फिर भी, इस दिशा में प्रगति संतोषजनक नहीं हुई है। नर्स-छात्राओं के लिए छात्रावास की कमी एक बहुत बड़ी रुकावट है। प्रशिक्षकों और विस्तार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पांच केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। स्वीकृति दिये गये 46 राज्य परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों में से इस वर्ष की समाप्ति तक 41 कार्य कर रहे थे। परन्तु इन केन्द्रों में पर्याप्त कर्मचारी न होने से प्रशिक्षण क्षमता का अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

जन शिक्षा और अभिप्रेरण

अनेक कारणों से संचार का कार्य बहुत कठिन हो गया है विशेषरूप से भाषा और रीति-रिवाजों की विभिन्नता के कारण। परिवर्तन के नाम पर परम्परागत विरोध भी

बहुत ज्यादा है। विवाहित युगलों को छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने के लिए शिक्षा एवं अभिप्रेरण हेतु बड़े पैमाने पर जनशिक्षा एवं अभिप्रेरण का कार्यक्रम बनाया गया है।

आपूर्ति

इस कार्यक्रम की मांग की पूर्ति के लिए कानपुर की लूप फैक्टरी पर्याप्त मात्रा में माल तैयार कर रही है। कंडोम के अलावा अन्य परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं थी। कंडोम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में देशी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है। सरकारी क्षेत्रों में त्रिवेन्द्रम में एक कारखाना खोला गया है जिसकी प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता 1440 लाख नग वार्षिक है तथा आवश्यकता पड़ने पर इस उत्पादन को दुगुना किया जा सकने की क्षमता है। इस कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ होने में कुछ विलंब हुआ है। इसी दौरान, तत्काल आवश्यकता और कुल आवश्यकता एवं देशी उत्पादन के बीच की कमी को आयात से पूरा किया गया है।

लक्ष्य तथा उपलब्धियां

लूप: लूप का कार्यक्रम 1965-66 में शुरू किया गया था और पहले वर्ष 8 लाख लूप लगाए गए थे। 1966-67 में लूप लगवाने वालों की संख्या 9.17 लाख थी जो प्रारम्भ में लगाये गये अनुमान से काफी कम थी। यह गिरावट अनुकूल न आने वाली स्त्रियों द्वारा विरोधी प्रचार करने के कारण आई थी। 1965 में जब लूप शुरू किया गया था, अनेक लोगों ने जिन्हें परिवार नियोजन के लिए अभिप्रेरित किया गया था इसे आसानी से अपना लिया। परन्तु कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में लोगों को यह तरीका अपनाने के लिए प्रेरित करना पड़ा था। 1966-67 का कार्य फिर भी पिछले वर्षों की अपेक्षा बेहतर था। राज्यवार विश्लेषण से पता चला है कि पश्चिम बंगाल और गुजरात के सिवाए जहां लूप के प्रयोग में काफी गिरावट आई थी, अन्य राज्यों ने अच्छी प्रगति की थी। शिकायतों की संख्या को कम करने के लिए लूप लगवाने से पूर्व तथा बाद के परीक्षण अधिकाधिक किये जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि ये सावधानी बरती जाने पर लूप ज्यादा लोगों द्वारा अपनाया जायगा।

वन्ध्यकरण

शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों का ध्यान वंध्यकरण की ओर खिंचा लगता है। 1966-67 में 6.68 लाख वंध्यकरण आपरेशन किये गये थे। किसी भी एक वर्ष में यह सर्वाधिक कितिमान है तथा यह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 69 प्रतिशत था। मद्रास सबसे आगे रहा वहां 2.30 लाख आपरेशन हुए। उड़ीसा और मध्य-प्रदेश जैसे कुछ राज्य जो अबतक काफी पीछे थे वे भी 1966-67 में या तो लक्ष्य तक पहुंच गये या आगे बढ़ गये थे। असम के सिवाय सभी राज्यों ने इस दिशा में काफी प्रगति दिखाई थी।

परिवार नियोजन केन्द्र और उप-केन्द्र

1966-67 में ग्रामीण केन्द्रों की संख्या 3676 से बढ़कर 4564 हो गई थी। उपकेन्द्रों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई थी जो 7,081 से 13,550 तक पहुंच गई थी। 1965-66 की समाप्ति पर कार्य करने वाले 1,331 केन्द्रों में इस वर्ष 199 शहरी केन्द्र और जोड़े गये थे। इन केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या पूरी नहीं होने से इनकी प्रभावशीलता में कमी आई थी। मुख्य कठिनाई स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा सुझाये गये पदों की राज्य वित्त विभागों द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब करने के कारण आई थी।

अनुसंधान और मूल्यांकन

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर तत्काल एवं दीर्घावधि प्रभाव से संबंधित जनांकीय संचार कार्य और वायो-मेडीसिन के क्षेत्र में अनुसंधान और विभिन्न परियोजनाएं अनेक जनांककीय केन्द्रों विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्था तथा चिकित्सा अनुसंधान की भारतीय परिषद् के तत्वावधान में जारी रहेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के निष्कर्षों को सारणिबद्ध करने के लिए कदम उठाये गए हैं ताकि उपयोगी निर्णय लिये जा सकें। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था सर्वेक्षण के अपने अगले दौर में परिवार नियोजन से सम्बन्धित कुछ प्रश्न शामिल कर रही है। इस क्षेत्र की प्रगति का निरन्तर मूल्यांकन होना बहुत आवश्यक है।

खर्च

1966-67 के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें से वास्तविक खर्च 13.69 करोड़ रुपया हुआ था। इस बात पर इस तथ्य के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए कि बढ़ाये गए कार्यक्रम वर्ष के काफी दिन बीतने के बाद स्वीकृत किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप कार्य संचालन के प्रारंभ में विलंब हुआ था। प्राथमिक कार्य अब पूरा हो चुका है और यह आशा है कि कार्यक्रम को 1967-68 में गति मिलेगी।

3. जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम

यदि पूर्णरूप से सोचा जाय तो 1966-67 में जारी रहने वाली शहरी और ग्रामीण जल संभरण और स्वच्छता स्कीमों को प्राथमिकता दी गई थी। इन स्कीमों ने इस वर्ष में अच्छी प्रगति की है। परिशिष्ट 11.2 से देखा जा सकता है कि 1966-67 में 3012 लाख रुपये की योजना व्यवस्था में से खर्च 2529 लाख रुपया या लगभग 84 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा 296 लाख रुपया कुआं निर्माण कार्यक्रम पर खर्च किया गया था और 13 लाख रुपया अनेक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान प्रभाग खोलने पर खर्च किया गया था।

शहरी जन संभरण तथा स्वच्छता

आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में 53 शहरी जल-संभरण तथा मल-व्यवस्था की योजनाएं अनुमोदित की गई जिनकी लागत 106.7 लाख

रुपये होने का अनुमान है। इनमें से 18 उत्तर प्रदेश में, 8 गुजरात में, 6 पश्चिम बंगाल में, मद्रास, पंजाब तथा मध्य प्रदेश इनमें प्रत्येक में चार-चार, राजस्थान, बिहार, असम तथा अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक-एक थी।

दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के महानगर क्षेत्रों में जल-संभरण तथा नाली-व्यवस्था से सम्बन्धित योजनाओं के विस्तार तथा सुधार का काम चालू रहा। वर्ष के दौरान अन्य नगरों में भी जल-संभरण तथा स्वच्छता के कार्यक्रमों में भी संतोषजनक प्रगति हुई। समग्र रूप से सारे साल में शहरी जल-संभरण तथा स्वच्छता की योजनाओं पर 1965 लाख रुपये खर्च किये गये।

ग्राम जल-संभरण योजनाएं

बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा में चालू की गई अत्यावश्यक ग्राम जल संभरण योजनाएं पूर्ण की गई जिससे कई अभावग्रस्त गांवों को राहत मिली। वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में 135 ग्राम जल संभरण योजनाएं अनुमोदित की गई जिन पर 772 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनमें से 29 योजनाएं हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में प्रत्येक में 25, पंजाब में 13, मध्यप्रदेश में 11, पश्चिम बंगाल में 9, मैसूर में 6, राजस्थान में 5, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात में प्रत्येक में 3 तथा असम, बिहार, केरल तथा रानी गंज कोयला क्षेत्र में प्रत्येक में एक-एक योजनाएं चालू की गई। वर्ष के दौरान ग्राम जल संभरण योजनाओं पर 564 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

विशेष अन्वेषण प्रभाग

अभावग्रस्त क्षेत्रों में ग्राम जल संभरण समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों में विशेष अन्वेषण प्रभागों के माध्यम से तीसरी योजना अवधि से चालू किए गए सर्वेक्षण कार्य को जारी रखा गया। इस दिशा में राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है तथा एक चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में सभी गावों में ग्राम जल संभरण की व्यवस्था के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं।

अध्याय 12

आवास तथा शहरी विकास

1. आवास

विभिन्न आवास योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा गया। हां इनमें कुछ संशोधन किए गए ताकि इन्हें अधिक उदात एवं विस्तृत किया जाय। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा किराया आवास योजना का समन्वय किया गया तथा 50 प्रतिशत सहायता तथा 50 प्रतिशत ऋण की दर निर्धारित की गई। गन्दी बस्तियों को हटाने से सम्बन्धित योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि को मकान की लागत के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 87.50 प्रतिशत कर दिया गया शेष 12.50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार तथा/अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा जुटाई जाएगी। वृक्षारोपण श्रम आवास योजना में संशोधन कर उसके लिए 25 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई ताकि वृक्षारोपण करने वाले सभी व्यक्ति सभी श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था कर अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकें। मध्यम आय-वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित ग्रीक्षणिक, स्वास्थ्य तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं के लिए किराये के मकानों का निर्माण करने के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं ताकि वे अपने कर्मचारियों को मकान आवंटित कर सकें।

परिशिष्ट 12.1 में 1966–67 में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की योजनाओं में आवास कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत परिव्यय तथा वास्तविक व्यय को दर्शाया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न आवास योजनाओं के लिए की गई बजट व्यवस्थाओं तथा व्यय में परिशिष्ट 12.2 में दर्शाया गया है। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में आवास योजनाओं पर 12.2 करोड़ रुपये की बजट-व्यवस्था की तुलना में 10.5 करोड़ रुपये व्यय हुए। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की योजनाओं के अन्तर्गत हुए व्यय का योजना वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये)

	1966–67	
	परिव्यय	वास्तविक
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	353.03	305.00
निम्न आय-वर्ग आवास योजना	335.53	365.00
वृक्षारोपण श्रम आवास योजना	7.10	3.00
गन्दी बस्तियां हटाने से संबंधित योजना	279.81	181.00
ग्राम आवास प्रोजेक्ट-स्कीम	93.16	71.00
अन्य	148.83	128.00
कुल	1217.46	1053.00

यह उल्लेखनीय है कि केवल निम्न आयवर्ग आवास योजना को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं में बजट-व्यवस्था की कमी रही। यह कमी विशेषकर वृक्षारोपण श्रम आवास योजनाओं तथा गन्दी बस्तियों को हटाने से संबंधित योजनाओं में दिखाई दी। इसका आंशिक कारण वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा आवास के लिए निर्धारित राशि के कुछ अंश को अन्य विकास मदों में लगाना है।

भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

राज्य क्षेत्र

राज्य क्षेत्र के आवास कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां परिशिष्ट 12.3 में दर्शायी गई है। यह उल्लेखनीय है कि 1966–67 के लिए 33,293 मकानों का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 23,506 मकान की हुई। शेष मकानों का निर्माण हो रहा है। योजनावार ब्यौरा निम्नप्रकार है:

	1966–67	
	लक्ष्य	उपलब्धि (मकानों की संख्या)
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना .	9630	5925
निम्न आय-वर्ग आवास योजना . .	4817	5255
गन्दी बस्तियां हटाने से संबंधित योजना . .	14428	8434
ग्राम आवास प्रोजेक्ट स्कीम . . .	4083	3460
वृक्षारोपण श्रम आवास योजना . .	85	85
मध्यम आय-वर्ग आवास योजना . .	250	347
कुल . . .	33293	23506

यह उल्लेखनीय है कि निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के सम्बन्ध में लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई तथा वृक्षारोपण श्रम आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हुई। सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा गन्दी बस्तियां हटाने से सम्बन्धित योजना के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी कमी रही। आवास योजनाओं की धीमी प्रगति का मुख्य कारण विभिन्न आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था की कमी रहना है। तीसरी योजना में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारें वैधानिक आवास बोर्डों की स्थापना करें। 1966–67 के अन्त तक लगभग दस राज्यों में इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना नहीं हुई।

विभिन्न आवास योजनाओं पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च के अतिरिक्त जीवन बीमा निगम द्वारा भी राज्य सरकारों के लिए आवास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 12 करोड़

रुपये की व्यवस्था की गई । इस राशि का योजनावार वितरण-ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(लाख रुपये)

निम्न आय वर्ग आवास योजना	311.71
मध्यम आय वर्ग आवास योजना	394.29
भूमि अभिग्रहण तथा विकास योजना	218.40
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना .	220.60
ग्राम आवास प्रोजेक्ट स्कीम	20.00
कुल	1165.00*

*असम तथा मैसूर की सरकारों से शेष 35 लाख रुपये की राशि का ब्यौरा अभी प्राप्त करना है।

केन्द्रीय क्षेत्र

केन्द्रीय क्षेत्र में 1966-67 की 12.07 करोड़ रुपये का बजट-व्यवस्था में से 9.59 करोड़ रुपये व्यय हुए। इसका ब्यौरा परिशिष्ट 12.2 में दिया गया है। योजनावार प्रगति नीचे दर्शायी गई है।

(1) **गोदी श्रम आवास** : इस योजना के अन्तर्गत गोदी श्रम बोर्डों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता 20 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में तथा वास्तविक निर्माण खर्च के 35 प्रतिशत के बराबर ऋण के रूप में दी जाती है। इस योजना के लिए 1966-67 में 28 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। परन्तु वास्तविक खर्च लगभग 11 लाख रुपये ही हुआ। 1966-67 में बम्बई गोदी श्रम बोर्ड ने 352 मकानों का निर्माण प्रारम्भ किया। वर्ष के दौरान मद्रास गोदी श्रम बोर्ड ने पहले 240 मकानों का निर्माण पूरा किया तथा बाद में 60 और मकानों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। इसी अवधि में कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड ने 288 मकानों का निर्माण प्रायः पूरा कर लिया।

(2) **केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय तथा रिहायशी आवास** : 1966-67 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय तथा रिहायशी आवास के लिए 633 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई। यह राशि चालू कार्यों के लिए रखी गई। वास्तविक व्यय 593 लाख रुपये हुआ। वर्ष के दौरान दिल्ली में लगभग एक लाख वर्ग फीट कार्यालय आवास का निर्माण पूर्ण हुआ तथा 7.74 लाख वर्ग फीट पर काम जारी रहा। इसके अतिरिक्त मद्रास में 1.54 लाख वर्ग फीट कार्यालय आवास का तथा कलकत्ता में 1.42 लाख वर्ग फीट कार्यालय आवास का निर्माण कार्य हो रहा था। फरीदाबाद में 0.99 लाख वर्ग फीट स्थान वाले तीन कार्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया। जहां तक रिहायशी आवास का सम्बन्ध है दिल्ली तथा नई दिल्ली में वर्तमान कमी जारी रही।

(3) **छिद्रिल कंक्रीट कारखानों की स्थापना** : देश में भवन निर्माण के सामान की कमी को दूर करने के लिए पोलैण्ड की सहायता से बांडल तथा एजौर में दो छिद्रिल कंक्रीट संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय किया गया। निर्माण के उपकरणों एवं माल संयंत्रों के अन्य ब्यौरों का निर्धारण हो चुका है। एजौर में संयंत्र लगाने के बारे में जैकौप वारसा तथा मद्रास आवास बोर्ड में हुए समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। बांडल के संयंत्र के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार चाहती है कि इसके आर्थिक पहलुओं पर फिर से विचार किया जाए। इस संयंत्र का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने में राष्ट्रीय भवन संगठन ने सहायता की।

(4) प्रयोगात्मक आवास : निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय द्वारा गठित **प्रयोगात्मक आवास** मूल्यांकन समिति ने प्रयोगात्मक आवास परियोजनाएं तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण अधिकरण (केन्द्रीय तथा राजकीय) से अनुसन्धान तथा प्रदर्शन परियोजनाएं चालू करने का अनुरोध किया गया है।

(5) **आवास सांख्यिकीय** : गुजरात, केरल, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा तथा पंजाब जैसे कई राज्यों में आवास तथा भवन निर्माण के लिए सांख्यिकीय कक्ष स्थापित किए गए हैं, इसी प्रकार अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भी सांख्यिकीय कक्ष स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी की गई तथा गोवा, दमन तथा दीव में इस हेतु कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। इनमें से कुछ सांख्यिकीय कक्षों द्वारा आंकड़े तैयार किए जाने लगे हैं। शेष राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

2. शहरी तथा क्षेत्रीय विकास

शहरी तथा क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने से सम्बन्धित कार्यक्रम में 1966–67 में और प्रगति हुई। चुने हुए महानगरों, औद्योगिक नगरों, राज्यों की राजधानियों, बन्दरगाहों तथा साधनयुक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित वृहद योजनाओं में भी काफी प्रगति हुई। तीसरी योजना की कई स्कीमों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त श्रेणी–1 तथा श्रेणी–2 के शेष कुछ नगरों में पर्यटक तथा तीर्थयात्री केन्द्रों के अतिरिक्त व्यापक विकास योजनाएं तैयार करने का भी काम प्रारम्भ किया गया। साथ ही ऐसे क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करने के सम्बन्ध में विचार किया गया जो तेजी से बढ़ रहे हैं तथा जहां उचित आयोजन तथा निर्देशन की कमी के कारण अव्यवस्थित ढंग से विस्तार हुआ है। दक्षिणपूर्व साधन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बनाने में काफी प्रगति हुई तथा राष्ट्रीय प्रमुख क्षेत्र का भी कुछ प्रारंभिक अध्ययन किया गया। जहां अन्तर-राज्य क्षेत्रों की योजनाओं, शहरी अनुसन्धान कार्य तथा शहरी विकास कार्यक्रमों आदि की केन्द्र द्वारा निगरानी की जाती रही है वहां राज्य तथा संघीय क्षेत्र वृहद योजनाएं तथा क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने में व्यस्त रहे तथा उन्हें शहरी-विकास योजनाओं के कुछ बड़े कार्यों का कार्यान्वयन भी प्रारम्भ किया।

1966–67 के दौरान नगर आयोजन तथा शहरी विकास योजनाओं पर लगभग 3.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए। खर्च का ब्यौरा पृष्ट 106 पर दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

केन्द्र	0.75
राज्य	2.07
संघीय क्षेत्र	0.52
कुल	3.34

मैसूर तथा महाराष्ट्र को छोड़कर जहां हाल ही में व्यापक कानून बनाये गए हैं, अन्य राज्यों में इस दिशा में अभी काफी काम किया जाना है। अधिकांश राज्यों में नगर आयोजन स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं का है। इस दिशा में समुचित नीति अपनाने तथा भौतिक आयोजन तथा विकास से सम्बन्धित विभिन्न अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने में राज्य सरकारों ने अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई है। राज्य यह अनुभव करने में पीछे रहे हैं कि शहरी विकास की समस्याएं केवल स्थानीय समस्याएं नहीं हैं तथा ये क्षेत्रीय आधार पर प्रगति एवं विकास पर प्रभाव डालती हैं। साथ ही वे यह अनुभव करने में भी पीछे रहे हैं कि क्रमिक भौतिक विकास के लिए तथा आयोजित व्यावसायिक नीतियों के अनुरूप जनसंख्या को आर्थिक आधार पर बसाने के लिए राज्य का निदेश बहुत आवश्यक है। यह आवश्यक है कि नगर तथा क्षेत्रीय आयोजन में लगे कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएं क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में व्यावसायिक कर्मचारियों की कमी है। नगर आयोजन एक प्रकार से अन्तर-ग्रन्थित कार्य है अतः विभिन्न प्रकार के काम में लगे कर्मचारियों तथा शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजन में लग कर्मचारियों की ठीक प्रकार से व्यवस्था की जाय।

अध्याय 13

पिछड़े वर्गों का कल्याण

1966–67 का वार्षिक योजना से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 25.08 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था की गई थी। वास्तविक व्यय 24.25 करोड़ रुपया हुआ था जो नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

	1964–65 (वास्तविक)	1965–66 (वास्तविक)	1966–67 (व्यय-व्यवस्था)	1966–67 (वास्तविक)
केन्द्र संचालित कार्यक्रम .	9.57	12.05	15.37	14.70
राज्य क्षेत्र . .	13.66	14.97	8.96	8.96
संघीय क्षेत्र . .	0.80	0.99	0.75	0.59
कुल . .	24.03	28.01	25.08	24.25

इस प्रकार, यद्यपि केन्द्र संचालित कार्यक्रमों में 1966–67 में तीसरी योजना के अंतिम वर्ष से अधिक व्यय हुआ था जब कि राज्य क्षेत्र की स्कीमों में काफी गिरावट आई थी। पिछले वर्षों में राज्य क्षेत्र का व्यय केन्द्र क्षेत्र की अपेक्षा अधिक था परन्तु 1966–67 में स्थिति विपरीत थी। इस वर्ष राज्य क्षेत्र को दी गई राशि केन्द्रीय क्षेत्र की लगभग 58 प्रतिशत थी। केन्द्रीय क्षेत्र का अधिकांश विस्तार दसवीं से आगे के वजीफों और आदिम जाति विकास खण्डों की स्कीमों पर था। 1966–67 में राज्य योजनाओं पर कम व्यय-व्यवस्था अधिकांशतः वित्तीय कठिनाइयों के कारण थी।

पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिए मैट्रिक के बाद वजीफों की स्कीम केन्द्र संचालित स्कीम के रूप में चालू रही थी जिसे शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त थी। सभी पात्र अनुसूचित आदिम जाति विद्यार्थियों को बिना किसी साधन या योग्यता परीक्षण के पूरा वजीफा दिया गया है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को योग्यता का ध्यान रखे बिना वर्गीकृत साधन परीक्षण के आधार पर वजीफे दिये गए हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के मामलों में 1963-64 से शुरू की गई आर्थिक कसौटी को आधार माना गया है। 1966–67 में मैट्रिक के बाद के वजीफों के लिए अनुसूचित आदिम जाति के लोगों पर 83.84 लाख रुपया और अनुसूचित जाति के लोगों पर 438.14 लाख रुपया (संघीय शिक्षा मन्त्रालय के अंश सहित) खर्च हुआ था। मैट्रिक के बाद वजीफा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक लाख से अधिक थी जिसमें

17760 अनुसूचित आदिम जाति के और 90481 अनुसूचित जाति के थे। इसकी 1965–66 की स्थिति से भली प्रकार तुलना की जा सकती है जब अनुसूचित आदिम जाति को 15925 और अनुसूचित जाति को 78548 यानि कुल 94473 वजीफे दिये गए थे।

शैक्षणिक विकास के लिए दूसरा केन्द्र संचालित कार्यक्रम लड़कियों के लिए छात्रावासों को सहायता देने का है जिस पर 1966–67 में लगभग 10.78 लाख रुपया खर्च किया गया था। यह एक बहुत उपयोगी कार्यक्रम है। क्योंकि समुचित छात्रावास सुविधाओं के बिना प्राथमिक स्तर से आगे लड़कियों को पढ़ाना कठिन है। राज्यों से प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि अनुसूचित आदिम जाति के 32 छात्रावासों को सहायता दी गई थी जिसमें से 20 मध्य प्रदेश में, 4 पश्चिम बंगाल में, 3 महाराष्ट्र में, 1 राजस्थान और 4 असम में थे। आन्ध्र प्रदेश की सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी 1966–67 में इस कार्यक्रम पर 0.55 लाख रुपया खर्च हुआ था। अनुसूचित जाति के 41 छात्रावासों को सहायता दी गई थी (उत्तर प्रदेश से सूचना उपलब्ध नहीं है)। कुल 41 छात्रावासों में से 12 मद्रास में, 1 महाराष्ट्र में, 8 आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 6-6 और शेष 8 अन्य राज्यों में थे। कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम पर व्यय आवंटन की अपेक्षा कम था, उदाहरण के लिए बिहार में अनुसूचित जातियों की छात्राओं के छात्रावासों के लिए 1 लाख रुपया आवंटित किया गया था इसमें से केवल 3000 रुपया खर्च हुआ।

मैट्रिक-पूर्व शिक्षा के लिए, राज्य योजनाओं में क्रियान्वित की गई स्कीमें 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की हकदार थीं। इनमें वृतिकाएं, वजीफे, फीसमाफी, पुस्तकों के लिए अनुदान तथा मध्यान्तर भोजन एवं छात्रावास सुविधाओं के लिए अनुदान महत्वपूर्ण हैं। इन्हें साथ अपनाये जाने से पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रसार में वृद्धि करने में सहायता मिल सकती है। 1966-67 में शैक्षणिक कार्यक्रमों पर 542.62 लाख रुपया व्यय हुआ था इसमें से 190.30 लाख रुपया अनुसूचित आदिम जाति के लिए तथा 244.02 लाख रुपया अनुसूचित जाति के लिए तथा 112.20 लाख रुपया अन्य पिछड़े वर्गों के लिए खर्च किया गया था। राज्य क्षेत्र में इन तीन वर्गों को दिए गए वजीफों की संख्या पांच लाख से अधिक थी जो क्रमशः 1.80 लाख, 2.37 लाख और 1.15 लाख थी।

अनुसूचित आदिम जाति के आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आदिम जाति विकास खण्ड है। जिसके अधीन केन्द्र या समाज कल्याण विभाग सामान्य सामुदायिक विकास खण्ड के लिए उपलब्ध व्यवस्था की पूर्ति करता है। दूसरी योजना अवधि में 43 आदिम जाति विकास खण्ड खोले गए थे और तीसरी योजना अवधि में 415 खोले गए थे। 1966–67 में 31 नये खण्ड खोले गये थे इस प्रकार इनकी कुल संख्या वर्ष की समाप्ति तक बढ़ाकर 489 हो गई थी।

इस प्रकार पिछड़े वर्गों के लिए अनेक अन्य आर्थिक वृद्धि के कार्यक्रम अधिकांशतः राज्य क्षेत्र में शुरू किये गए थे। हल, बैल, उन्नत बीज, उर्वरक आदि की खरीद एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा मुर्गीपालन एवं पशुपालन के लिए उपदान दिए गए थे। उपदान की दर में एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ा अन्तर था। आर्थिक विकास की अन्य स्कीमों में बस्तियां बनाना, कृषक श्रमिकों को भूमि का वितरण, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई और कुटीर उद्योगों को सहायता शामिल है। 1966–67 में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सहायता अनुसूचित आदिम जाति

के 22 केन्द्रों और 1330 प्रशिक्षुओं तथा अनुसूचित जाति के 196 केन्द्रों और 8434 प्रशिक्षुओं को की गई थी। आदिम जाति के लोगों द्वारा सीढ़ी बनाकर, बांध बनाकर, बस्तियां बनाकर, भूमि संरक्षण और प्रदर्शन के काशत बदलते रहने की परम्परा को समाप्त करने के लिए प्रयत्न जारी थे।

केन्द्र संचालित तथा राज्य क्षेत्र दोनों में ही पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए सरकारी संस्थाओं के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम अपनाये गए थे। 1966–67 में अनुसूचित आदिम जाति के लिए केन्द्र द्वारा किए गए आवंटन से 989 सहकारी समितियां गठित की गई या सहायता पहुंचाई गई थी। विचाराधीन वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए मेहतरों की 20 सहकारी संस्थाएं गठित की गई थीं। राज्य क्षेत्र में 771 सहकारी संस्थाएं गठित की गई या सहायता की गई थीं जिसमें से 600 महाराष्ट्र में थी और 118 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में थीं। इस प्रकार, सहकारिता के क्षेत्र में अधिकांश प्रगति कुछ राज्यों तक ही सीमित रही थी। आन्ध्र प्रदेश के सहकारी वित्त एवं विकास निगम तथा मध्य प्रदेश के आदिम जाति सहकारी विकास निगम द्वारा क्रय, विक्रय, ऋण, विपणन तथा अन्य गतिविधियों में सभ्यस्थों द्वारा किये जाने वाले शोषण को रोकने वाली प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का कार्य जारी रहा था।

अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों पर चुने जाने के लिए इलाहाबाद और मद्रास में दो परीक्षा-पूर्व परीक्षण केन्द्रों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इन केन्द्रों में प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क भोजन एवं आवास की व्यवस्था थी तथा उन्हें संघ सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली भारतीय प्रशासन सेवा, पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं की भर्ती की परीक्षाओं में सफलता से मुकाबला कर सकने के लिए शिक्षा दी जाती है। 1966–67 में इस सुविधा का लाभ उठाने वाले 105 विद्यार्थियों में से 36 लगभग एक तिहाई साक्षात्कार के लिए सफल हो सके थे।

पिछले दस वर्षों में स्थापित नौ आदिम जाति अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थाएं सहायता प्राप्त करती रहेंगी आदिम जाति लोगों में अनुसंधान और सर्वेक्षण करने तथा विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक विभिन्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का कार्य जारी रखेंगी। इन संस्थाओं के कार्यक्रम को अधिक विकास-नवीकृत बनाने की आवश्यकता है ताकि कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित सरकारी विभागों में अधिक समन्वय रखा जा सके।

केन्द्र संचालित स्कीम के अधीन मेहतरों एवं सफाई करने वालों की रहन-सहन की स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय निकायों को पहियेदार गाड़ियां, कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां आदि खरीदने के लिए सहायता की गई थी ताकि सफाई करने वाले मल-मूत्र से शारीरिक सम्पर्क में आने से बच सकें। यह स्कीम संतोषजनक प्रगति नहीं कर सकी है क्योंकि सफाई करने वालों ने अपने काम करने के तरीकों को ही अपनाये रहे, पहियेदार गाड़ियों को रखने के लिए जगह का अभाव रहा, घुमाव-फिरावदार सड़कों गलियों जिनमें यांत्रिकी वाहनों का चलना मुश्किल है तथा इस स्कीम को म्यूनिसिपल संस्थाओं द्वारा कम प्राथमिकता दिया जाना था।

खाना बदोश एवं अध-खानाबदोश आदिम जाति के लोगों के कल्याण के लिए जिन राज्यों में ये लोग काफी संख्या में थे, स्थायी बन्दोबस्त और पुनर्वास की स्कीमें शुरू की गई थीं।

अनुसूचित आदिम जातियां जो पहले आपराधिक आदिम जातियों के नाम से जानी जाती थी के पुनर्वास के लिए पहली दो योजनाओं में शुरू किये गये समेकित कार्यक्रम थे। इनमें सुधारात्मक एवं कल्याणकर दृष्टिकोण अपनाया गया था इनकी सहायता के लिए सामाजिक शिक्षा आर्थिक स्तर ऊंचा करना और आवास की स्कीमें भी थीं। संस्कार केन्द्र और आश्रम-पाठशालाएं शुरू की गई थीं। औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधा दी गई थी तथा कृषि एवं पशु पालन के लिए उपदान दिये गए थे। स्वैच्छिक संगठनों को अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रचार-प्रसार, छात्रावास एवं शैक्षणिक संस्थाएं चलाना, कल्याण केन्द्र संगठित करना तथा प्रशिक्षण एवं पुनर्वीकरण पाठ्यक्रम शुरू करने जैसी स्पष्ट परियोजनाएं चलाने के लिए सहायता-अनुदान देना जारी रहा था। बहुत से स्वैच्छिक संगठन कठिन एवं दुर्गम स्थलों में कार्य कर रहे हैं।

यद्यपि पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रम सामान्य विकास कार्यक्रमों के पूरक माने जाते हैं तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए किया गया खर्च पूरी राशि का अंश माना है। परन्तु व्यवहार में पिछड़े वर्गों को सामान्य विकास की स्कीमों में से उचित अंश प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि भविष्य में योजनाओं के आयोजन और क्रियान्वयन में सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लाभों में से पिछड़े वर्गों को पर्याप्त मात्रा में लाभ पहुंचे।

अध्याय 14

समाज कल्याण

1966-67 की वार्षिक योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 4.10 करोड़ की व्यवस्था की गई थी (केन्द्र के लिए 2.56 करोड़ रुपये, राज्यों के लिए 1.19 करोड़ रुपये और संघीय क्षेत्रों के लिए 0.35 करोड़ रुपये) । इस वर्ष 3.39 करोड़ रुपया खर्च किया गया था (केन्द्र ने 2.18 करोड़, राज्यों ने 1.00 करोड़ और संघीय क्षेत्रों ने 0.21 करोड़ रुपये) । इस प्रकार कुल की गई व्यय-व्यवस्था का लगभग 83 प्रतिशत का उपयोग किया गया था अधिकांश राशि पहले से शुरू की गई स्कीमों को चालू रखने पर खर्च की गई थी । परिशिष्ट 14.1 में 1966-67 में की गई व्यय-व्यवस्था और खर्च का ब्यौरा दिया गया है ।

आलोच्य वर्ष में मुख्य रूप से पिछली तीन योजनाओं में शुरू किये गए समाज कल्याण कार्यक्रमों को समेकित करने पर ध्यान दिया गया था । तीसरी योजना की समाप्ति तक 4 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए 264 कल्याण विस्तार परियोजनाएं थीं, इसके अलावा 17 समेकित शिशु कल्याण प्रदर्शन परियोजनाएं थीं । ये परियोजनाएं 1966-67 में चालू रही थीं । वर्तमान केन्द्रों में कल्याण सेवाओं के विस्तार, विकास और पुनर्गठन के आधार पर परिवार और शिशु कल्याण का समन्वित कार्यक्रम बनाने के लिए कदम उठाये गए थे । इस नये कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य कल्याण बोर्डों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं में निकट समन्वय स्थापित करना था तथा गांवों में समेकित समाज सेवाएं उपलब्ध करना था, विशेषरूप से स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए, इसके अलावा युवा लड़कियों को गृहकला, मातृ-कला, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और शिशुसेवा का प्रशिक्षण देना था । इस कार्यक्रम में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करके गांव की स्त्रियों को पूरक कार्य प्राप्त करने में सहायता देना भी है । परिवार एवं शिशु कल्याण परियोजनाओं का यह नया कार्यक्रम 1967-68 में शुरू किया जाना था ।

महिलाओं, बच्चों और अपाहिजों को कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य सरकारों के माध्यम से लगभग 3500 स्वैच्छिक संगठनों ने 71 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया था । बचत के साधन के रूप में चलती-फिरती गाड़ियों और इमारतों के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया था । बोर्ड ने प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के लिए 100 सघन पाठ्यक्रम तैयार करने, जिससे 2000 उम्मीदवारों को लाभ होगा, के लिए कल्याण संगठनों की सहायता की । स्कीम के उद्देश्य बहुत बड़ी संख्या में योग्यता रखने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना तथा विभिन्न कल्याण सेवाएं चलाने के लिए विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रशिक्षित एवं सक्षम कर्मचारियों का दल तैयार करना था बोर्ड के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे औद्योगिक एककों में लगभग 2500 जरूरतमन्द महिलाओं के लिए पूरक आय के साधन तैयार किये गए थे । समेकित शिशु कल्याण

प्रदर्शन परियोजनाओं के अधीन कार्य करने वाली 405 बालवाड़ियों को भी अनुदान दिया गया था । चूंकि प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों के अभाव में स्वैच्छिक कल्याण अभिकरणों के कार्यक्रम गुणात्मकता की दृष्टि से घटिया थे अतः इनके तकनीकी एवं अधीक्षण कर्मचारियों को सुदृढ़ [बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया था । यह स्कीम मुख्यरूप से अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के लिए बनाई गई थी ।

विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए 8.90 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । जबकि 7.56 लाख रुपया 36 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, 30 अन्धों के शिक्षकों को [प्रशिक्षण और विकलांगों को 276 बजीफों के अनुदान देने पर खर्च किया गया था । व्यवसायपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन, जो यूनीसेफ, आइ० एल० ओ० और यूनेस्कों की सहायता से क्रियान्वित किया गया था, 11-14 आयु-वर्ग के 3346 लड़कों को, जिनकी पढ़ाई बहुत पहले छूट गई थी, सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया है ।

अपराधी बच्चों और नैतिक खतरों से बचाई गई महिलाओं के लिए संस्थात्मक एवं अन्य सेवाओं की भी व्यवस्था की गई थी । महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार को समाप्त करने के कार्य का विस्तार करने के लिए नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान के भारतीय संघ को वित्तीय सहायता दी गई थी । सुधारवादी एवं गैरसुधारवादी संस्थाओं से छूटे लोगों की बाद की देखभाल की सेवाओं, जिसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा कार्य भी शामिल हैं, को विस्तृत किया गया था । बाल भवन, पालन पोषण सेवाएं तथा अंधों, बहरों एवं विकलांग बच्चों की विशेष संस्थाओं को चलाने के लिए राज्यों को 17.45 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी ।

अनेक समाज कल्याण कार्यक्रम जैसे शिशु नियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्यक्रम, शिक्षा-रोधी कानून, महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार को समाप्त करने वाला कानून और परिवीक्षा सेवाएं भी धन एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछड़े रहे । अनेक मामलों में स्वैच्छिक संगठनों की अपने कार्य-क्रम पूरा करने के लिए राज्यों पर धन के लिए निर्भरता अधिक देखी गई थी । यह अनुभव किया गया था कि कल्याण कार्यक्रम के नियोजन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न अभिकरणों एवं विभागों के बीच समन्वय कार्य को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है तथा कल्याण सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य एवं स्वैच्छिक संगठनों की सुदृढ़ साझेदारी के निर्देशन में समाज कल्याण समस्याओं का दृष्टिकोण होना चाहिए ।

अध्याय 15

दस्तकार प्रशिक्षण तथा श्रम कल्याण

वर्तमान श्रम नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। विभिन्न स्वैच्छिक व्यवस्थाओं पर ही निर्भर रहा गया। इनमें औद्योगिक अनुशासन संहिता तथा चार संहिता भी सम्मिलित है। इसका प्रभाव कोई उत्साहवर्धक नहीं रहा। यह प्रभाव उतना नहीं रहा जितना कुछ पहलुओं के कार्यान्वयन से रहता। उदाहरणार्थ, जीवन यापन के खर्च में वृद्धि तथा कुछ क्षेत्रों में मंदी जिसके परिणाम-स्वरूप कुछ कपड़ा मिलें तथा इंजिनियरी उद्योग बन्द हो गए तथा कर्मचारियों को निकाला गया। ऐसा विशेषकर महाराष्ट्र तथा बंगाल में हुआ। औद्योगिक विवादों के कारण मनुष्य दिनों की हानि बढ़ गई। 1965 में 65 लाख की तुलना में 1966 में यह संख्या बढ़कर 105 लाख हो गई।

वर्ष के दौरान इस दिशा में सरकार ने जो मुख्य कदम उठाया वह है एक विस्तृत राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। इसका उद्देश्य श्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का नए सिरे से पुनरीक्षण करना तथा भविष्य के लिए समुचित मार्गदर्शन की सिफारिश करना है। वर्ष के अन्त तक 145 उद्योगों में (47 सरकारी क्षेत्र में तथा 100 निजी क्षेत्र में) संयुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रही थीं। यह प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की दिशा में एक प्रगति-चिह्न है। एक सरकारी पुनरीक्षण से यह बात सामने आई है कि जहां भी ये परिषदें संतोषजनक ढंग से काम कर रही थीं वहां पर औद्योगिक संबन्धों में सुधार हुआ है तथा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सात नए उपक्षेत्रीय केन्द्र खोले गए, 2993 श्रमिक-शिक्षक तथा 128304 श्रमिक प्रशिक्षित किए गए तथा 1220 नई कक्षाओं की व्यवस्था की गई। 31 मार्च, 1967 तक केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अंग्रेजी में 51 पुस्तिकाएं तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 500 पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम में व्यापार संघों के सहयोग को बढावा देने के लिए उनके अन्य क्रियाकलापों को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

चर्म उद्योग, सड़क परिवहन तथा बिजली संस्थानों के लिए नए वेतन बोर्डों की स्थापना से वेतन बोर्डों के अन्तर्गत कुल 19 उद्योग आ गए।

वर्ष के दौरान संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लाभ के लिए चालू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में और प्रगति हुई। 1966 के अन्त तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 32 लाख से अधिक कर्मचारी आ गए जो 273 एककों में फैले हुए थे। कुल लाभान्वितों की संख्या लगभग 127 लाख थी जिसमें बीमाकृत तथा उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं। योजना की क्रियान्यित के सम्बन्ध में गठित एक त्रिपक्षीय समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम

1948 के अन्तर्गत लगभग 44 लाख श्रमिक आ गए तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत 106 उद्योग तथा लगभग 49 लाख श्रमिक आ गए । इनमें से 54 उद्योगों में भविष्य निधि में वेतन के 8 प्रतिशत अंश की कटौती की गई । इसमें महंगाई भत्ता भी सम्मिलित किया गया ।

श्रम कानूनों के समुचित कार्यान्वयन पर बल दिया गया ताकि काम की दशाएं सुधारी जा सकें, विशेषकर काम के स्थान पर सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकें । आलोच्य वर्ष में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया ताकि सुरक्षा के उपायों तथा शिक्षा को बढाया जा सके ।

श्रम कार्यक्रम

इस शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य योजना दस्तकारों के प्रशिक्षण से सम्बद्धित है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 15-25 वर्ष के आयु के लोगों के इंजीनियरी तथा अन्य उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाता है । इंजीनियरी के लिए अब तक 18 महीने के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी जिसके पश्चात् छः महीने उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी । अगस्त 1966 से कुछ धन्धों के लिए इस अवधि को बदलकर एक वर्ष तथा कुछ अन्यों के लिए दो वर्ष कर दिया गया है । प्रशिक्षण के सुधार के लिए आलोच्य वर्ष में विभिन्न कदम उठाये गए ।

चरणबद्ध विस्तार कार्यक्रम के अनुसार 1966-67 के दौरान दस्तकार प्रशिक्षण के लिए 30,000 अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की जानी थी । इसकी तुलना में आलोच्य वर्ष में केवल 21,000 अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की गई । फलस्वरूप कुल प्रशिक्षण क्षमता 1,34,650 हो गई ।

1966-67 के दौरान प्रशिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत 13 नए उद्योग तथा 14 नए धन्धे लाए गए । परिणामस्वरुप अधिनियम के अन्तर्गत कुल 140 विशिष्ट उद्योग तथा 40 धन्धे आ गए । मार्च, 1967 के अन्त तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या 31,500 थी । 3135 संस्थानों में 29 धन्धों में प्रशिक्षण दिया जा रहा था । इस निर्णय के आधार पर कि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाया जाए तथा उसे बहुविध किया जाए सरकार को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग तथा मानक प्रशिक्षण आदि के बात में सलाह देने के लिए अध्ययन दलों का गठन किया गया जिनमें उद्योगों प्रतिनिधियों, श्रमिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि को सम्मिलित किया गया । प्रशिक्षणार्थियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सघन सर्वेक्षण किए गए ।

मार्च 1967 के अन्त तक औद्योगिक श्रमिकों के लिए समयोपरि कक्षाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत 4280 स्थानों की व्यवस्था की गई तथा 2060 श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । परन्तु श्रमिकों के सैद्धान्तिक ज्ञान पर ही बल दिया गया । व्यावहारिक कुशलता के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया ।

इसलिए सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण के लिए एक नया कार्यक्रम तैयार किया गया तथा यह प्रस्ताव किया गया कि इसे एक मार्गदर्शी आधार पर चालू कार्यक्रम के साथ चलाया जाय । आशा है प्रस्तावित योजना से श्रमिक प्रगति करके एक वर्ग की कुशलता से उससे अधिक अच्छे वर्ग की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे।

दस्तकार प्रशिक्षणों ने प्रशिक्षण के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सात केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की । इन संस्थानों में प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा की आधुनिक पद्धतियों में प्रशिक्षित किया गया । यह प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा कक्षाओं में दिया गया । 1966-67 के दौरान इन संस्थानों में लगभग 1,783 प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित हुए जिससे अब तक प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कुल संख्या लगभग 13,000 हो गई है ।

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय श्रम संस्थानों ने अपने कार्यकलाप जारी रखे । इसके कार्यकलापों में अध्ययन, सलाह तथा मार्गदर्शन सम्मिलित हैं । वर्ष के दौरान इन संस्थानों के छात्रावासों तथा कर्मचारियों के क्वाटरों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया । प्रशिक्षणार्थियों के दूसरे दल ने दो खान यन्त्रीकरण प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया । श्रम ब्यूरो ने विभिन्न अनुसंधान अध्ययन जारी रखे ।

श्रम कल्याण के क्षेत्र में चिकित्सा, आवास, शैक्षणिक तथा मनोरंजन सुविधाएं खान, अभ्रक तथा लोहधातुक के लिए खानों के लिए गठित सांविधिक कल्याण निधि संगठनों द्वारा प्रदान की जाती रही है । राज्य क्षेत्र में श्रम निरीक्षक-वर्ग को सबल करने पर पूर्ववत बल दिया गया ताकि कार्यान्वयन मशीनरी को सरल किया जाय ।

वार्षिक योजना में 1966-67 के लिए 17.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । परन्तु वास्तविक व्यय लगभग 10.60 करोड़ रुपये होने का अनुमान है (6.68 करोड़ रुपये केन्द्र में, 3.76 करोड़ रुपये राज्यों में तथा 0.16 करोड़ रुपये संघीय क्षेत्रों में) ।

अध्याय 16

पुनर्वास

1966-67 के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से आए लगभग 26,000 विस्थापित परिवारों को बसाने का प्रस्ताव था । इनमें से 3750 कृषक परिवारों को (750 आदिम जाति के परिवारों सहित) दण्डकारण्ड में, 14,000 कृषक परिवारों को विभिन्न राज्यों में, 1800 परिवारों को उद्योग को छोड़कर अन्य गैर-कृषि-धन्धों में तथा लगभग 5,000 परिवारों उद्योगों में बसाने का प्रस्ताव था । आलोच्य वर्ष में केवल लगभग एक तिहाई लक्ष्य प्राप्त किया जा सका । पुनः स्थापित परिवारों की वास्तविक संख्या 8,821 पहुंच गई ।

दण्डकारण्ड क्षेत्र में 2302 परिवारों को बसाया गया जिनमें 122 परिवार आदिम जाति के थे । परन्तु लक्ष्य (750 आदिम जाति परिवारों सहित) 3750 परिवार बसाने का था । इस कार्यक्रम में धीमी प्रगति होने का कारण सुधार के लिए लक्ष्य के अनुसार क्षेत्र उपलब्ध न होना था । दण्डकारण्ड क्षेत्र में मार्च, 1966-67 तक 1.1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र का सुधार किया गया । लगभग 12000 एकड़ क्षेत्र में सिचाई के लिए दो बांध बनाए गए तथा 62,000 एकड़ क्षेत्र में सिचाई करने की क्षमता रखने वाले दो अन्य बांधों का काम चल रहा था । 632 मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया तथा 18 अस्पतालों एवं औषधालयों तथा 200 विद्यालयों की स्थापना की गई ।

पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रव्रजकों को शीघ्रता से बसाने की दृष्टि से नए क्षेत्रों के सुधार के लिए 1964 में गठित पुनर्वास सुधार संगठन ने 1966-67 में लगभग 18,547 एकड़ का सुधार किया जिससे मार्च, 1967 तक कुल लगभग 55.000 एकड़ का सुधार हो गया ।

दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र से बाहर अन्य राज्यों में कृषक परिवारों को बसाने से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत 14,000 परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 5,349 परिवार बसाये गए । लक्ष्य प्राप्ति में कमी का मुख्य कारण आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के विभिन्न पुनर्वास परियोजना क्षेत्रों में सूखा पड़ना तथा उत्तर प्रदेश तथा असम में भूमि अभिग्रहण में आने वाली कठिनाइयां थीं । 1800 विस्थापित परिवार बसाने के लक्ष्य की तुलना में उद्योगों को छोड़कर अन्य गैर कृषि-धन्धों में 1,170 परिवार बसाये गए । इस कार्यक्रम में भी धीमी प्रगति का कारण प्रव्रजक परिवारों के लिए उद्योगधन्धों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के निर्धारण तथा अभिग्रहण में आने वाली कठिनाइयां ही थीं । उद्योगों में 5000 परिवारों को बसाने से सम्बन्धित कार्यक्रम में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि स्वीकृत योजनाएं पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकीं । सरकारी क्षेत्र में कपड़े की दो योजनाएं स्वीकृत की गई तथा तीन कपड़ा योजनाओं के आंशिक सहायता स्वीकृत की गई । इसकी अनुमानित

लागत 105 लाख रुपये है । इसका उद्देश्य बर्मा से आने वाले लगभग 1675 नए प्रव्रजकों/स्वदेश लौटने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना था । लगभग 600 लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से हस्तिनापुर में एक निजी कताई मिल की स्थापना की जा रही है । विस्थापितों तथा स्वदेश लौटने वालों को रोजगार दिलाने के लिए 5000 विद्युत करघों का विशेष कोटा प्राप्त किया गया । लगभग 2800 नए आप्रवासियों को रोजगार देने की क्षमता वाली 37 लघु उद्योग योजनाएं मंजूर की गई ।

शिक्षा संस्थाएं गठित करने तथा पुनर्वास कालोनियों में तथा नए प्रव्रजकों के लिए स्थापित गांवों में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी गई ।

अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में चलाए गए "विशेष क्षेत्र विकास" कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों तथा बर्मा से स्वदेश लौटने वाले 223 परिवारों को द्वीपों में भेजा गया । 1966-67 के दौरान 300 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया जिससे कुल सुधरा हुआ क्षेत्र 1500 एकड़ हो गया । दक्षिणी अण्डेमान में एक रबड़ अनुसंधान तथा विकास केन्द्र स्थापित करने तथा काटचल में व्यापारिक रबड़ रोपण का काम प्रारम्भ करने तथा मैंगूव वनों के सुधार के लिए भी कदम उठाये गए । वैज्ञानिकों के एक दल ने वृहद् निकोबार द्वीपसमूह का एक व्यापक सर्वेक्षण किया ।

अध्याय 17

जन सहयोग

जन सहयोग की विभिन्न स्कीमों के लिए 1966-67 में की गई योजना व्यय व्यवस्था और केन्द्र तथा राज्य दोनों क्षेत्रों में किया गया काम नीचे दिखाया गया है:—

(लाख रुपये)

स्कीम	1966-67	
	व्यय व्यवस्था	वास्तविक व्यय
लोक कार्य क्षेत्र (ग्रामीण)	22.00	10.07
लोक कार्य क्षेत्र (शहरी)	6.00	0.89
योजना गोष्ठियां	6.00	3.87
अनुसन्धान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शी परियोजनाएं और विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए किये गये उपाय	16.26	5.80
राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा	1.40	0.24
मद्यनिषेध सम्बन्धी शिक्षा कार्य	8.00	3.50
अनैतिक व्यापार निरोध	1.18	0.95
स्वैच्छिक संगठन और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की निर्माण सेवा के लिये ऋण सहायता	28.00	—
योग	88.84	25.32

जन सहयोग की विभिन्न स्कीमों की प्रगति में इस वर्ष रुकावट पड़ी । यह रुकावट मुख्यतया भारत सेवक समाज द्वारा चलाये जाने वाले लोक कार्य क्षेत्र (ग्रामीण) लोक कार्य क्षेत्र (शहरी), और राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा जैसे कार्यक्रमों में पड़ी । इसका कारण यह था कि भारत सेवक समाज को इस वर्ष का पूरा अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि इसने नियमानुसार आवश्यक समेकित लेखा प्रस्तुत नहीं किया ।

लोक कार्य क्षेत्र : कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस वर्ष लोक कार्य क्षेत्र (ग्रामीण) का मूल्यांकन पूरा कर लिया है । लोक कार्य क्षेत्र (शहरी) का मूल्यांकन एक अन्तर्विभागीय समिति द्वारा किया जा रहा है ।

योजना गोष्ठियां : समीक्ष्य अवधि में योजना गोष्ठियों ने उपयोगी कार्यकलाप किये । योजना गोष्ठियों की संख्या जो 1964-65 में 846 थी 1966-67 में बढ़कर 1000 से भी अधिक हो गई और उनकी सदस्य संख्या एक लाख छात्रों से भी अधिक हो गई । इन गोष्ठियों ने श्रमदान द्वारा सड़कों के निर्माण या मरम्मत का काम किया, प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें चलाई और कहीं-कहीं निर्धन छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री दी । बहुत सी गोष्ठियों ने चुने हुए क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी किये ।

अनुसन्धान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शी परियोजनाएं : जन सहयोग सम्बन्धी अनुसंधान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान ने, जिसकी स्थापना फरवरी, 1966 में की गई थी कुछ अनुसंधान अध्ययन आरम्भ किये और जन सहयोग के विभिन्न पक्षों पर रिपोर्टें निकालीं ।

ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण : इस कार्यक्रम की देखरेख भारतीय ग्रामीण महिला संघ द्वारा की जाती है और यह कार्यक्रम निरन्तर प्रगति कर रहा है । समीक्षा वर्ष के दौरान इस संघ द्वारा कैम्प लगाये गये और 244 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रशिक्षण में आग बुझाना, हवाई हमले के समय बचाव, राइफल चलाना, शारीरिक प्रशिक्षण, कृषि, पशुपालन मुर्गीपालन, परिवार नियोजन आदि शामिल थे ।

मद्य निषेध सम्बन्धी शिक्षा कार्य : मद्य निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अखिल भारतीय मद्य निषेध परिषद् को इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की केन्द्रीय समन्वयकारी संस्था के रूप में मान्यता दी गई है । परिषद् को इस वर्ष के दौरान स्वीकृत स्कीमों पर खर्च की पूर्ति के लिए एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया । केन्द्रीय मद्य निषेध समिति ने सितम्बर 1966 में हुई अपनी बैठक में मद्यनिषेध अध्ययन दल की मद्य निषेध के प्रचार और प्रसार के लिए की गई सिफारिशों की पुष्टि की ।

मद्य निषेध के सम्बन्ध में शिक्षा देने के लिए राज्यों/संघीय क्षेत्रों में 44 नशाबन्दी लोक कार्य क्षेत्र चल रहे थे । वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को सहायक अनुदान के रूप में एक लाख रुपये की राशि बांटी गई ।

अनैतिक क्रियाकलापों का दमन : भारत में सामाजिक तथा नैतिक चरित्र निर्माण संस्था तथा इसकी शाखाओं को अनैतिक क्रियाओं को समाप्त करने हेतु जनमत पैदा करने के लिए सरकार से सयाहता मिलती रही । संस्था ने नैतिक तथा सामाजिक सुधार कार्यक्रम से संबंधित सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रशिक्षण एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना जारी रखा ।

ऋण सहायता : आलोच्य वर्ष में स्वेच्छा सेवी संगठनों को किसी प्रकार की ऋण सहायता नहीं दी गई। साथ ही स्वेच्छा सेवी संगठनों तथा श्रम सहकारी समितियों की निर्माण सेवा के लिए भी ऋण सहायता नहीं दी गई। सारी योजना का पुनरीक्षण किया गया तथा अन्ततः यह निश्चय किया गया कि भविष्य में केवल श्रम सहकारी समिति को ऐसी सहायता दी जायेगी।

शहरी सामुदायिक विकास : कार्यक्रम की भावी प्रगति के लिए समान पद्धति अपनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में शहरी सामुदायिक विकास की 20 मार्गदर्शी परियोजनाएं चलाने का विचार था। 1966-67 में केवल 14 परियोजनाएं चालू थीं।

किसी परियोजना जिसके अन्तर्गत 50,000 जनता आती है, के लिए कुल 65,000 रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। इसमें 15,000 रुपये स्थानीय क्रियाकलापों के लिए हैं। स्थानीय क्रियाकलापों के लिए रखी गई राशि तभी दी जायेगी जब स्थानीय जनता भी इतनी ही राशि का अंशदान करेगी। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन नगर निगमों/नगरपालिकाओं के माध्यम से किया जा रहा है। 50 प्रतिशत साधन इन्हें भी जुटाने होते हैं। उत्साहपूर्वक काम करने में इन संस्थाओं के लिए 50 प्रतिशत लागत जुटाने की बात बाधक सिद्ध हुई है।

शहरी सामुदायिक विकास एक धीमी तथा कठिन प्रक्रिया है क्योंकि इसमें नागरिकों के सहयोग तथा स्वावलम्बन पर बल दिया जाता है। इसका लक्ष्य संतुलित सामाजिक परिवर्तन लाना है तथा यह समाज की आवश्यकताओं तथा समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करता है। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए समाज का उत्तरदायित्व बताता है। विभिन्न प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक, वित्तीय तथा अन्य समस्याओं तथा भारी उत्तरदायित्वों पर विचार करने से कहा जा सकता है कि शहरी सामदायिक विकास योजना का प्रारम्भ अच्छा हुआ।

अध्याय 18

अन्य कार्यक्रम

अनेक प्रकीर्ण कार्यक्रमों को इस मद में लिया गया है जैसे पहाड़ी क्षेत्र और सीमान्त क्षेत्र, सांख्यकीय, योजना प्रचार एवं सूचना, राज्य पूंजी परियोजनाएं, महत्वपूर्ण आंकड़े, मूल्यांकन संगठन, मुद्रण क्षमता का विस्तार आदि। 1966-67 में "अन्य कार्यक्रमों" के लिए कुल 30.21 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई थी। इसके मुकाबले में प्रत्याशित व्यय 15.94 करोड़ रुपया है इसमें 11.91 करोड़ रुपया राज्यों में और 4.03 करोड़ रुपया केन्द्र और संघीय क्षेत्रों का शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की अगले अनुच्छेदों में समीक्षा की गई है।

सांख्यकीय

उप-मद "सांख्यिकी" के अधीन केन्द्र और राज्य क्षेत्रों में 1966-67 के लिए व्यय-व्यवस्था और वास्तविक व्यय यहां नीचे की सारणी में दी गई है :—

(लाख रुपये)

	योजना व्यय व्यवस्था	वास्तविक
केन्द्र	107.89	98.85
राज्य और संघीय क्षेत्र	61.32	23.04
कुल	169.21	121.89

यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय क्षेत्र का तो लगभग पूरा आवंटन खर्च हो चुका था और राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का व्यय योजना व्यय-व्यवस्था का लगभग 40 प्रतिशत हुआ था।

सांख्यकीय विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय) के अधीन दिल्ली में दो 'हानी वेल' संगणक मशीनों सहित एक संगणक केन्द्र खोला गया था। इस प्रकार के छह और संगणक केन्द्र बाद में विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाएंगे ताकि सारणीकरण की कठिनाइयां दूर की जा सकें और सरकारी विभागों की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी की जा सके। राज्य क्षेत्र के संबंध में योजना आयोग ने यह नीति अपनाई थी कि विभिन्न क्षेत्रों की सांख्यकीय स्कीमों की समेकित जांच की जानी चाहिए। तदनुसार, सभी ऐसी स्कीमें पहले राज्य सांख्यकीय ब्यूरों से समन्वित की जाएंगी तब सांख्यकी के कार्यकारी दल द्वारा समेकित ढंग से उनकी जांच की जाएगी। यह नीति 1967-68 से क्रियान्वित की जानी थी। इस ढंग से व्यय में

बचत होने के अलावा कार्य के जल्दी पूरा होने की आशा है सांख्यकीय की गतिविधियों के क्षेत्र में अच्छा समन्वय हो सकने की सम्भावना है ।

राज्य और संघीय क्षेत्रों में 1966-67 में नौ 'कोर' स्कीमें बनाई गई थीं तथा समान मापदण्ड अपना कर सांख्यकीय की बड़ी खामियों को पूरा करने के लिए 1967-68 के बाद योजना में इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी । ये स्कीमें छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र, वितरक व्यापारों का सर्वेक्षण, सड़क द्वारा माल परिवहन, राज्य आय का अनुमान, आवास सांख्यकी, मशीनों से सारणी तैयार करना, तथा म्युनिसिपल एवं जिला सांख्यकी पुस्तिकाओं की थी । हाल के वर्षों में सूचना की आवृत्ति काफी बढ़ गई है परन्तु फिर भी यह क्षेत्र एवं सूक्ष्मता की आवश्यकता की दृष्टि से काफी पीछे हैं ।

योजना सूचना और प्रचार

1966-67 के विकास कार्यक्रमों सूचना सुविधाएं दिये जाने एवं योजना सूचना और प्रचार आयोजित किये जाने का काम केन्द्र एवं राज्यों में चालू रहा था । साधनों कमी के कारण व्यय-व्यवस्था आमतौर पर हाथ में लिए कार्यक्रमों की न्यूनतम आवश्यकता के लिए थी । नई स्कीमों और/या महत्वपूर्ण विस्तारकार्य शुरू करने के लिए बहुत कम अवसर था । रुपये के अवमूल्यन और मूल्यों पर उसका प्रभाव तथा आयात प्रतिस्थापना का काफी प्रचार किया गया था और रेडियो एवं मुद्रित रूप में भी काफी विचार विमर्श हुआ था । रबी एवं खरीफ अभियानों तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने का भी प्रचार किया गया था । यह कार्य योजना स्कीमों के सामान्य प्रचार के अलावा किया गया था ।

आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों का विस्तार कृषि जनसंख्या के लिए किया है इसमें अब कृषि सम्बन्धी खबरें, बाजार के भाव, मौसम की सूचना, तथा किसानों एवं विशेषज्ञों की सूचनात्मक संभाषण, साक्षात्कार और विचार-विमर्श आते हैं । दस खेत एवं घर प्रसारण एककों ने मुख्य रूप से सघन कृषि विकास क्षेत्रों की सेवा के लिए कार्य शुरू किया है इसकी अधिकांश सामग्री खेत पर आधारित होती है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए राज्य सरकारों को रेडियो देने की उपदान-स्कीम इस वर्ष कम व्यय-व्यवस्था होने के कारण धीमी गति से चलती रही है। सूखी बैटरी उपलब्ध कराने तथा पुराने वाल्व सेटों को बिजली या ट्रांजिस्टर में परिवर्तन करने के कार्य को उन्नत करने की दिशा में कदम उठाये गए थे ।

1966-67 में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा योजना सूचना एवं प्रचार पर कुल 1.13 करोड़ रुपया खर्च किया गया था जबकि 1965-66 में 1.72 करोड़ रुपया खर्च हुआ था ।

राज्य मूल्यांकन संगठन

यह स्कीम कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रशासित है । राज्यों में मूल्यांकन मशीनरी लगाने और/या सुदृढ़ करने की सुविधा के लिए प्रारम्भ में शत प्रतिशत केन्द्रीय

सहायता दी गई थी। 1966-67 से केन्द्रीय सहायता वास्तविक व्यय की 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी थी। 1966-67 में इस स्कीम पर लगभग 8 लाख रुपया व्यय हुआ था जबकि शुरू में इसके लिए 10.10 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था।

अधिकांश राज्यों और कुछ संघीय क्षेत्रों में मूल्यांकन एकक और मूल्यांकन सलाहकार बोर्ड/समितियां बनाई जा चुकी हैं। इन एककों ने अनेक उपयोगी अध्ययन किये हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इन एककों में उपयुक्त कर्मचारी रखने में मदद की तथा मूल्यांकन पद्धति में तकनीकी सलाह भी दी है।

मुद्रण क्षमता का विस्तार

मुद्रण क्षमता के विस्तार कार्यक्रम के लिए 1966-67 में 140 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी। लगभग 79 लाख रुपया खर्च हुआ था तथा भवनों की बहुत ज्यादा कमी अनुभव की गई थी। संतरागाची, कलकत्ता के भारत सरकार मुद्रणालय को दूसरी जगह लगाने के लिए भवन निर्माण का कार्य मजदूरों की कमी के कारण निर्धारित कार्यक्रम से काफी पीछे है। नई दिल्ली के भारत सरकार मुद्रणालय के व्यय गिरावट का कारण आवश्यक विदेशी मुद्रा के प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण निर्माण कार्य की गति धीमी थी। यही कारण भारत सरकार के चुनीदा मुद्रणालयों की क्षमता को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित स्कीम ही धीमी गति के लिए उत्तरदायी है।

पहाड़ी क्षेत्रों और सीमान्त क्षेत्रों का विकास

पहाड़ी एवं सीमान्त क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1965 में स्वीकार कर लिया था। 1966-67 की सम्बन्धित राज्यों की वार्षिक योजनाओं में पहाड़ी एवं सीमान्त क्षेत्रों के विकास कार्य को शीघ्रता से करने के कुछ कार्यक्रम/स्कीमें शामिल कर ली गई हैं। असम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, 6.8 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था के मुकाबिले में वास्तविक व्यय लगभग 4.9 करोड़ रुपये का हुआ था। 1966-67 की योजना में कृषि विकास (बागवानी सहित) ग्रामीण बिजलीकरण, सड़कों के निर्माण तथा शिक्षा, चिकित्सा जनस्वास्थ्य और जल आपूर्ति की सुविधाओं पर बल दिया गया था। परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ भागों में गड़बड़ी रहने के कारण शिक्षा, सड़कें और जल आपूर्ति की स्कीमों का पूरा उपयोग नहीं हो सका था। मद्रास के नीलगिरी जिले में कृषि एवं पशुपालन का समेकित विकास करने के लिए मेढ़ी किस्म का कार्य शुरू किया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भूमि संरक्षण के तरीके अपनाये गए थे। उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र की विकास योजना में लगभग 4.2 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था की कल्पना की गई थी यह राशि मुख्य रूप से कृषि के विकास (बागवानी और पशुपालन सहित), सड़कों के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति कार्यक्रमों के लिए रखी गई थी। लद्दाख में भी विकास कार्य चालू था। लगभग 50 लाख रुपया मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और जल आपूर्ति के लिए खर्च किया गया था।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2·1

योजना व्यय, 1966-67 : राज्य

(लाख रुपये)

राज्य	स्वीकृत व्यय व्यवस्था	वास्तविक व्यय	कालम (3) कालम (2) का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
आन्ध्र प्रदेश	9050	9267	102.4
असम	2985	2719	91.1
बिहार	7853	7885	100.4
गुजरात	5230	5733	109.6
पंजाब	5928	3122	85.6
हरयाना		1950	
जम्मू और काश्मीर	1904	1738	91.3
केरल	4180	4077	97.5
मध्य प्रदेश	5380	5618	104.4
मद्रास	7957	8063	101.3
महाराष्ट्र	12309	11546	93.8
मैसूर	5307	5216	98.3
उड़ीसा	5109	4710	92.2
राजस्थान	4967	4930	99.3
उत्तर प्रदेश	14844	14883	100.3
पश्चिम बंगाल	6329	5697	90.0
नागालैंड	511	482	94.3
कुल	99843	97636	97.8

परिशिष्ट 2·2

योजना व्यय, 1966–67 : संघीय क्षेत्र

(लाख रुपये)

राज्य	स्वीकृत व्यय व्यवस्था	वास्तविक व्यय	कालम (3) कालम (2) का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह	158.0	106.0	67.1
चंडीगढ़	98.0	119.8	122.2
दादरा और नगर हवेली	53.4	29.1	54.5
दिल्ली	2410.0	2159.0	89.6
गोवा दमना और दीव	789.0	547.0	69.3
हिमाचल प्रदेश	900.0	772.0	85.8
लक्कादीव, अमीनदीवी और मिनिकाय द्वीप समूह	62.0	44.6	71.9
मनीपुर	350.0	209.0	59.7
नेफा	267.0	202.0	75.7
पांडिचेरी	214.0	142.0	66.4
त्रिपुरा	450.0	379.0	84.2
कुल	5751.4	4609.5	80.1

1964-65 से 1966-67 तक योजना व्यय (वास्तविक) : (केन्द्र, राज्य और संघीय क्षेत्र)

विकास की मदें	1964-65				1965-66				1966-67			
	केन्द्र	राज्य	संघीय क्षेत्र	कुल	केन्द्र	राज्य	संघीय क्षेत्र	कुल	केन्द्र	राज्य	संघीय क्षेत्र	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
कृषि उत्पादन .	694	4256	187	5137	879	5672	161	6712	1310	4707	138	6215
लघु सिंचाई .	26	6578	22	6626	5	8491	48	8544	217	10401	39	10657
भूमि संरक्षण .	279	1598	66	1943	316	2265	39	2620	380	2604	33	3017
सिंचाई के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम (आयकर विकास)	—	44	—	44	—	107	—	170	353	120	—	473
पशु पालन .	97	857	54	1008	128	1244	49	1421		999	39	
डेरी और दूध सप्लाई .	76	647	9	732	76	747	9	832	200	663	6	1907
वन .	121	887	108	1116	172	1111	105	1388	282	918	108	1308
मछली पालन .	52	459	47	558	95	598	31	724	293	707	37	1037
भंडारण और विपणन .	300	89	8	397	621	123	12	756	698	72	3	773

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. कृषि कार्यक्रम	1645	15415	501	17561	2292	20358	454	23104	3560	21424	403	25387
सहकारिता	257	1432	59	1748	257	1344	61	1662	2271	1036	45	3352
सामुदायिक विकास	49	5446	148	5643	43	5568	122	5734	34	3730	134	3898
पंचायतें	—	240	17	257	—	225	18	253	—	90	12	102
2. सहकारिता और सामुदायिक विकास	306	7118	224	7648	300	7137	202	7639	2305	4856	191	7352
सिंचाई	102	12929	38	14912	344	15222	148	17459	111	12886	7	13004
बाढ़ नियंत्रण		1843			—	1745			—	1258	137	1395
बिजली	2047	27781	775	30603	4346	31221	726	36293	7037	32022	1306	40365
3. सिंचाई और बिजली	2149	42553	813	45515	4690	48188	874	53752	7148	46166	1450	54764
बड़े और मंझले उद्योग	21794*	2004	6	23804	32094*	3276	24	35394	34793	2442	31	37266
खनिज विकास	13772	245	—	14017	13480	264	—	13744	13786	392	1	14179

गांव और लघु उद्योग (ग्रामोद्योग नियोजन समिति सहित)	2472	2206	121	4799	2837	2368	103	5308	2724	1570	82	4376
4. उद्योग और खनन .	38038	4455	127	42620	48411	5908	127	54446	51303	4404	114	55821
रेलें .	31424	—	—	31424	28474	—	—	28474	19868	—	—	19868
सड़कें .	3863	5737	656	10256	4735	5897	622	11254	5164	5189	779	11132
सड़क परिवहन	—	606	127	733	25	626	141	792	15	1522	133	1670
पर्यटन .	29	48	14	91	50	75	13	138	28	88	11	127
पत्तन और बन्दरगाह .	1691	103	20	1814	1307	128	41	1476	1261	118	19	1398
जहाजरानी .	1280	—	—	1280	906	—	—	906	63	—	—	63
डाक और तार	2578	—	—	2578	3015	—	—	3015	3881	—	—	3881
सिविल विमानन हवाई निगम	1237	—	—	1237	765	—	—	765	2047	—	—	2047
प्रसारण .	152	—	—	152	210	—	—	210	194	—	—	194
अन्तर्देशीय जल परिवहन तथा अन्य परिवहन	91	746	10	847	149	199	16	364	82	263	40	385
आकाशदीप .	50	—	—	50	59	—	—	59	63	—	—	63
अन्य संचार .	158	—	—	158	20	—	—	20	105	—	—	105
फरक्का बांध .	—	—	—	—	—	—	—	—	1435	—	—	1435

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5. परिवहन और संचार .	42553	7240	827	50620	39715	6925	833	47473	34206	7180	982	42368
सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम .	2160	8662	718	11540	2835	10469	1062	14366	2403	3448	347	6198
तकनीकी शिक्षा	1452	1278	66	2797	1710	1244	60	3014	1540	915	58	2513
वैज्ञानिक अनुसंधान .	1776	—	—	1776	2391	—	—	2391	1465	—	—	1465
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	861	6106	569	7574	1484*	6951	1261	9746	2053	3216	175	5444
जल संभरण .	38				50				35	2634	343	3012
आवास और शहरी विकास	1222	1321	477	3020	1513	1723	415	3651	959	926	282	2167
पिछड़े वर्गों का कल्याण .	957	1366	80	2403	1205	1497	99	2801	1470	797	57	2324
समाज कल्याण	265	116	22	423	323	204	33	580	218	98	21	337
जन सहकारिता	20				26				18	6	1	25
शिल्पी प्रशिक्षण और श्रमिक												

कल्याण	905	516	50	1471	1121	610	55	1786	688	376	16	1060
पुनर्वास	945	—	—	945	1145	—	—	1145	1142	—	—	1142
ग्राम निर्माण कार्यक्रम	530	—	—	530	843	—	—	843	750	—	—	750
6. समाज सेवाएं	11131	19366	1982	32479	14640	22698	2085	40323	12721	12416	—	26437
7. अन्य कार्यक्रम	280	1353	106	1739	456	1530	418	2404	234	1191	169	1591
कुल योग	96102	97500	4580	198182	110504	112744	5893	229141	111477	97637	4609	213723

*ये मूल आंकड़े हैं।

परिशिष्ट 2.4

चुनीदा भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां, 1966-67

मद	इकाई	1965-66	1966-67	
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कृषि				
खाद्यान्न उत्पादन	दस लाख मीट्रिक टन	72.00	97.00(क)	75.00
कच्ची कपास का उत्पादन	180 किलोग्राम वजन की दस लाख गांठें	.71	6.30	4.98
गन्ने का उत्पादन (गुड़)	दस लाख मीट्रिक टन	11.83	12.69	9.49
तिलहन उत्पादन	—वही—	6.10	9.89	6.49
कच्चे जूट का उत्पादन	180 किलोग्राम वजन की दस लाख गांठें	4.49	6.92	5.35
उर्वरकों की खपत				
नाइट्रोजन (एन)	हजार मी० टन	600	1008	840
फास्फेट (P_2O_5)	—वही—	132	300	250
पोटाश (K_2O)	—वही—	90	140	115
उन्नत बीजों के अधीन क्षेत्रफल				
(खाद्यान्न)	दस लाख एकड़	112.00	137.40	113.20
इनमें से अधिक उत्पादन वाली किस्में	—वही—	—	7.0	4.66
पौध संरक्षण	—वही—	41	63	60
लघु सिंचाई* (अतिरिक्त क्षमता)	—वही—	3.8	3.4	3.4

*नई सिंचाई, नालियां, बाढ़ तथा समुद्री पानी संरक्षण स्कीमों से लाभान्वित पराने सिंचाई क्षेत्र का स्थायीकरण शामिल है।

(क) क्षमता

परिशिष्ट 2.4—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिंचाई				
निकासी की क्षमता	दस लाख एकड़ (कुल)	17.5	20.0	18.9
उपयोग	—वही—	13.5	15.5	15.2
बिजली				
स्थापित क्षमता (कुल)	दस लाख कि०वा०	10.17	12.17	11.44
निर्मित	—वही—	36825	लक्ष्य निर्धारित	40275
गावों में बिजली लगाई गई	संख्या	47705	नहीं किया गया	55259
पम्पों को बिजली चालित किया गया	संख्या हजारों में	514	608	651
उद्योग और खनिज				
उत्पादन				
कच्चा लोहा बिक्री के लिए	दस लाख मी० टन	1.2	1.3	1.0
इस्पात की सिल्लियां	—वही—	6.5	7.0	6.6
धातुकर्मक तथा अन्य भारी मशीनी साधन	हजार मी० टन	11.0	15.0	14.3
मशीनी औजार (संगठित क्षेत्र, उप साधनों के अलावा)	करोड़ रुपये	22.6	35.0	26.4
औद्योगिक मशीनें**	—वही—	41.98	63.0	38.6
कोयला तथा अन्य खनन कार्य की मशीनें, खुदाई के साधनों के सहित	हजार मी० टन	5.1	15.0	7.0
वाणिज्यिक वाहन	हजार संख्या	35.3	40.0	25.6
बिजली चालित पम्प	—वही—	244.0	180.0	311.0
कृषि ट्रैक्टर	—वही—	6.3	8.0	8.8
संघनक का तेजाब	हजार मी० टन	662.0	1000.0	762.0
सीमेंट	दस लाख मी० टन	10.8	12.5	11.1
सूती कपड़ा (मिल का बना)	दस लाख मी० टन	4401	4800	4202
पटसन निर्माण	हजार मी० टन	1302	1350	1117
चीनी	लाख मी० टन	35.0	34.0	21.5

**इसमें सूती कपड़ा, पटसन, चीनी, कागज एवं गूदा तथा सीमेंट की मशीनें आती हैं।

परिशिष्ट 2.4—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उर्वरक				
नाइट्रोजन	हजार मी० टन एन	232.0	400.0	293.0
फास्फेट	हजार मी० टन $पी_2 ओ_5$	122.0	200.0	144.0
कोयला	दस लाख मी० टन	70.3	72.0	70.9
शोधित पेट्रोल के उत्पादन	—वही—	9.4	16.0(क)	11.9
गांव तथा लघु उद्योग				
हस्तकरघा, बिजली चालित तथा खादी	दस लाख मीटर	3124	3500	3180
औद्योगिक बस्तियां (पूरी हुई)	संख्या	263	350	336
परिवहन तथा संचार				
रेल भाड़ा : यातायात निर्मित	दस लाख मी० टन	203.1	215.1	201.6
रेल के डिब्बे इंजन आदि (अतिरिक्त)				
रेल इंजन	संख्या	371	331	292
वैगन-चार पहिये वाले	—वही—	36000	26210	21207
डब्बे	—वही—	1600	1387	1264
जहाजरानी	लाख टन भार	1540	कोई लक्ष्य निश्चित नहीं	18.66
बड़े बन्दरगाह : यातायात हुआ	दस लाख मी० टन	50.2	—वही—	54.9
टेलीफोन (अतिरिक्त)	लाख	1	1	75086
शिक्षा				
स्कूलों में अतिरिक्त नामांकन (आयु वर्ग 6-17 वर्ष)	लाख	48.1	43.0	35.2
तकनीकी शिक्षा : प्रवेश क्षमता डिप्लोमा	संख्या	48043	49814	48254

(क) क्षमता लक्ष्य

परिशिष्ट 2.4– समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिग्री स्तर	संख्या	24695	25690	25006
स्वास्थ्य				
अस्पताल शय्याएं	हजार	240	255	247*
डाक्टर—प्रैक्टिस करने वाले	—वही—	86	89	90
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	4668	5189	4794
आवास				
पक्का किराये के लिए निर्मित (अतिरिक्त)	हजार	56.1	33.3	23.5

*मोटे अनुमान

1966–67 में केन्द्र तथा राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को सहायता देना

(करोड़ रुपये)

	मूल अनुमान*			जून 1967 में तैयार किए गए पुनरीक्षित अनुमान**			वास्तविक		
	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
योजना व्यय व्यवस्था . . .	1150	932	2082	1212	1009	2221	1161	976	2137
व्यय व्यवस्था में वित्त लगाना									
1. घरेलू बजट साधन									
1965-66 की दर से कराधान करने पर चालू बचत‡ . .	314	120	434	(–) 13	58‡	45	101	93	194
1965-66 के किराया व माल भाड़े की दर से रेलों का अंशदान . .	34	—	34	(–) 1	—	(–) 1	12	—	12
अन्य सरकारी उद्योगों से बचत, योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अपनाए गए साधनों से प्राप्त धन के अलावा . . .	164	54	218	100	44	144	98	53	151
अतिरिक्त कराधान, 1966-67 में सरकारी उद्योगों से होने वाली बचत को बढ़ाने के लिए अपनाये गए साधन शामिल हैं									
(1) केन्द्र से (रेलवे सहित) .	119	21(ङ)	140	112	37(ङ)	139	112	25(ङ)	137

(2) राज्यों से . . .	—	51	51	—	18(च)	18	—	16(च)	16
जनता से ऋण (शुद्ध) . .	88	121	209	90	114	204	89	115	204
अल्प बचत	40	95	135	40	85	125	39	79	118
सोने के बांड, इनामी बांड और अनिवार्य जमा	1	—	1	2	—	2	2	—	2
वार्षिक जमा	35	—	35	22	—	22	28	—	28
अकोषित ऋण . . .	59	29	88	58(ज)	27	85	55(ज)	28	83
विविध पूंजीगत प्राप्तियां (शुद्ध) . .	202	(−)91	111	282	(−)79	203	214	1	215
राज्यों के अन्य साधन . . .	—	34	34	—	—	—	—	—	—
योग-1 .	1056	434	1490	692	294	986	750	410	1160
2. बाह्य सहायता से संबंधित बजट प्राप्तियां									
(क) पी० एल० 480 के अलावा .	349	—	349	572	—	572	441(ञ)	—	441(ञ)
(ख) पी० एल० 480 की सहायता	229	—	229	323	—	323	347	—	347
योग-2	578	—	578	895	—	895	788	—	788
3. राज्य संयंत्रों को सहायता . .	(−)509	509	—	(−)617(ट)	617(ट)	—	(−)568	568	—
4. केन्द्र से राज्यों को तदर्थ ऋण .	—	—	—	(−)108	108	—	(−)108	108	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. बजट के कुल स्रोत . .	1125	943	2068	862	1019	1881	862	1086	1948
6. घाटे की वित्त व्यवस्था . .	25	(−)11	14	350	(−)10	340	299	(−)110	189
7. कुल साधन (1 से 6) तक .	1150	932	2082	1212	1009	2221	1161	976	2137

(*) मार्च 1966 में योजना आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तक "वार्षिक योजना 1966-67" में दिए गए आंकड़ों के अनुसार।

(**) केन्द्र के बजट के पुनरीक्षत अनुमानों के अनुसार तथा मई-जून, 1967 में राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अंतिम अनुमानों के अनुसार।

(†) संघीय क्षेत्र शामिल हैं।

(‡) 1965-66 में केन्द्र तथा राज्यों में अपनाये गए बजट पूर्व साधनों से होने वाली अनुमानित आय शामिल है।

(च) 1965-66 की कराधान दर से चालू राजस्व से बचत का अनुमान लगाने में जून 1967 के प्रस्तावित पुनरीक्षित अनुमानों में से भूमि राजस्व छूट दिये जाने के कारण 1966-67 की राशि में से लगभग 2 करोड़ रुपये की हानि कम कर ली गई थी जबकि ऊपर की सारणी में इसे अतिरिक्त कराधान में शुद्ध मान लिया गया है।

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय विक्री कर के पुनरीक्षण से होने वाली आय शामिल है परन्तु "घोषित सामान" के बिक्री कर से होने वाले परिवर्तन शामिल नहीं हैं जो राज्यों के अतिरिक्त कराधान में शामिल हैं।

(ज) राज्य भविष्य निधि से रेलवे पेंशन निधि को हस्तांरित किये गये लगभग छह लाख रुपये को लिए बिना।

(झ) सरकारी उद्योगों में विदेशी भागीदारों द्वारा 2 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश शामिल है।

(ट) बाद में की गई जांच से पता लगा कि इस सहायता का कुछ अंश केन्द्रीय परियोजनाओं से सम्बन्धित जल सप्लाई जैसी कुछ विकास स्कीमों को सहायता देने में खर्च हुआ था। इसके अलावा, पुनरीक्षित अनुमानों में अवमूल्यन के कारण कुछ राज्य परियोजनाओं की बढ़ती हुई लागत की पूर्ति के लिए एक मुश्त व्यवस्था शामिल है। इन राशियों के अलावा राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 589 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

परिशिष्ट 4.1

1966-67 में बड़ी तथा मंझली सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर योजना व्यय

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	1966-67 के लिए व्यय व्यवस्था			
	सिंचाई		बाढ़ नियंत्रण*	
	स्वीकृत व्यय व्यवस्था	वास्तविक	स्वीकृत व्यय व्यवस्था	वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आन्ध्र प्रदेश	21.10	22.56	0.15	0.15
असम	1.05	1.12	3.50	3.24
बिहार	16.00	19.09	0.71	1.82
गुजरात	10.28	10.07	0.10	0.17
हरियाणा	(क)	1.34	$\frac{1}{2}$ (क)	0.66
जम्मू और कश्मीर	0.25	0.08	1.30	1.11
केरल	2.76	3.08	0.90	0.88
मध्य प्रदेश	7.01	6.49	0.03	0.03
मद्रास	5.65	4.11	0.05	..
महाराष्ट्र	16.34	16.10	0.02	0.01
मैसूर	5.00	6.23	..	..
उड़ीसा	7.87	7.39	0.50	0.44
पंजाब	4.95(ख)	1.95	1.50(ख)	1.70
राजस्थान	10.95	11.03	1.06	1.20
उत्तर प्रदेश	14.50	14.21	1.00	1.02
पश्चिम बंगाल	4.30	3.13	0.50	0.90
नागालैंड	..	..	..	..
योग—राज्य	128.01	128.88	11.32	13.33
केन्द्र	1.30	1.11	..	...
संघीय क्षेत्र	0.30	0.07	1.16	1.37
कुल योग	129.51	130.06	12.48	14.70

*जल निकासी, जलमननारोधी एवं समुद्रीक्षरण-रोधी कार्यक्रम शामिल हैं।

(क) पंजाब में दिखाया गया है।

(ख) हरियाणा भी शामिल है।

तीसरी योजना की समाप्ति तथा 1966-67 के दौरान सिंचाई क्षमता निर्मित तथा उसका उपयोग

('000 एकड़ कुल)

राज्य	तीसरी योजना की समाप्ति तक (1965-66) (वास्तविक)		1966-67 के दौरान अतिरिक्त क्षमता				1966-67 के अंत में	
			लक्ष्य		वास्तविक			
	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश	1545	690	641	340	161	41	1706	731
असम	—	—	—	—	—	—	—	—
बिहार	1565	1273	605	445	400	423	1965	1696
गुजरात	842	475	136	72	109	61	951	536
हरियाणा	2135	2020	(क)	(क)	19	114	2154	2134
जम्मू और काश्मीर	35	18	6	3	11	12	46	30
केरल	387	387	47	47	39	39	426	426
मध्य प्रदेश	587	137	121	60	133	118	720	255
मद्रास	67	646	20	14	36	29	709	675
महाराष्ट्र	494	303	135	76	100	43	590	346

मैसूर . . .	903	688	100	87	86	66	989	754
उड़ीसा	1222	1021	286	283	175	85	1396	1106
पंजाब . . .	1681	1618	—	43	—	23	1681	1641
राजस्थान . .	1585	1000	331	307	33	181	1618	1181
उत्तर प्रदेश . .	2366	1948	48	115	76	302	2442	2250
पश्चिम बंगाल . .	1488	1311	42	100	24	81	1512	1392
नागालैण्ड . .	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल .	17503	13535	2518	1992	1402	1618	18905	15153

(क) पंजाब में दिखाया गया है।

परिशिष्ट 5.1

1966–67 में बिजली कार्यक्रमों पर योजना व्यय

(करोड़ रुपये)

	स्वीकृत योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)
1 राज्य		
आन्ध्र प्रदेश	32.00	39.36
असम	5.25	5.90
बिहार	22.75	22.83
गुजरात	9.15	12.88
जम्मू और काश्मीर	4.01	4.68
केरल	15.00	14.55
मध्य प्रदेश	13.50	18.37
मद्रास	23.70	28.20
महाराष्ट्र	29.42	32.00
मैसूर	14.21	16.94
उड़ीसा	12.00	11.52
पंजाब	25.50	16.53
हरियाणा		10.26
राजस्थान	11.97	16.79
उत्तर प्रदेश	46.17	58.21
पश्चिम बंगाल	10.32	10.82
नागालैंड	0.55	0.68
योग—राज्य	257.50	320.41

परिशिष्ट 5.1—जारी

(1)	(2)	(3)
2 संघीय क्षेत्र		
अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	0.09	0.05
चंडीगढ़	..	0.29
दादरा और नगर हवेली . . .	0.02	0.02
दिल्ली	9.00	9.83
गोआ, दमन और दीव	1.45	0.93
हिमाचल प्रदेश	0.92	1.22
मनीपुर	0.22	0.16
नेफा	0.15	0.17
पांडीचेरी	0.20	0.23
त्रिपुरा	0.56	0.14
लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी समूह . . .	0.04	0.01
कुल—संघीय क्षेत्र . . .	12.65	13.05
3 केन्द्र		
सिंचाई और बिजली मंत्रालय . . .	1.29	0.89
दामोदर घाटी निगम (केन्द्र का हिस्सा) . .	8.55	8.51
बदरपुर	0.50	0.29
नेयवेली	6.31	11.72
परमाणु शक्ति स्टेशन	35.57	48.96
योग—केन्द्र . . .	52.22	70.37
कुल योग	340.37	403.83

परिशिष्ट 5.2

1966-67 में अतिरिक्त बिजली तैयार करने की क्षमता के लक्ष्य और उपलब्धियां

राज्य/परियोजना	अतिरिक्त बिजली तैयार करने की क्षमता (दस लाख वा.)		कमी के मुख्य कारण
	लक्ष्य	उपलब्धि	
(1)	(2)	(3)	(4)
उपयोग			
आन्ध्र प्रदेश			
1. कोठा गुदा-1 . .	120	120	
2. अपर सिलेल . .	60	..	पाकिस्तान द्वारा साधन कब्जे में कर लिये जाने के कारण विलम्ब।
बिहार			
3. पथरातू . .	100	50	निर्माण करने वाले ठेकेदारों के बदले जाने के कारण विलंब।
गुजरात			
4. कांडला . .	10	10	
जम्मू और काश्मीर			
5. कालाकोट . .	7.5	..	साधन पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये।
केरल			
6. शोलायार . .	36	18	संयंत्र तथा अन्य सामान के पहुंचने में देरी।

परिशिष्ट 5.2—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
7. सबारीगिरी .	200	150	संभरकों से प्राप्त स्टेम्पिंज को जंक लगा।
मध्य प्रदेश			
8. कोरबा विस्तार .	100	50	रूस से हरेक्टर के आने में देरी तथा कलकत्ता बंदरगाह से अस्पष्ट माल के प्राप्त होने में बहुत समय लगा।
मध्य प्रदेश/राजस्थान			
9. गांधी सागर . .	23	23	
10. सतपुरा . .	62.5	..	पाइपिंग और वाल्व के मिलने में देरी।
मद्रास			
11. परम्बिकुलम . .	30	30	
12. मेत्तूर गुफा . .	50	50	
13. नेवेली . .	100	..	रूस से ट्रांसफार्मर परीक्षण साधनों की सप्लाई में विलम्ब।
महाराष्ट्र			
14. कोयना–2 . .	225	150	
मैसूर			
15. शरावती . .	89.1	..	पेनस्टोक के निर्माण में विलम्ब।
उड़ीसा			
16. तलचर . .	62.5	..	पाकिस्तान द्वारा सामान जब्त किये जाने के कारण विलम्ब।

परिशिष्ट 5.2—समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
पंजाब हरियाणा राजस्थान			
17. भाखड़ा दाहिना किनारा.	240	240	
उत्तर प्रदेश			
18. यमुना . .	11	11	
19. ओबरा . .	50	..	निर्माण में देरी।
20. कानपुर . .	32	..	पश्चिम जर्मनी से सामान और सिविल निर्माण में देरी
पश्चिम बंगाल			
21. जलढ़ाका . .	18	..	
22. बंडेल . .	82.5	82.5	
23. दुर्गापुर . .	75	75	
दामोदर घाटी निगम			
24. दुर्गापुर . .	140	140	
दिल्ली			
25. दिल्ली . .	15	15	
26. दिल्ली 'सी' स्टेशन ,	62.5	..	अमेरिका से सामान की सप्लाई में विलम्ब।
गैर-उपयोग			
27. राउरकेला इस्पात संयंत्र . .	..	50	
कुल . .	2001.6	1264.5	

परिशिष्ट 5.3

स्थापित क्षमता और 1965-66 तथा 1966-67 में की गई बिजली की अधिकतम मांग

(एम डबल्यू)

	1965-66 (वास्तविक)		1966-67 (वास्तविक)	
	स्थापित क्षमता	अधिकतम मांग	स्थापित क्षमता	अधिकतम मांग
आन्ध्र प्रदेश	307	258	427	290
असम	161	31	161	40
बिहार	97	196	147	282
गुजरात	666	371	676	426
जम्मू और कश्मीर	31	35	31	52
केरल	197	188	365	211
मध्य प्रदेश	315	214	377	217
मद्रास	1301	691	1381	828
महाराष्ट्र	1305	880	1455	960
मैसूर	461	296	461	337
उड़ीसा	318	163	318	186
पंजाब	715	375	919	355
हरियाणा		150		131
राजस्थान	260	86	307	90
उत्तर प्रदेश	914	575	925	604
पश्चिम बंगाल	1050	600	1207	716
दामोदर घाटी निगम	804	200	944	248
कुल राज्य	8902		10101	
दिल्ली	112	129	127	158*
अन्य संघीय क्षेत्र	13	..	13	..
योग संघीय क्षेत्र	125	..	140	..
स्वयं बिजली तैयार करने वाले औद्योगिक संस्थान	1146	..	1196	..
कुल योग	10173	..	11437	..

टिप्पणी : संयुक्त परियोजनाओं में राज्यों का अंश संबंधित राज्यों में दिखाया गया है।

*पंजाब से अतिरिक्त बिजली प्राप्त हुई है।

ग्राम बिजलीकरण की प्रगति

राज्य	1961 की जनसंख्या के अनुसार कस्बों और गांवों की कुल संख्या	बिजली लगाए गए कस्बों और गांवों की संख्या		बिजली चालित किए गए वर्षों की संख्या			ग्राम बिजलीकरण के लिए व्यय व्यवस्था (करोड़ रुपए)		
		तीसरी योजना की समाप्ति पर	1966-67 में	तीसरी योजना की समाप्ति पर	1966-67 लक्ष्य	1966-67 वास्तविक	योजना के अनुसार	अतिरिक्त	वास्तविक
आन्ध्र प्रदेश	27307	4197	494	57225	10000	10630	3.00	1.50	4.41
असम	25762	142	10	—	270	15	0.90	—	1.47
बिहार	67818	3710	1919	10660	6000	14012	275	600	577
गुजरात	18765	1846	578	17154	5100	11301	2.70	1.50	5.33
जम्मू और कश्मीर	6602	557	126	122	—	11	0.59	—	0.95
केरल	(4637)*	1849*	367	6957	2000	1538	0.60	—	0.60
मध्य प्रदेश	70633	1320	186	7309	2500	3569	0.75	1.00	3.01
मद्रास	14463	7313	432	256594	20000	32298	6.00	1.50	8.26
महाराष्ट्र	36117	4499	1715	44896	15000	20675	7.50	—	11.00
मैसूर	26608	4274	750	42396	10000	12325	3.00	1.50	4.93
उड़ीसा	46528	596	87	834	8000	59	1.10	—	1.10
पंजाब	12056	5356*	77	25297		8053		1.00	3.97
हरियाणा	6730			15640	6000	4433	3.00	1.00	1.00
राजस्थान	32386	1263	557	6962	8000	4003	2.50	0.50	4.01

उत्तर प्रदेश .	112891	10003*	120*	17591	7500	12919	9.00	6.00	15.56
पश्चिमी बंगाल	38638	1249	281	437	300	369	1.00	1.50	1.00
नागालैण्ड .	817	8	5	—	—	—	—	—	0.03
योग राज्य	545786	48182	7273	510073	93470	136210	44.39	23.00	72.40
संघीय क्षेत्र	23791	2056	297	4158	530	1066			1.00
कुल योग	569577	50238	7570	514231	94000	137276	44.39	23.00	73.40

*1951 की जनगणना के अनुसार ।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

(आधार : 1956 = 100)

	भार	1951	1955	1960	1964*	1965*	1966*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सामान्य सूची	100.00	74	92	130	177	188	193
खान और खदान . . .	7.47	87	97	137	169	184	190
खाद्य निर्माण . . .	13.99	90	93	117	135	144	148
सिगरेट	1.49	82	87	141	176	206	223
सूती कपड़ा	32.10	80	95	103	123	123	120
ऊनी कपड़ा	1.10	71	82	101	128	110	129
रेशम और कृत्रिम रेशा . . .	2.94	65	77	135	211	218	215
जूट निर्माण	5.62	79	94	99	121	126	105
जूता (चमड़ा) . . .	0.28	92	86	144	212	246	266
कागज और कागज उत्पादन . .	1.39	67	96	173	238	255	282
रबर उत्पादन	3.04	75	92	141	198	218	218
रसायन और रसायन पदार्थ . .	3.58	73	96	148	222	253	262
पेट्रोलियम पदार्थ . . .	3.79	6	78	148	217	231	286
अधातु खनिज पदार्थ . . .	2.47	64	88	168	214	233	230

मूल धातुएं	9.25	84	97	183	291	299	318
धातु उत्पादन . . .	0.99	54	97	106	219	240	220
मशीनें, बिजली मशीनों के अतिरिक्त .	1.10	45	83	237	415	490	530
बिजली, मशीनें, उपकरण और साधन .	2.41	44	72	176	276	313	341
परिवहन उपकरण . . .	2.86	46	73	119	191	208	188
बिजली	3.68	60	88	171	297	327	355

*अस्थायी

उद्योग और खनिज : 1965–66 और 1966–67 के दौरान उपलब्ध क्षमता और उत्पादन

उद्योग	एकक	1965-66 (वास्तविक)		1966-67 (वास्तविक)		1966-67 (वास्तविक)	
		क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इस्पात और अलोह धातुएं							
लोहा और इस्पात	दस लाख मी० टन	6.7	6.5	8.9	7.0	7.6	6.6
इस्पात सिलें	,,	5.1	4.5	6.7	5.2	5.5	4.4
तैयार इस्पात	,,	1.2	1.2	1.5	1.3	1.2	1.0
बिक्री के लिए कच्चा लोहा	'000 टन	40.0	35.0	50.0	35.0	50.0	40.0*
मिश्रित, औजारों का और स्टनलेस इस्पात	,,	88.5	62.1	113.0	100.0	93.0	74.2
अल्यूमिनियम							
इंजीनियरिंग उद्योग							
इस्पात ढलाई	,,	128.4	57.0	170.0	80.0	128.4	53.0
इस्पात गढ़ाई	,,	71.0	68.8	140.0	75.0	79.7	51.9
बाल रोलर ब्यरिंग	दस लाख संख्या	11.56	8.3	12.0	12.0	11.6	9.2

औद्योगिक मशीनें							
धातुकर्मीय व अन्य भारी मशीन उपकरण	हजार मी० टन	30.0	11.0	30.0	15.0	65.0	14.3
कोयले की तथा अन्य खान मशीनें जिनमें वेधन उपकरण शामिल हैं . .	हजार मी० टन	30.0	5.1	45.0	15.0	45.0	7.0
सूती कपड़ा मशीनें .	करोड़ रुपये	40.0	24.2	40.0	35.0	40.0	18.0
जूट मशीनें . .	"	5.0	3.5	5.0	4.5	5.0	2.5
चीनी मशीनें . .	"	6.1	1.7	7.3	3.5	6.4	2.3
सीमेन्ट मशीनें . .	"	12.4	7.7	17.5	12.0	14.6	9.4
		19.0	4.9	17.8	8.0	23.0	6.4
मशीनी औजार (उपसाधनों के अतिरिक्त) .	"	30.0	22.6	35.0	35.0	32.4	26.4
वाणिज्यिक गाड़ियां .	हजार संख्या	44.0	35.3	44.0	40.0	56.4	35.6
कृषि मशीनें							
बिजली चालित पम्प .	हजार संख्या	188.5	244.0	200.0	180.0	188.5	311.0
डीजल इंजन (स्थायी) .	"	100.0	93.1	150.0	100.0	74.0	112.2
खेती के ट्रैक्टर . .	"	6.7	6.3	15.0	8.0	11.0	8.8
बिजली की मशीनें							
भाप-टरबाइन . .	दस लाख कि० वाट	—	—	0.6	0.2	0.6	0.01
जल-टरबाइन . .	"	—	—	0.5	0.2	0.5	0.03
ताप-जनरेटर . .	"	—	—	0.6	0.2	0.6	0.01
जल-जनरेटर . .	"	—	—	0.5	0.2	0.5	0.03

उद्योग और खनिज : 1965-66 और 1966-67 के दौरान उपलब्ध क्षमता और उत्पादन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ट्रांसफार्मर 33 के० वी० या कम	दस लाख के० वी० ए	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0
ट्रांसफार्मर 66 के० वी० या अधिक	,,	4.0	1.2	4.0	2.0	4.0	2.3
सिलाई मशीनें	हजार संख्या	442	430	650	600	470	400
साइकिलें	,,	1679	1574	2000	1300	1679	1719
टाइपराइटर	,,	66.0	41.1	100.0	90.0	66.0	45.3
रसायन और सम्बन्धित उद्योग							
उर्वरक							
नाइट्रोजनयुक्त (नाइट्रोजन मात्रा के रूप में)	हजार मी० टन	585.0	232.0	666.5	400.0	585.0	293.0
फास्फेट युक्त ($पी_2$ $ओ_5$ की मात्रा के रूप में)	,,						
भारी रसायन							
कास्टिक सोडा	,,	270.0	218.0	400.0	300.0	296.0	233.0
सोडा एश	,,	362.8	331.0	430.0	360.0	363.0	348.0
सल्फ्यूरिक एसिड	,,	1181.8	662.0	1400.0	1000.0	1353.0	702.0
डाईस्टफ	,,	9.9	6.7	12.0	10.5	10.7	6.8
कागज और कागज के गत्ते	,,	669.0	558.0	700.0	580.0	711.2	580.0
अखबारी कागज	,,						
सीमेन्ट	दस लाख मी० टन	30.0	30.3	30.0	30.0	30.0	29.5
		12.0	10.8	14.8	12.5	12.2	11.1

मोटरों के टायर . .	दस लाख संख्या	3.3	2.3	3.3	2.8	3.3	2.4
जूट निर्माता	हजार मी० टन	1219	1302	1219	1350	1219	1117
सूती कपड़ा							
सूत . . .	दस लाख किलोग्राम	15.49 (क)	907.0	16.90 (क)	1000	16.70 (क)	902
कपड़ा . .	दस लाख मीटर	2.05 (ख)	4401	2.15 (ख)	4800	2.08 (ख)	4202
ऊनी कपड़ा . .	,,	43.6	9.2	43.6	13.7	43.6	9.5
चीनी . . .	लाख मी० टन	32.2	35.0	33.0	34.0	33.8	21.5

(क) मिल स्पिंडल
(ख) लाख लूम।

परिशिष्ट 6.3

केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं पर योजना व्यय
1966–67

(करोड़ रुपये)

स्कीम	1966–67	
	योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय
औद्योगिक विकास और समवाय कार्य मन्त्रालय		
हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल	16.09	13.48
भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स, (हरद्वार, तिरुचि, और हैदराबाद)	32.00	37.88
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (हैवी मशीन बिल्डिंग, फाऊंड्र फार्ज और हैवीमशीन टूल्स)	37.11	39.65
माइनिंग ऐंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	4.40	37.25
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स* (बंगलौर, पिंजोर, कलमसरी और हैदराबाद)	4.00	2.02
पम्प और काम्प्रेसर परियोजना	0.50	0.41
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	1.00	0.78
फाउंडरी फोर्ज परियोजना, वर्धा	0.84	0.23
उर्वरकों और रसायनिक उपकरणों की निर्माण शाला	0.01	..
भारत हैवी प्लेट ऐंड वेसेल्स प्राजेक्ट	0.64	0.24
मशीनी औजार परियोजना	1.20	0.31
कृषि ट्रैक्टर परियोजना	0.25	0.02
तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद	0.51	0.51
इन्स्ट्रूमेन्टेशन्स लिमिटेड	1.80	2.25
नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स् लिमिटेड (आप्टीलिपक ग्लास परियोजना सहित)	1.00	1.60
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स	1.15	1.84
नेपा मिलों का विस्तार	1.26	1.22
हिन्दुस्तान केबिलस का विस्तार	0.50	1.00
इलेक्ट्रानिक्स	0.20	(क)

*इसमें चक्री परियोजना भी शामिल है।

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत शामिल।

परिशिष्ट 6.3—जारी

(करोड़ रुपये)

स्कीम	1966-67	
	योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय
कागज निगम	0.20	0.02
सीमेन्ट निगम	3.50	1.42
भारतीय मानक संस्था	0.40	0.40
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	0.25	0.23
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम	0.80	0.71
	109.61	143.47
पेट्रोलियम विभाग		
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	33.06	39.80
आयल इंडिया लिमिटेड	..	4.80
भारतीय तेल निगम		
(क) तेल शोधक कारखाना प्रभाग (ख) विपणन प्रभाग	26.68	15.73
कोचीन तेल शोधक कारखाना	3.00	..
मद्रास तेल शोधक कारखाना	6.50	7.99
गवर्नमेन्ट एस्सो ल्यूब आयल प्राजेक्ट	3.02	0.84
लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड	0.10	0.25
	72.36	69.41
खान और धातु विभाग		
कोयला		
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	23.00	25.84
सिंगरेनी कोलियरीज	..	3.54
केन्द्रीय रज्जू मार्ग (कोयला बोर्ड)	2.50	3.04
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	9.50	14.47
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम		
किरिबुरू लोह अयस्क परियोजना खतरी ताम्र परियोजना बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना	8.00	10.58

परिशिष्ट 6.3—जारी

(करोड़ रुपये)

उड़ीसा खनिकार्य निगम (दैतेरी लोह अयस्क खनन) (केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण) . . .	0.81	10.58
धातु सर्वेक्षण		
आधारभत धातुओं के लिए हवाई सर्वेक्षण . .	1.00	0.26
भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था . . .	2.61	1.75
भारतीय खान ब्यूरो	0.37	..
धातू परियोजनाएं		
कोरबा	0.67	0.70
कोयना	0.90	
धातु निगम	4.22	7.36
अस्ता प्रदायक विशाखापटनम . . .	0.20	1.10
कोयला नियन्त्रक संगठन में उत्पादन कोष्ठ . .	..	0.03
	53.78	68.48
रसायन विभाग		
इंडियन ड्रग्स ऐंड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड (सिंथेटिक औषधि परियोजना, एंटी वायोटिक प्लांट और सर्जरी उपकरण फैक्टरी	8.00	11.50
भारतीय उर्वरक निगम (नामरूप, गोरखपुर, दुर्गापुर और ट्राम्बे का विस्तार तथा सिन्दरी के उत्पादन युक्तिकरण)	9.98	13.65
पाथराइट और रसायन विकास निगम	1.50	1.05
हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड . . .	0.40	0.03
हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड . .	3.00	0.50
हिन्दुस्तान ऐन्टीवायोटिक्स लिमिटेड . . .	..	0.22
उर्वरक और रसायन (भावनकोर) लिमिटेड (अलवाय और कोचीन विस्तार) . .	1.50	4.10
मद्रास उर्वरक परियोजना	4.52	0.08
गुजरात पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स	4.00	0.06
	32.90	31.19

परिशिष्ट 6:3—जारी
(करोड़ रुपये)

परिवहन मन्त्रालय		
शिपयार्ड स्कीमें		
हिन्दुस्तान शिपयार्ड में निर्मित जहाजों पर उपदान	1.70	1.48
हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम का विस्तार	0.50	0.35
ड्राईडाक स्कीम	0.50	0.27
कोचीन में दूसरा शिपयार्ड	0.20	0.09
	2.90	2.19
ईस्पात का विकास		
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड		
भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि	82.00	70.10
बोकारो इस्पात संयन्त्र	27.50	18.19
मैसूर आइरन एन्ड स्टील कम्पनी	2.50	11.45
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संयंत्रों पर धमन भट्ठी उत्पादन को बढ़ाने के लिए शिल्पवैज्ञानिक परिवर्तनों की व्यवस्था	0.50	..
	112.50	99.74
वाणिज्य मन्त्रालय		
मीट्रिक प्रणाली	0.25	0.25
बागान उद्योगों को ऋण	1.84	1.52
	2.09	1.77
वित मन्त्रालय		
अल्कालायड फैक्टरी	0.27	0.01
सेक्योरिटी पेपर मिल	1.78	2.35
उद्योग विकास बैंकों को ऋण	52.00	65.00
कोलार गोल्ड माइन्स	0.32	0.22
हट्टी गोल्ड माइन्स	0.17	..
	54.64	67.58
परमाणु ऊर्जा का विकास		
परमाणु ऊर्जा स्कीमें	8.30	2.00
योग	449.08	485.83

परिशिष्ट 7.1

ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के अन्तर्गत योजना व्यय (वास्तविक) 1964–67

(लाख रुपये)

उद्योग	1964-65			
	केन्द्र	राज्य	संयीय क्षेत्र	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हथ करघा	29.26	498.60	6.19	534.05
बिजली चालित करघा	28.91	—	—	28.91
लघु उद्योग	349.01	926.73	75.77	1351.51
दस्तकारी	—	536.49	19.75	556.24
रेशम उत्पादन	42.27	55.96	5.36	103.59
नारियल जटा उद्योग	21.00	96.06	3.50	120.56
	6.54	26.24	0.63	33.41
खादी और ग्रामोद्योग	1824.00	56.18	4.03	1884.21
योग	2300.99	2196.26	115.23	4612.48
ग्रामोद्योग परियोजनाएं	171.14	—	—	171.14
कुल योग	2472.13	2196.26	115.23	4783.62

परिशिष्ट 7.1—जारी

(लाख रुपये)

उद्योग	1965-66				1966-67			
	केन्द्र	राज्य	संघीय क्षेत्र	योग	केन्द्र	राज्य	संघीय क्षेत्र	योग
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
हथ करघा . .	46.12	449.86	8.32	504.30	40.00	459.69	8.82	508.51
बिजली चालित करघा .	11.59	—	—	11.59	—	—	—	—
लघु उद्योग . .	498.08	1159.43	119.47	1776.98	480.00	626.76	70.89	1177.65
दस्तकारी . .	—	516.35	25.31	541.66	—	206.61	9.05	215.66
रेशम उत्पादन . .	93.00	70.70	4.95	168.65	133.00	76.23	4.77	214.00
नारियल जटा उद्योग .	23.75	125.80	3.50	153.05	29.00	68.78	1.06	98.84
	14.29	43.54	1.88	59.71	11.00	21.62	0.96	33.58
खादी और ग्रामोद्योग .	1913.00	59.78	5.17	1977.95	1811.00	48.46	1.03	1860.49
योग .	2599.83	2425.46	168.60	5194.31	2504.00	1508.15	96.58	4108.73
ग्रामोद्योग परियोजनाएं .	236.69	—	—	236.69	220.00	—	—	220.00
कुल योग .	2836.52	2425.46	168.60	5430.58	2724.00	1508.15	96.58	4328.73

परिवहन और संचार

योजना व्यय 1966-67 (केन्द्र, राज्य और संघीय क्षेत्र)

(करोड़ रुपये)

	योजना परिव्यय			वास्तविक व्यय		
	केन्द्र	राज्य और संघीय क्षेत्र	योग	केन्द्र	राज्य और संघीय क्षेत्र	योग
क. परिवहन						
रेल	225.00	—	225.00	198.68	—	198.68
सड़कें	47.50	57.21	104.71	51.64	59.68	111.32
सड़क परिवहन	0.15	15.90	16.05	0.15	18.94	19.09
बड़े बन्दरगाह	13.67	1.28	14.95	11.29	—	11.29
छोटे बन्दरगाह				1.32	1.37	2.69
जहाज रानी	—	0.30	0.30	0.63	0.29	0.92
गैर समुद्री परिवहन	1.95	0.30	2.25	0.82	0.14	0.96
दीप घर	0.44	—	0.44	0.63	—	0.63
नागरिक हवाई	19.30	0.26	19.56	20.47	0.21	20.68
पर्यटन	0.65	1.29	1.94	0.28	0.99	1.27

फरक्का बांध	12.50	—	12.50	14.35	—	14.35
योग-परिवहन . .	321.16	76.54	397.70	300.26	81.62	381.88
ख. संचार						
डाक और तार	29.25	—	29.25	38.81	—	38.81
अन्य संचार	1.70	—	1.70	1.05	—	1.05
योग-संचार . .	30.95	—	30.95	39.86	—	39.86
ग. प्रसारण	1.82	—	1.82	1.94	—	1.94
कुल योग . .	353.93	76.54	430.47	342.06	81.62	423.68

परिशिष्ट 11.1

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रम : भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां 1966-67

मद	इकाई	1965-66	1966-67	
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
अस्पतालों में शैय्यायें	संख्या	240100	255100	246682
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	,,	4668*	5189	4794
मेडिकल कालेज	,,	87	@	89
वार्षिक प्रवेश एम० बी० बी० एस०	,,	10520	11500	11079
दन्त चिकित्सा कालेज	,,	13	@	14
डाक्टर	,,	86000	89000	90000
नर्सें	,,	45000	55000	50000
सहायक नर्स-दाइयां/दाइयां	,,	35000	45000	40000
स्वास्थ्य निरीक्षक	,,	3500	3900	3900
राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रम				
आक्रमण सोपान	कुल संख्या	80.26	30.27	55.85
समेकन सोपान	,,	170.36	137.53	134.09
अनुरक्षण सोपान	,,	142.63	225.45	203.31
		393.25	393.25	393.25
चेचक				
प्राथमिक टीके	दस लाख	61.75	क	69.47*
पुनः टीके	,,	394.26	क	430.35*
परिवार नियोजन				
मुख्य केन्द्र				
ग्रामीण		3676	क	4564
शहरी		1381	क	1580
उप-केन्द्र		7081	क	13550

*इनके अतिरिक्त राज्यों के नमूनों पर 289 प्राथमिक केन्द्र हैं।

**राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत।

क लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

परिशिष्ट 11.2

जलपूर्ति स्कीमों पर 1966–67 के दौरान योजना व्यय

(लाख रुपये)

	नगरों में	गांवों में	योग
1 केन्द्र	..	35.00	35.00
2 राज्य			
आन्ध्र प्रदेश	280.97	..	280.97
असम	22.14	31.71	53.85
बिहार	192.56	7.42	199.98
गुजरात	101.00	38.00	139.00
हरियाणा	5.00	15.00	20.00
जम्मू और काश्मीर	35.14	83.82	118.96
केरल	86.01	13.35	99.36
मध्य प्रदेश	84.92	36.79	121.71
मद्रास	304.18	24.81	328.99
महाराष्ट्र	168.68	97.01	265.69
मैसूर	113.00	38.00	151.00
नागालैंड	10.03	8.65	18.68
उड़ीसा	45.00	15.00	60.00
पंजाब	6.50	8.70	15.20
राजस्थान	60.14	73.83	133.97
उत्तर प्रदेश	132.00	19.00	151.00
पश्चिमी बंगाल	20.00	10.00	30.00
योग—राज्य	1667.27	521.09	2188.36
3 संघीय क्षेत्र			
दिल्ली	218.78	4.47	223.25
त्रिपुरा	4.06	..	4.06
मणिपुर	8.00	3.18	11.18
हिमाचल प्रदेश	..	30.53	30.53
चण्डीगढ़	..	0.31	0.31
पांडिचेरी	10.67	0.35	11.02
गोआ, दमन, दिव	42.50	..	42.50
अण्डेमान और निकोबार	7.19	..	7.19
नेफा	6.61	3.60	10.21

परिशिष्ट 11.2—जारी

लकादिव, अमिनदिव और मिनिकायद्वीप	..	..	..
दादरा और नगर हवेली . .	..	..	..
योग संघीय क्षेत्र . .	297.81	42.44	340.25
कुल योग . . .	1965.08	563.53	2528.61

परिशिष्ट 12.1

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आवास स्कीमों पर व्यय 1966-67

(लाख रुपये)

राज्य/संघीय क्षेत्र	1966-67	
	परिव्यय	वास्तविक
आन्ध्र प्रदेश	25.51	18.00
असम	4.60	6.00
बिहार	30.00	27.00
गुजरात	48.02	32.00
हरियाणा	5.25	4.00
जम्मू और काश्मीर	25.00	21.00
केरल	19.81	44.00
मध्य प्रदेश	29.00	29.00
मद्रास	102.51	96.00
महाराष्ट्र	230.00	202.00
मैसूर	44.00	45.00
नागालैंड	10.00	14.00
उड़ीसा	23.50	16.00
पंजाब	5.75	5.00
राजस्थान	10.00	11.00
उत्तर प्रदेश	62.00	53.00
पश्चिमी बंगाल	220.38	157.00
योग—राज्य	895.33	780.00
अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.70	0.50
चंडीगढ़	..	..
दादरा और नागर हवेली	..	0.80
दिल्ली	290.08	234.00
गोवा, दमन और दिव	..	9.00
हिमाचल प्रदेश	10.50	12.00
लकादिव, अमिनि दिवि और मिनिकाय द्वीप समूह	0.05	0.05
मणिपुर	5.35	5.00
नेफा	..	..
पांडिचेरी	9.50	9.00
त्रिपुरा	5.95	3.00
योग—संघीय क्षेत्र	322.13	273.35
कुल योग	1217.46	1053.35

परिशिष्ट 12.2

केन्द्रीय क्षेत्र की आवास स्कीमों पर योजना परिव्यय 1966-67

(लाख रुपये)

स्कीम का नाम	1966-67	
	परिव्यय	वास्तविक
गोदी कर्मचारी आवास	28.00	10.60
गंदी बस्तियों को हटाना (केन्द्रीय अंश)	525.58	355.60
भूमि अभिग्रहण और विकास	4.30	..
कार्यालय और निवासस्थान	633.00	593.00
छिद्रिल कंक्रीट कारखाने	..	..
प्रयोगात्मक आवास	..	..
आवास आंकड़े	15.65	..
कुल—आवास	1206.53	959.20

परिशिष्ट 12.3

आवास स्कीमें : भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां 1966–67

(मकानों की संख्या)

राज्य/संघीय क्षेत्र	1966–67	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	788	288
असम	100	57
बिहार	710	1014
गुजरात	5123	1478
हरियाणा	175	187
जम्मू और काश्मीर	220	265
केरल	505	445
मध्य प्रदेश	1033	1031
मद्रास	2255	2113
महाराष्ट्र	9672	2947
मैसूर	1120	2657
नागालैंड	200	200
उडीसा	252	252
पंजाब	210	144
राजस्थान	438	257
उत्तर प्रदेश	1224	1581
पश्चिम बंगाल	4022	3575
योग—राज्य	28047	18491
अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	..
चण्डीगढ़	..	..
दादरा और नागर हवेली	..	..
दिल्ली*	4670	4709
गोआ, दमन और दिव	..	..
हिमाचल प्रदेश	230	149
लकादिव, अमिनिदिव और मिनिकाय द्वीपसमूह	2	2

*इसके अतिरिक्त 5,800 प्लाटों के विकास का लक्ष्य 1966–67 में रखा गया था जिसमें से 5000 प्लाट विकसित किये गये।

परिशिष्ट 12.3—जारी

1	2	3
मणिपुर	93	90
नेफा	..	..
पाण्डिचेरी	85	59
त्रिपुरा	153	6
योग—संघीय क्षेत्र	5246	5015
कुल योग	33293	23506

परिशिष्ट 14.1

समाज कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत योजना व्यय, 1966–67

(लाख रुपये)

स्कीमें	1966–67	
	परिव्यय	वास्तविक
1	2	3
केन्द्रीय क्षेत्र		
कल्याण विस्तार परियोजनायें	38.00	40.24
बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम छुट्टी के लिए आवास	3.20	2.18
स्त्रियों के लिए विशेष कार्यक्रम		
प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा कार्यक्रम	23.00	23.73
सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	5.00	3.43
दाइयां और महिला मण्डल प्रशिक्षण	0.20	0.23
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम		
स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	71.00	71.19
रैन बसेरे	0.50	0.10
कल्याण विस्तार परियोजनायें (शहरी)	4.00	2.22
अन्य स्कीमें	10.10	9.32
स्वैच्छिक संगठनों का दृढ़ीकरण	4.20	3.77
अपंगों की शिक्षा	8.90	7.56
व्यवसाय पूर्व प्रशिक्षण	26.06	19.87
समाज रक्षा		
राज्यों की समाज सुरक्षा और देखरेख की स्कीमों में केन्द्र का भाग	20.00	7.84
सामाजिक और नैतिक स्वच्छता और देखरेख के बाद के कार्यक्रमों में केन्द्र का भाग		
भारतीय नैतिक और सामाजिक स्वच्छता संगठन को आर्थिक सहायता	0.81	0.77
प्रशिक्षण, अनुसन्धान, सर्वेक्षण और प्रशासन	7.00	6.00
राज्य सरकारों की समाज कल्याण स्कीमों के लिए केन्द्रीय अंश (समाज रक्षा, देखरेख के बाद की सहायता और अपंगों के कल्याण की स्कीम से निम्न स्कीमें)	20.00	19.39

परिशिष्ट 14.1—जारी

1	2	3
विस्थापित लोगों का पुनर्वास . . .	14.10	0*15
योग—केन्द्र	256.07	217.99
राज्य	119.00	100.00
संघीय क्षेत्र*	35.00	21.00
कुल योग	410.07	338.99

*कार्यक्रम वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं।

12PC/69—2,100—19-11-71—GIPF.

मूल्य :— देश में विदेश में
रु० 6.00 13 शि० या 2 डा०

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1972।